CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

General Council Meeting

Siliguri, West Bengal
22-25 April 2002

DOCUMENTS

*** PRESIDENTIAL ADDRESS**
*** REPORT OF THE GENERAL SECRETARY**
*** CONDOLENCE RESOLUTIONS**
*** TREASURER'S REPORT**
*** STATEMENT OF ACCOUNTS - 2000 AND 2001**
*** SPECIAL DISCUSSION PAPER ON**
"UNITED STRUGGLES AND ORGANISATIONAL CONSOLIDATION OF TRADE UNION MOVEMENT"

Hindi

महासचिव की रिपोर्ट

हैदराबाद में दिसम्बर 2000 को आयोजित सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन के पश्चात् सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की बैठक पहली बार हो रही है। हमारे संविधान के अनुसार जनरल कौंसिल की बैठक वर्ष 2001 में एक बार होनी चाहिए थी, तथापि कुछ अपरिहार्य कारणों से हम भरसक प्रयास करने पर भी यह बैठक नहीं कर सके।

2. वर्ष 2001 के अगस्त महीने में सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक बंगलौर में हुई थी, उस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई थी तथा संघर्ष का भावी कार्यक्रम बनाया गया था। फिर भी सी आइ टी यू संविधान के अनुसार हमें वर्ष 2001 में कार्य समिति की एक और बैठक करनी चाहिये थी। क्योंकि पिछले वर्ष जनरल कौंसिल की बैठक नहीं हो सकी इसलिये यह बैठक भी नहीं की जा सकी थी। ये हमारी दुर्बलताएं हैं, ये दुर्बलताएं उन स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थीं। मैं आशा करता हूं कि साथी गण उन स्थितियों को समझेंगे जिनके कारण हम अपने इन संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर सके।

श्रद्धांजलि

3. हमारी कार्य समिति की पिछली बैठक के पश्चात् आठ महीनों की अल्पावधि में ही सी आइ टी यू ने अपने तीन वरिष्ठ नेताओं को खो दिया है। जिन्होंने सी आइ टी यू की प्रगति में भारी योगदान दिया था। हमने कामरेड नीरेन घोष को खो दिया जो सी आइ टी यू के जन्म के समय से ही उसके सचिव रहे थे, उन्होंने पिछले तीन दशकों में सी आइ टी यू के विकास में सराहनीय योगदान दिया था। वह सी आइ टी यू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के अध्यक्ष थे। कामरेड नीरेन घोष की क्रांतिकारी गतिविधियां जीवन भर चलती रहीं जिनसे हमारे कार्यकर्ताओं की नयी पीढ़ी को भारी प्रेरणा मिली।

4. कामरेड सुशीला गोपालन ने परम्परागत क्षेत्रों तथा उद्योगों में श्रमिक आंदोलन के निर्माण हेतु अथक परिश्रम किया था, वह कामकाजी महिलाओं के हितों के लिये संघर्ष करने वाली पुरोधा नेत्री थीं। केरल राज्य सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में व्यस्त कार्यक्रम होने पर भी वह ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिये समय निकाल लेती थीं। वह अनेक वर्षों तक सी आइ टी यू की उपाध्यक्ष रहीं और मृत्यु पर्यंत इस पद पर बनी रहीं।

5. कामरेड नंदूरी प्रेसाद राव श्रमिक आंदोलन में मजदूर-किसान गठबंधन की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने यह गठबंधन बनाने के लिये अथक संघर्ष किया था। वह श्रमिक आंदोलन में कूदने से पूर्व देश में किसान आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के नेता थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में सी आइ टी यू के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये उल्लेखनीय योगदान दिया जो हैदराबाद में सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन की सफलता के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ। वह खुल कर अपनी बात कहते थे और संगठन की दुर्बलताओं के सम्बन्ध में अपने विचारों की अभिव्यक्ति आत्म आलोचनात्मक ढंग से करते थे। इसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। अपने सादा जीवन तथा सरल व्यवहार के चलते वे उन सभी लोगों में प्रिय थे जो उनके सम्पर्क में आए।

6. इन पुरोधाओं का देहांत होने के कारण एक भारी शून्य उत्पन्न हो गया है जिसे पाटना सहज नहीं होगा। इन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि

अर्पित करते समय आईये हम इस क्रांतिकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये काम करने का प्रण करें जिसके लिये उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था।

बढ़ते साम्राज्यवादी हमले

7. अगस्त 2001 की बंगलौर बैठक के बाद की अवधि में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनका न केवल हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में श्रमिक एवं जनवादी आंदोलन पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। हमने बंगलौर बैठक में उल्लेख किया था कि विश्व अर्थव्यवस्था में मंदे का रुझान बढ़ रहा है, यह रूझान विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में धीरे-धीरे गहराते संकट में प्रतिबिम्बित हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में साम्राज्यवादी शक्तियां सम्पूर्ण भूमण्डल पर अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक दादागिरी स्थापित करने के अपने मनोरथों की पूर्ति करने के लिये अधिकाधिक आक्रमक होती चली जा रही हैं। एक ओर वे अपनी दादागिरी के विरुद्ध दुनिया के किसी भी कोने में उठने वाले असंतोष एवं विरोध के स्वर को अपनी सैनिक शक्ति के बल पर दबा देना चाहते हैं तथा दूसरी ओर वे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य बहु उद्देश्यीय अभिकरणों के माध्यम से विभिन्न हथकण्डे अपना कर, विकासशील देशों पर अपनी आर्थिक योजना लाद रहे हैं। परवर्ती अवधि में घटित घटनाएं उनके उसी रुझान को दोहराती हैं जो पहले से अधिक प्रबल हुआ है।

11 सितम्बर तथा उसके पश्चात्

8. 11 सितंबर को विश्व व्यापार केंद्र तथा पैंटागन पर आतंकवादी हमले के पश्चात् घटित घटनाओं के पश्चात् पूरे विश्व को साम्राज्यवाद तथा आतंकवाद दोनों का क्रूर, अमानवीय तथा बर्बर चेहरा देखने को मिला है। बर्चस्व तथा नरसंहार की इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। अध्यक्षीय भाषण में इन घटनाओं की विस्तृत चर्चा की गई है।

9. किन्तु हमें एक महत्वपूर्ण पक्ष को अपने ध्यान में रखना होगा। जहां पूरे विश्व और स्वयं अमरीका की जनता ने अफगानिस्तान के विरुद्ध नरसंहारक युद्ध की तीखी निंदा की थी वहीं भारत तथा पाकिस्तान जहां की शासन व्यवस्था कठमुल्लावादी शक्तियों के हाथों में है, अमरीकी प्रभुओं के प्रति अपने दासत्व भाव का प्रदर्शन कर रहे थे, इस मामले में दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिये उतावले थे किन्तु इन दोनों देशों की जनता ने अमरीका के विरुद्ध विशाल प्रदर्शनों का आयोजन करके इसे पूर्णतया ठुकरा दिया।

राष्ट्रीय स्थिति

10. इस संदर्भ में भाजपा के नेतृत्ववाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रति बढ़ते दासत्व भाव का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा। जहां आर्थिक उदारीकरण के नाम पर भारत सरकार निरंतर देश के वृहत हितों का समर्पण उनके आगे करती चली जा रही है, वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी वे धीरे-धीरे साम्राज्यवादी शिविर में घुसते चले जा रहे हैं और गुटनिर्पेक्षता की नीति के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कश्मीर के मामले में भी उसकी जटिल समस्या को सुलझाने के लिये अमरीका द्वारा प्रायोजित समाधान थोपने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी सी आइ ए मुख्यालय का दौरा करने तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ गुप्तचर सम्बन्ध विकसित करने की सीमा तक चले गए हैं। सी आइ ए के उप प्रमुख का भारत दौरा और गुप्तचर संस्था के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत दर्शाती है कि एन डी ए सरकार किस सीमा तक साम्राज्यवाद का पक्ष लेने लगी है। वाजपेयी सरकार ने अमरीकी साम्राज्यवादियों के अधिनायकवादी मनोरथों के आगे समर्पण करने की अपनी व्यग्रता के चलते बार-बार अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन स्थापित करने की अपनी धारणा को व्यक्त किया है।

संसद पर आतंकवादी हमला

11. जम्मू-कश्मीर विधान सभा तथा भारत की संसद पर आतंकवादी हमला भारत सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबंधों में की गई ढील को दर्शाता है। आत्मघाती दस्ते सरकार के सुरक्षा विंग में पहुंच जाते हैं और वहां आतंक फैला देते हैं। ये अभिकरण हिन्दू शावनवादी संगठनों को भी धन देते हैं। एन डी ए सरकार जानबूझ कर और अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत में साम्राज्यवादी हथकण्डों की अनदेखी कर रही है। वह सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास के नाम पर सी आइ ए को घुसपैठ करने की अनुमति दे रही है, वह भारत में और अधिक आस्थिरता लाने के लिये इन शक्तियों को अपनी पैठ बनाने की छूट दे रही है। सी आइ ए अमरीका के राजनीतिक हितों के लिये विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों तथा

विद्रोह की कार्रवाईयों को बढ़ावा देने तथा उनका पृष्ठपोषण करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, यह बात पूरा विश्व जानता है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इन्कार कर रही है। वे संसद पर हमले की घटना का उपयोग समग्र रूप में अल्पसंख्यक समुदाय की छवि खराब करने के अपने घृणित मनोरथ की पूर्ति के लिये करना चाहते हैं या कर रहे हैं। वे अधिनायकवादी कानूनों को भी न्यायोचित करार दे रहे हैं, इन सबके चलते सत्ताधारी गठबंधन की सिद्धान्तहीन अवसरवादी प्रवृति उजागर हो गई हैं, उन्हें राष्ट्रीय हितों की चिन्ता कतई नहीं है।

पैशाचिक पोटो

12. वाजपेयी सरकार ने आतंकवाद का सामना करने के नाम पर आतंकवाद की रोकथाम सम्बन्धी अध्यादेश अर्थात् पोटो लागू कर दिया है, मनमानी अधिनायकवादी शक्तियां राज्य ने प्राप्त कर ली हैं, बिना मुकदमा चलाए लोगों को नजरबंद रखने तथा उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जिन्हें वे पसंद नहीं करने, की जबरदस्त शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। भाजपा ने अल्पसंख्यकों के संगठनों पर अध्यादेश का उपयोग किया है जबकि आतंक फैलाने वाले हिन्दू शावनवादी संगठनों को अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जारी प्राण घातक एवं बर्बर अत्याचारों के समर्थन में खुल कर अभियान चला रहे हैं किन्तु एन डी ए सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। संसद में घोर विरोध होने पर भी भाजपा सरकार द्वारा पोटो विधेयक संसद के संयुक्त सत्र में पारित कराया गया। अमरीका सरकार के प्रवक्ता ने पोटो विधेयक के पारित होने पर तत्काल उसका स्वागत किया। साम्राज्यवादी अभिकरण भारत में इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कानूनों के बनने तथा लागू होने में कितनी अधिक रुचि लेते हैं, इसका पता इसी तथ्य से चल जाता है।

13. श्रमिक आंदोलन का अनुभव है कि डी आइ आर, एस्मा, मीसा तथा नासा जैसे अधिनियमों का बेरोक-टोक उपयोग श्रमिक संघों के विरुद्ध किया गया था। भले ही उन्हें देश की अखण्डता की रक्षा करने तथा सुरक्षा के नाम पर लाया गया था। श्रमिक आंदोलन को इस काले कानून के विरूद्ध निरंतर शक्तिशाली अभियान चलाना होगा।

साम्प्रदायिकता का वीभत्स स्वरूप

14. हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में गोधरा की घटना तथा अन्य मुद्दों पर संघ परिवार के संगठनों द्वारा किये जा रहे भयानक अपराधों की चर्चा की थी। गुजरात के नरसंहार दर्शाते हैं कि विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल तथा संघ परिवार के अन्य संगठन किस सीमा तक जा सकते हैं, स्वयं भाजपा भी अपनी हिन्दुत्ववादी कार्यसूची तथा अपने राजनीतिक मनोरथों की पूर्ति के लिये किसी भी सीमा तक जा सकती है।

15. दंगों के दुष्परिणामस्वरूप गुजरात के औद्योगिक विकास पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे तब तक अल्पसंख्यक गुजरात में अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत नहीं होंगे। और अब, जैसा कि गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का परिणाम सामने आया है, उसके अनुसार भाजपा हताशापूर्वक गुजरात में मध्यावधि चुनाव कराने का प्रयास करेगी ताकि वहां सरकार द्वारा प्रायोजित साम्प्रदायिक विद्वेष की डेढ़ महीने तक चली लहर से लाभ उठा कर वह पुन: सत्ता में आ सके।

16. श्रमिक आंदोलन और विशेष रूप से सी आइ टी यू का कर्त्तव्य है कि वह भाजपा-संघ तथा उनके ढंढोरचियों के घृणित आपराधिक मनोरथों को बेनकाब करें, इसके लिये तृणमूल स्तर पर शक्तिशाली प्रचार अभियान चलाए तथा उसके साथ ही साथ इसी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में श्रमिक वर्ग को संगठित एवं एकजुट करने का प्रयास करे। भारत में श्रमिक आंदोलन को और अधिक सजग होना होगा और साम्प्रदायिक शक्तियों के घृणित मनोरथों को परास्त करने के लिये अभियान चलाना होगा ताकि श्रमिक वर्ग की वर्गीय एकता को बनाए रखा जाए, भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा की जा सके और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को पुन: प्रतिष्ठापित किया जा सके।

भ्रष्टाचार का बोलबाला

17. अनेकानेक वित्तीय घोटाले प्रकाश में आए हैं—इनमें से सर्वाधिक घोटाला प्रतिरक्षा मंत्रालय में हुआ है। यद्यपि तहलका कांड के प्रकाश में आने से जार्ज फर्नांडिस को प्रतिरक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र देना पड़ा था तथापि वाजपेयी ने उन्हें अपने मंत्रिमण्डल में पुन: सम्मिलित कर लिया जबकि इस मामले की छानबीन करने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा अभी तक जांच का काम समाप्त नहीं किया गया है। उसके पश्चात् भी

अनेक घोटले हुए हैं, अधिकांश घोटाले ताबूत तथा गोला-बारूद की खरीद करने के मामले में हुए हैं, ये सभी प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध रखते हैं। इनके अतिरिक्त शेयर बाजार का घोटाला तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की अंधाधुंध बिक्री जैसे घोटाले एक के बाद एक सामने आते चले गए हैं। भाजपा-एन डी ए मंत्रियों के हाथ बुरी तरह इन घोटालों के कीचड़ से लथपथ हैं।

18. हाल ही में सरकार की अपनी गुप्तचर सेवा को भी स्वीकार करना पड़ा था कि दाऊद इब्राहिम तथा छोटा शकील के गिरोहों ने जैट एयरवेज़ में धन लगाया था। तथापि, भारत सरकार इन सब कार्रवाईयों को सहन कर रही है क्योंकि वे अंतरर्राट्रीय संगठनों के अभिन्न अंग हैं।

भाजपा के सहयोगियों की भूमिका

19. यद्यपि राष्ट्रीय गठबंधन में सम्मिलित कुछ धर्मनिर्पेक्ष सहयोगी दलों ने गुजरात की हत्याओं की निंदा की है और उनमें से कुछ दलों ने मोदी को हटाने की मांग भी की है। किन्तु ये सहयोगी दल भाजपा के विरूद्ध दृढ़ रुख अपनाने में विफल रहे हैं जो अपनी हिन्दुत्ववादी कार्यसूची पर काम कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कार्यसूची पर बार-बार बातें करने पर भी भाजपा विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य घटकों की सहायता से अपनी साम्प्रदायिक कार्यसूची के अनुसार काम कर रही है। अब गोवा बैठक के पश्चात् वे अपने साम्प्रदायिक मनोरथों के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने भी नवीनतम बजट प्रस्तावों अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विशेष निर्णयों की आलोचना की है।

20. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सम्मिलित गैर भाजपाई सहयोगी दलों की अवसरवादी भूमिका के कारण ही भाजपा अपनी गुप्त कार्यसूची को आगे बढ़ा सकी है। वे किसी भी मूल्य पर सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिये वे नहीं चाहते कि वाजपेयी सरकार का पतन हो। यद्यपि इन दलों की ट्रेड यूनियन विंग एन डी ए सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में खुल कर आगे आए हैं किन्तु वे दल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये भाजपा सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। श्रमिक आंदोलन को एन डी ए सरकार की नीतियों के विरोध में जारी संघर्ष की इन स्थितियों में इन दलों की भूमिका पर भी विचार करना चाहिये। एन डी ए सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी व्यापक लामबंदी करके तथा श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्ष को निरंतर चला कर ही इस कुख्यात अवसरवादी राजनीतिक गठबंधन की पोल खोली जा सकती है और इस विनाशकारी सत्ता की समाप्ति के लिये आवश्यक स्थितियां बनाई जा सकती हैं।

आर्थिक स्थिति

21. बंग्लौर में अगस्त 2001 को सम्पन्न कार्य समिति की पिछली बैठक में तथाकथित आर्थिक उदारीकरण की नीति का एक दशक तक पालन किये जाने के पश्चात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर की अंतिम गिरावट के रुझान की ओर संकेत किया गया था। उसके बाद की अवधि में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में उसी प्रकार की गिरावट के रुझान की पुष्टि हुई है। इसका विनाशकारी दुष्प्रभाव श्रमिकों तथा जन साधारण के जीवन तथा आजीविका पर पड़ा है।

औद्योगिक गिरावट

22. केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार उद्योग के सभी क्षेत्रों में 2001-02 के पूरे वर्ष में वृद्धि दर में गिरावट जारी रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पिछले वर्ष अर्थात् 2000-01 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि दर आधी रह गई अथवा वर्ष 2001-02 में यह वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत तक नीचे गिर चुकी थी। उत्खनन, विद्युत तथा निर्माण के क्षेत्रों में वृद्धि दरें 2001-02 में 1.4 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत तथा 2.9 प्रतिशत रहीं जबकि उससे पिछले वर्ष में ये दरें 3.3 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत रही थीं।

23. यदि हम निकट से देखें तो पूरा परिदृश्य और अधिक धूमिल दिखाई देगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार आंतरिक संरचना अथवा ढांचे के क्षेत्र में अप्रैल-दिसम्बर 2001 की अवधि में वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2000 की इसी अवधि में उसकी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी। आतंरिक संरचना से सम्बन्ध रखने वाले छह उद्योगों में से कच्चे तेल तथा इस्पात में 1.9 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत तक पूर्ण गिरावट देखी गई जबकि अन्य चार क्षेत्रों कोयला, विद्युत, सीमेंट था पैट्रो-उत्पादों में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कहीं नीचे जा चुकी थी; ये सभी तथ्य स्थिति के दिन प्रतिदिन खराब होते चले जाने की ओर संकेत करते हैं। पूंजीगत सामग्री (मशीनरी इत्यादि) का क्षेत्र

औद्योगिक अर्थव्यवस्था की शक्ति का एक महत्पूर्ण संकेतक होता है; इस क्षेत्र में भी अप्रैल-सितम्बर 2001 के मध्य 8.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर रही थी। मूलभूत सामग्री के क्षेत्र में इसी अवधि में वृद्धि दर केवल 2 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष उसकी वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत थी। अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले वर्ष 4.3 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2001 की अप्रैल-सितम्बर मास की अवधि में यह मात्र 3.10 प्रतिशत रही। (फायनांशल एक्सप्रेस, 13-11-2001)

24. औद्योगिक मंदे का दुष्प्रभाव स्वदेशी पूंजी के गठन में भी प्रतिबिम्बित हुआ है। निजी नैगम क्षेत्र देशी तथा विदेशी दोनों को छूटों तथा सुविधाओं के रूप में प्रत्येक वर्ष बजट में 15-20 करोड़ रुपये के व्यापक स्तर पर उपहार दिये जाने पर भी निवेश वातावरण में अब भी अंधकार छाया हुआ है। इस वर्ष बजट के पश्चात् भारतीय उद्योगों के परिसंघ (सी आइ आइ) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते समय राजस्व सचिव एस नारायण ने निजी क्षेत्र के शोचनीय सीमा तक खराब प्रदर्शन की ओर संकेत किया था। उन्होंने स्मरण कराया था कि पिछले वर्ष (2000-01) के बजट में विभिन्न प्रावधानों तथा छूटों के माध्यम से नैगम क्षेत्र को ''सुविधाओं'' के रूप में 16000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे।

25. नैगम क्षेत्र ने अपने हथकंडों के द्वारा इन सुविधाओं से लाभ तो उठाया किन्तु उसके बदले में व्यावहारिक रूप से उन्होंने कोई निवेश नहीं किया। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के अनुमानों के अनुसार 1997 के पश्चात् पूर्ण अर्थों में निजी नैगम क्षेत्र का कुल पूंजी का गठन निरंतर कम होता चला गया (वर्ष 1997-98 में 1,27,304 करोड़ से कम होकर वर्ष 2000-01 में 1,23,022 करोड़ तक पहुंच गया था) और सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता 8.4 प्रतिशत से कम होकर 5.9 प्रतिशत रह गयी थी। इसी अवधि में पूंजी के गठन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान स्वयं उसकी स्वामी सरकार द्वारा अपनाए गए शत्रुतापूर्ण एवं पक्षपाती रुख के होते हुए भी, बढ़कर 48000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था; इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था कुछ सीमा तक जीवंत रही (बिजनस लाइन, 5-2-2002)। उद्योग में लगाए गए धन के मूल्यों में उत्तरोत्तर होने वाली वृद्धि (वेल्यु ऐडिड) की दर वर्ष 1993-97 में 8.5 प्रतिशत थी किन्तु वर्ष 1997-2000 में उसमें गिरावट आई और मात्र 4.8 प्रतिशत रह गई। इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि औद्योगिक गिरावट एक अथवा दो वर्षों में केवल दुर्घटनावश नहीं आई है अपितु यह उदारीकरण की सत्ता शुरू होने के बाद की अवधि का एक स्वाभाविक परिणाम है।

26. अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और अधिक भयानक है; नेशनल कौंसिल आफ अप्लाईड इकनामिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात् कारोबारी विश्वास सूचकांक (बी सी आइ) में निराशाजनक गिरावट आई है अर्थात् वह मुंह के बल नीचे गिरा है। अप्रैल 2000 में 122 की ऊंचाई से यह सूचकांक अक्टूबर 2001 अर्थात् 24 महीनों में गिर कर 82.5 रह गया। एन सी ए ई आर द्वारा व्यक्त किये गए विचार के अनुसार कारोबारी विश्वास में गिरावट सभी क्षेत्रों, सेक्टर्स में अत्यंत व्यापक हुई है और उत्पाद कार्य में लगे औद्योगिक क्षेत्र के सभी खण्डों में इसका एकमात्र अत्यंत महत्वपूर्ण कारक स्वदेशी मांग में अत्यधिक कमी होना है। **द इकनामिक टाइम्स** उदारीकरण की नीतियों का प्रबल समर्थक रहा है; किन्तु उसने भी अपने 7-11-2001 के अंक में अपने सम्पादकीय में टिप्पणी की थी : ''अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति कोदेखते हुए सेवा प्रदान करने वालों द्वारा व्यक्त आशावादिता से कोई व्यक्ति भला कैसे संतुष्ट हो सकता है; कुछेक वृहत्—आर्थिक संकेतक कुछ और कहानी ही कहते हैं। निर्यात कम होते चले जा रहे हैं और औद्योगिक उत्पादन तथा उससे भी अधिक पूंजीगत सामग्री की वृद्धि दर शोचनीय सीमा तक कम हो चुकी है।''

कृषि के क्षेत्र में गिरावट

27. कृषि का क्षेत्र बहुत बड़े अधोगामी दबाव की स्थिति को झेल रहा है; उसके फलस्वरूप हमारी जनता की विशाल बहुसंख्या पर आधारित ग्रामीण जनसंख्या बर्बादी की गर्त में धंसती चली जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दर 1990 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर से कहीं नीचे चली गई। ठीक इसी समय आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के फलस्वरूप भारत के बाजारों में विदेशी कृषि उत्पादों की बाढ़ सी आ गई है; इसके परिणामस्वरूप मूल्य धराशायी हो गए हैं और इसके साथ ही गैर खाद्यान्न कृषि क्षेत्र पर इसकी सर्वाधिक मार पड़ी है।

28. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की अत्यंत अतार्किक नीतियों के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था घोर बर्बादी की ओर अग्रसर हुई है; इसका प्रकटीकरण कृषि उत्पादन में गिरावट के रूप में हुआ है; इसके साथ ही खाद्यान्न भण्डार पूरी तरह भरे हुए हैं; उनमें 6 करोड़ टन से अधिक अनाज विद्यमान है इतने अधिक अनाज का भण्डारण करना उनकी सामर्थ्य से बाहर है; दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में भूख से तड़प कर मरने वाले लोगों की तथा अन्य कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्याएं किये जाने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

29. सरकार के अपने रिकार्ड के अनुसार सरकार के पास अनाज की उपलब्धता वर्ष 1991 के 468.5 ग्राम से कम होकर 2001 में 390.6 ग्राम रह गई थी और उसी अवधि में दालों की उपलब्धता 34.3 ग्राम से कम होकर 26.4 ग्राम रह गई थी। कृषि क्षेत्र में निवेश के पश्चात् उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि की दर 1993-97 में 4.5 प्रतिशत से गिरकर 1997-2001 में मात्र 1.2 प्रतिशत रह गयी।

30. कृषि के क्षेत्र में निवेश वास्तविक अर्थों में कम हुआ है अर्थात् उसमें गिरावट आई है। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दरिद्र जनों को दिये जाने वाले ऋणों में भी कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप कृषि रोजगार और गैर कृषि रोजगार दोनों में ही तीखी गिरावट आई है; यह तथ्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही दरिद्रता की ओर संकेत करता है। कृषि रोजगारों में पारिश्रमिक का भुगतान भी वास्तविक अर्थों में कम हुआ है—पिछले तीन वर्षों से यह रुझान बन चुका है। ये सभी कारक जनता की विशाल बहुसंख्या की क्रय (खरीद) शक्ति में तीखी गिरावट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चहुं ओर गरीबी की खराब होती चली जा रही स्थिति की ओर से संकेत करते हैं; इसके फलस्वरूप औद्योगिक अर्थ व्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और मांगों में कमी के बढ़ते जा रहे दबावों से इसका प्रकटीकरण हो रहा है।

31. इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा ढंग खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डारों का सदुपयोग करके और काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का कायाकल्प करना है; इसके फलस्वरूप ग्रामीण आंतरिक संरचना (ढांचे) तथा जन साधारण की क्रय शक्ति को सुधारने में भी सहायता मिलेगी। किन्तु सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खण्ड-खण्ड कर देने, खरीद बंद करने तथा खाद्यान्न मूल्यों तथा उसकी गतिविधियों पर सभी प्रतिबंध समाप्त करने पर तुली हुई है; इसके दुष्परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की पूरी व्यवस्था बाजार की शक्तियों की दया पर आश्रित हो जाएगी और इससे समृद्ध भूमिपति तथा हृदयहीन व्यापारी वर्ग ही लाभान्वित होगा। इसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट और गहरा हो जाएगा। कृषि के पूर्ण विनियमन, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति तथा कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के अनुप्रवेश का मिला जुला प्रभाव और वह भी विशेष रूप से गरीब किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों के लिए कहर बरपाने जा रहा है। वे लोग अधिक से अधिक संख्या में भूमि से वंचित हो जाएंगे और भूमि पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी, कृषि का व्यापारीकरण हो जाएगा और बहुराष्ट्रीय निगमों का नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा।

32. दोहा में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में समृद्ध राष्ट्रों के बढ़ते दबावों के आगे सरकार द्वारा झुक जाने के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों को देश की कृषि अर्थ व्यवस्था पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने में सहायता मिली है। इसका अनुसरण करते हुए सरकार ने हाल ही में देश में उत्पत्तिमूलक सुधरे (जिनेटिक मोडिफाईड) बीजों विशेष रूप से मोंसांटो के बीटी काटन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इन बीजों का उपयोग करने से किसे लाभ होगा; हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी संख्या द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है जबकि इंग्लैंड, जापान जैसे युरोपीय देशों तथा ब्राजील इत्यादि में इन बीजों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इन जी एम फसलों तथा बीजों का उपयोग हमारी कृषि को इतनी भयानक बर्बादी की ओर धकेल देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई और इसके साथ ही हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिकाधिक नियंत्रण हो जाएगा।

33. वित्त मंत्रालय के माध्यम से हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सरकार ने 2001-02 की पिछली तिमाही में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाने का प्रयास किया है। उसने दर्शाया है कि 2001-02 के लिए कृषि में वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत के लगभग होगी। भले ही इस प्रकार की भ्रामक वृद्धि दर का प्रस्तुतिकरण क्यों न किया जाए किन्तु यह तथ्य तो अपने स्थान पर बना ही हुआ है कि पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन का सूचकांक पूर्ण गिरावट अथवा नकारात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहा है (—0.9 प्रतिशत तथा—6.6 प्रतिशत : इकनामिक सर्वे) और वास्तविक अर्थों में 2001-02 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1999 के स्तर से भी नीचे रहा था।

रोजगार का भयानक परिदृश्य

34. सर्वव्यापी आर्थिक गिरावट ने रोजगार के परिदृश्य को और अधिक आलोच्य (दूसरे शब्दों में अत्यंत गम्भीर) बना डाला है। वास्तव में पिछले दशक में उदारीकरण की जिन नीतियों का पालन किया गया था, उन्होंने रोजगारों के सृजन में गुणात्मक तथा गणात्मक दोनों ही दृष्टियों से नकारात्मक योगदान दिया है। इन नीतियों के फलस्वरूप जितने भी नये रोजगारों का सृजन हुआ है उनसे कहीं अधिक रोजगारों की हत्याएं हुई हैं; ये रोजगार हत्याएं अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में हुई हैं। सरकार के संरक्षण में श्रम शक्ति का आकार कम करने के लिये चल रही जोरदार प्रक्रिया के फलस्वरूप संगठित क्षेत्र में रोजगारों की जबरदस्त क्षति हुई है और वह अधिकाधिक निष्प्रभावी हो गया है।

35. स्वयं केन्द्रीय सरकार ने रोजगारों की हत्याएं करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार ने पहले ही गीता कृष्णन समिति (व्यय सुधार आयोग) की रिपोर्ट को लागू करना शुरू कर दिया है। उसने पांच वर्षों में सरकार के विभिन्न विभागों में 10 प्रतिशत की दर से श्रमिकों की संख्या कम करने के लिये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) तथा बलात् छंटनी करने जैसी कार्रवाईयां करने की योजना शुरू की थी; इस योजना को शुरू हुए एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत कार्यरत अनेक सरकारी विभागों को पहले ही अतिरिक्त घोषित किया जा चुका है। अनेक राज्य सरकारें इसी नीति का पालन कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही दैनिक वेतन पर काम करने वाले 28000 श्रमिकों की छंटनी करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। तथापि सी आइ टी यू द्वारा पहलकदमी करने तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के फलस्वरूप आंशिक रूप से यह प्रक्रिया रुक गई है।

36. सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय इकाईयों में सरकार तथा सम्बन्धित प्रबंधन आक्रामक ढंग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू कर रहे हैं; निजीकरण के लिये चल रही कार्रवाईयां इससे अलग हैं। पिछले दो वर्षों में अकेले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में ही एक लाख से अधिक रोजगारों की क्षति हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग क्षेत्र में अगस्त 2001 वी आर एस के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 99452 कर्मचारियों के रोजगारों पर कुल्हाड़ी चलाई जा चुकी थी।

37. निजी क्षेत्र में भी गिरावट की स्थिति और प्रबल हो रही है। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों जो द इकनामिक टाइम्स (21-3-2002) के अंक में प्रकाशित हुए थे, के अनुसार पिछले दो वर्षों में चली इस प्रक्रिया में कारखाना क्षेत्र में सात लाख से अधिक रोजगार कम हुए हैं। इस क्षेत्र की दो प्रमुख इकाईयों टिस्को तथा टाटा इंजीनियरिंग दोनों ने मिलकर 20,000 से अधिक श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। वोल्टास ने अपनी श्रम शक्ति में 41.61 प्रतिशत, फिलिप्स ने 35.44 प्रतिशत एल एम एल ने 15 प्रतिशत तक कमी कर दी है। इस सम्बन्ध में कुछ और नाम भी हैं—बजाज आटो ने 4785 (2001 तक दो वर्षों में), हिन्द मोटर्स 1500, रिलायंस इंडस्ट्री 1500 तथा ए सी सी ने 6000 श्रमिकों को कम कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र जहां बहुत हो हल्ला हुआ था, ने 2001 में अर्थात् एक वर्ष के भीतर ही 10,000 से अधिक रोजगारों पर कुल्हाड़ी चल चुकी है।

38. कपड़ा क्षेत्र शायद सबसे अधिक खराब स्थिति को झेल रहा है। बिजनस स्टैंडर्ड (18 अगस्त से लेकर 3 सितम्बर 2001 तक) में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में 35 प्रतिशत कपड़ा श्रमिक अथवा 3.49 लाख श्रमिक अपना रोजगार खो चुके हैं और कुल 1850 पंजीकृत कपड़ा मिलों में से 395 कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं। उनमें से 47 मिलों को वर्ष 2001 तक 15 महीनों के भीतर बंद किया गया। रिलायंस के कपड़ा डिविजन ने 4600, ग्रेसिम (बिरला) ने लगभग 1500 श्रमिकों को ले-आफ कर दिया है; बाम्बे डाईंग ने जमशेदपुर तथा रोहा स्थित अपनी दो इकाईयां बंद कर दी हैं; इसके अतिरिक्त उसने अपनी अन्य इकाईयों में 3000 श्रमिकों को कम करने की योजना बनाई है। देश के लगभग सभी प्रमुख कपड़ा केन्द्रों में कामबंदी, औद्योगिक बीमारी तथा रोजगारों की क्षति नित्य प्रतिदिन की एक सामान्य सी बात बन चुकी है।

39. रोजगार परिदृश्य के तेजी से बिगड़ते चले जाने का एक और काला पक्ष रोजगारों की गुणवत्ता में तीव्र गिरावट आना है। कामबंदियां करके स्थायी श्रमिकों से पीछा छुड़ाना तथा उन्हीं इकाईयों को दोबारा खोल कर संविदा अथवा ठेका श्रमिकों की भर्ती करना सेवा योजकों की एक मानक कार्य प्रणाली बन चुकी है। गाजियाबाद तथा कानपुर (उत्तर प्रदेश), धारूहेड़ा, गुड़गांव, पानीपत तथा फरीदाबाद (हरियाणा) तथा अनेक अन्य राज्यों में स्थित देश के अनेक औद्योगिक केन्द्रों से इसी प्रकार के समाचार आ रहे हैं। अनेक राज्यों में सरकारी तंत्र सेवा योजकों की जबरदस्त गैर कानूनी कार्रवाईयों में सीधे सहयोग करता है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार की गुणवत्ता तथा श्रमिकों की आय के स्तर में तीखी गिरावट आ रही है—अधिकांश मामलों में श्रमिकों को कानूनी रूप में देय न्यूनतम वेतनों से भी कहीं कम वेतन दिये जाते हैं। इसके चलते चलते श्रमिकों के रोजगार धीरे-धीरे आकस्मिक बन गए हैं और गरीबी की जड़ें गहरी हो गई हैं।

40. यहां तक कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया समिति (रोजगार पर कामकाजी दल) की रिपोर्ट भी सरकार को रोजगार की गुणवत्ता में चौंका देने वाली सीमा तक होती चली जा रही गिरावट की संवृत्ति को स्वीकार करना पड़ा है। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि जहां चालू दैनिक स्थिति (सी डी एस) के अनुसार वर्ष 1999-00 में बेरोजगारी केवल 7 प्रतिशत आंकी गई थी वहीं गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता 26 प्रतिशत थी। दूसरे शब्दों में एन एस एस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) की परिभाषा के अनुसार वर्तमान में रोजगार पर लगे लोगों की भारी संख्या की आय का स्तर इतना नहीं है कि उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा सके।''

केन्द्रीय बजट 2002-03 : दोषपूर्ण नीतियों का जारी रहना

41. पिछले पांच वर्षों से जारी अर्थ व्यवस्था में सर्वव्यापी गिरावट के रुझान को सभी पक्षों को स्वीकार करना पड़ा है; इनमें उदारीकरण के शिविर में विद्यमान महानुभाव भी शामिल हैं। अर्थ व्यवस्था में मांग दर भारी दबावों और उसके फलस्वरूप फैलती बेरोजगारी, व्यापक स्तर पर दरिद्रता तथा जनगण की क्रय शक्ति का कम होते चले जाना, सिकुड़ता स्वदेशी बाजार और उसके साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की सुलभता कम होना इत्यादि की पहचान सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की मंथर गति, गिरावट, रोजगार क्षतियों तथा हताशा एवं मंदे की और बिगड़ती चली जा रही स्थिति के कुचक्र के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में की है। यहां तक एक अग्रणी वाणिज्यक संगठन ***एसोचैम*** ने भी बजट पूर्व विचार विमर्श के समय वित्त मंत्री से मांग तथा निवेशों में तेजी लाने वाली नीतियां अपनाने की मांग की थी।

42. सामान्य एवं रेलवे अर्थात् दोनों बजट उसके ठीक विपरीत दिशा में प्रस्तुत किये गए हैं और उनमें अर्थव्यवस्था के केवल आपूर्ति के पक्ष को ही लिया गया है; उसके अन्तर्गत पूंजीपतियों तथा सामंतों की लाबी को अधिक सुविधाएं एवं छूटें प्रदान की गई हैं। बजट में घोषित राजस्व के मोर्चे की प्रत्येक कार्रवाई का उद्देश्य पहले से ही घोर दरिद्रता की चक्की में पिस रहे लोगों पर अधिकाधिक बोझ डालना तथा मांग की स्थिति को और अधिक बिगाड़ना है।

43. आबकारी शुल्कों को 6700 करोड़ रुपये तक बढ़ा कर (जबकि आयात शुल्कों में 2200 करोड़ रुपये की कमी लाई गई है), रसोई गैस के मूल्यों में 20 रुपये प्रति सिलेण्डर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने वाले मिट्टी के तेल के मूल्यों में 1.50 रुपये की प्रति लीटर की वृद्धि करके, रेल किरायों में वृद्धि करके, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आय कर पर 50 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) लगा कर, भविष्य निधि तथा लघु बचतों पर ब्याज की दरों को कम करके तथा इसी प्रकार की अनेक कार्रवाईयां करके लोगों पर क्रूर एवं बर्बर हमले किये गए हैं।

44. दूसरी ओर निजी नैगम घरानों तथा विदेशी पूंजी को पिछले वर्ष उनके बहुत ही खराब प्रदर्शन होने पर भी नयी सुविधाऐं तथा छूटें प्रदान की गई हैं पिछले वर्ष के बजट में बड़ी उदारता के साथ उन्हें 16000 करोड़ रुपये की छूटें, सुविधाएं दी गई थीं। विदेशी कम्पनियों के मामले में करों को 48 प्रतिशत से कम कर 40 प्रतिशत कर दिया गया, उन्हें नये संयंत्रों तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत मूल्य ह्रास (डैपरिसिएशन) की अनुमति दी गई, अप्रवासी भारतीयों को अपने ब्याज तथा आय ले जाने की स्वतंत्रता दी गई, म्युचुअल फंड्स को देश में निवेश में कमी होने पर भी विदेश में अपने धन का निवेश करने की स्वतंत्रता दी गई; ये कुछ ऐसे आर्थिक उपहार हैं जो राष्ट्रीय राज कोष में से पूंजीपतियों तथा भूमिपतियों की श्रेणी और विदेशी लाबी को दिये गए। इसके साथ ही 50 वस्तुओं से आरक्षण समाप्त कर दिया गया है; पहले इन वस्तुओं के उत्पादन कार्यों में लघु उद्योगों का बर्चस्व था; इसके दुष्परिणामस्वरूप वे किनारे लग जाएंगे जबकि देशी तथा विदेशी इजारेदार घरानों दोनों को इससे लाभ होगा। इसके साथ ही साथ कृषि का पूर्ण विनियमीकरण करने की नीति घोषित की गई; इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्णतया भूमिपतियों—पूंजीपतियों की जुंडली के नियंत्रण में दे देना है; इससे कृषि क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहन मिलेगा और गरीब किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों की दशा और अधिक शोचनीय हो जाएगी।

45. सरकार की जनविरोधी मनोभावना का स्पष्ट प्रकटीकरण उस समय हो जाता है जब उसके द्वारा राजस्व अर्जित करने के मामले में गरीब श्रेणियों को अपने हमलों का लक्ष्य बनाया जाता है। पिछले वर्ष औद्योगिक मंदे तथा नैगम लाबी को करों से छूट देने की आपराधिक कार्रवाईयों के चलते राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। नैगम कर, आय कर, केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी करों की पिछली बकाया राशि वर्ष 2000 में 62000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। यह राशि अधिकतर बड़े नैगम घरानों की ओर ही बकाया थी। इसी नैगम लाबी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से 80000 करोड़ रुपये की राशि हड़प ली है; जो अब बट्टे खाते में पड़ी है; 1,20,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी ब्याज की देनदारियां इससे अलग हैं। कर चोरी करने वाले अपराधियों से करों तथा बट्टे खाते में पड़ी राशि की वसूली करने के स्थान पर वर्तमान बजट में उन पर और भी अधिक छूटों—सुविधाओं की वर्षा की गई है। दूसरी ओर सरकार ने आय कर के जाल को और नीचे तक फैला दिया है और सबसे कम वेतन पाने वाले संगठित क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को भी आय कर के अन्तर्गत लाया जा चुका है। वेतनों के अतिरिक्त सभी मूलभूत कल्याणकारी लाभों तथा भत्तों को भी आय कर के घेरे में लाया गया है। सत्यनिष्ठ आय कर दाताओं की लूट मचाई जा रही है; कर चोरी करने वाले अपराधियों को मालामाल किया जा रहा है। वाजपेयी सरकार की बजट कार्रवाई में पूरी कृपा इन्हीं कर चोरों पर की गई है।

46. वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में अर्थ व्यवस्था प्रमुख रूप से ऊर्जा, सड़कों तथा रेलवे में उच्चतर सार्वजनिक निवेश के माध्यम से मांग को बढ़ाने का दिावा किया था। उन्होंने इन क्षेत्रों में 22, 39 तथा 23 प्रतिशत केन्द्रीय योजना व्यय बढ़ाने का दावा भी किया था, यदि इन व्ययों

के गणित को निकट से देखें तो हमें बजट भाषण में किये जा रहे झूठे प्रस्तुतिकरणों की वास्तविकता का पता चल जाएगा। बजट का गणित दर्शाता है कि तीनों क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा, सड़कें तथा रेलवे को पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा 400 करोड़ रुपये की कम बजट राशि का आबंटन होगा। इन क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय योजनागत व्यय में वृद्धि आंतरिक तथा बाह्य बजट स्रोतों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से होने की सम्भावना है; वर्तमान स्थिति जिसमें वे स्वयं सरकार की ही शत्रुतापूर्ण नीति के फलस्वरूप फंस चुके हैं, को देखते हुए उसका कार्यान्वयन अत्यंत अनिश्चित है।

47. यही नहीं, इस वर्ष का बजट केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के संघीय ढांचे को विकृत कर देने वाला उपकरण बन गया है; इस बजट के द्वारा राज्यों को केन्द्रीय धन का आबंटन कोष/बैंक निदेशित तथाकथित सुधारों के साथ जाड़ दिया गया है। इस खेल का मनोरथ राज्य सरकारों को अपनी सभी सीमाएं होने पर भी अपने विकास कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढ़ने से रोकना है।

48. समग्र रूप में इस वर्ष केन्द्रीय बजट में उन्हीं नीतियों का अनुपालन किया गया है जो नब्बे के पूरे दशक में सभी मानकों के अनुसार विफल रही हैं—वे कुछ भी कर पाने में सफल नहीं रही; उनके फलस्वरूप न विकास हो पाया है, न रोजगार का सृजन हुआ है और न ही गरीबी की स्थिति में भी किंचित सुधार हुआ है।

49. बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ ही निर्यात नीति की घोषणा समस्या के गलत उपचार की एक और उदाहरण है। वास्तव में, यह नैगम घरानों एवं विदेशी लाबी को और अधिक सुविधाएं देने का बहाना है। पिछले वर्ष निर्यातोन्मुखी उद्योगों को भारी सुविधाएं—छूटें दी गई थीं, किन्तु उसका परिणाम क्या निकला? निर्यात के मोर्चे पर स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई। पिछले वर्ष अप्रैल-सितम्बर तक भारतीय निर्यातों में पूर्णतया गिरावट दर्ज की गई थी—डलर के मूल्य में लगभग 18.40 करोड़ अमरीकी डालर (इकनामिक सर्वेक्षण)। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल 2001—फरवरी 2002 के मध्य निर्यातों में केवल 0.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि हमारे वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में जारी किये गए अपने वक्तव्य में मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष में निर्यातों में नकारात्मक वृद्धि की सम्भावनाओं को रद्द नहीं किया था (इकनामिक टाइम्स 2-04-2002)। भारतीय उद्योगों के परिसंघ (सी आइ आइ) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण अधीन 48 निर्यातोन्मुखी उद्योगों में से 34 उद्योगों में गिरावट आ रही थी अथवा उनमें माध्यम दर्जे की वृद्धि हो रही थी (बिजनस स्टैंडर्ड, 8-04-2002)।

50. किन्तु इस समस्या की जड़ कहीं और है, जिसे हमारे नीति निर्माता उसे देखने से इन्कार कर रहे हैं। मंदे का शिकार भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था की इस अवधि में विकसित देशों द्वारा संरक्षणात्मक कार्रवाईयों में वृद्धि करते चले जाना ही इन समस्याओं की जड़ है। पिछले वर्ष विश्व व्यापार के आकार में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होने की बात कही गई थी और 11 सितम्बर की घटना के पश्चात् उसमें और गिरावट आना निश्चित ही है। इस प्रकार की स्थिति में निर्यात मोर्चे पर निर्भर करना और घरेलू बाजार की स्थिति में सुधार लाने के कार्य की अनदेखी करने का परिणाम और अधिक विफलता के रूप में निकलेगा तथा राजस्व का अर्जन कम हो जाएगा। अमरीका ने पहले ही भारत के विभिन्न निर्यातों पर डम्पिंग-विरोधी आक्रामक कार्रवाईयां शुरू कर दी हैं। पूरोपीय संघ के भी इसी मार्ग का अनुसरण किये जाने की सम्भावना है। इसके चलते भारतीय निर्यातों के लिये विदेशी बाजार की सुलभता सीमित हो जाएगी अथवा उसमें निरंतर गिरावट आती चली जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिये उपर्युक्त कदम उठाने चाहिए थे। इसके विपरीत सरकार ने व्यापक स्तर पर आयातों को उदार बना दिया है। विभिन्न छूटों तथा सुविधाओं के रूप में निर्यातों को प्रोत्साहन देना केवल एक व्यर्थ की कार्रवाई है और इससे राजकोष का क्षरण होता है। इसका दुष्परिणाम निर्यातोन्मुखी इकाईयों सहित स्वदेशी औद्योगिक वृद्धि में आ रही गिरावट के रूप में दिखाई देने लगा है।

51. प्रत्येक बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय वित्त मंत्री पूरी गम्भीरता (या वे इसका दिखावा करते हैं) के साथ टिप्पणी करते हैं कि ''गिरावट का समय लगभग समाप्त हो चला है'' अथवा ''हम अंधेरी गुफा में से लगभग बाहर निकल चुके हैं और बहाली का दौर शीघ्र शुरू हो जाएगा।'' औद्योगिक लाबी भी वित्त मंत्री की ताल से ताल मिलाती है। किन्तु बजट प्रस्तुत होने के तत्काल पश्चात् लोगों की बुरी तरह लूट मचाई जाती है और पूंजीपतियों को सभी प्रकार के उपहारों से मालामाल कर दिया जाता है।

52. इस बार भी सी आइ आइ के सर्वेक्षण में यही चाल चली गई है। सी आइ आइ के सर्वेक्षण की रिपोर्ट यह बताने के लिये विवश हुई है कि मूलभूत वस्तुओं तथा पूंजीगत सामग्री के क्षेत्र और उसके साथ-साथ निर्यातोन्मुखी उद्योगों में समग्र रूप से रिकार्ड गिरावट आई है; आखिरकार उसे टिप्पणी करनी पड़ी : ''कुछे क क्षेत्रों में पुनरुद्धार के स्पष्ट चिह्न दिखाई दिये हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उनमें सुधार होने लगेगा, यह बात सुधारों के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। उद्योग की प्रगति के लिये नीतिगत वातावरण को और कारगर बनाने की आवश्यकता है'' (बिजनस स्टेंडर्ड, 8-04-2002)। ''कारगर बनाने से उनका तात्पर्य और अधिक सुविधाओं से है। क्या इससे भी अधिक पाखण्ड

और कोई हो सकता है ?

सार्वजनिक क्षेत्र का परिसमापन

53. कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को किसी भी मूल्य पर बेच देने के लिये सरकार की जबरदस्त गतिविधि देखी गई। उसकी प्रत्येक कार्रवाई इन इकाईयों के शेयर कम करने की थी और या उन्हें पूर्णतया बेच देने की थी; कार्रवाईयों में भारी अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार हुआ है। कैग तथा स्थायी संसदीय समिति ने इन अनियमितताओं तथा राजकोष को बार-बार क्षति पहुंचाए जाने की ओर संकेत किया था।

54. मार्डन फूड तथा बाल्को के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाईयों को बेचा गया; उन्हें बेचने की प्रक्रिया भ्रष्ट ढंग से चलाई गई अथवा ये प्रक्रियाएं घोटालों से परिपूर्ण थीं। उन्हें उनके न्यूनतम आरक्षित मूल्य से भी कहीं कम मूल्य पर बेचा गया और इस मूल्य का निर्धारण भी स्वयं विनिवेश मंत्रालय द्वारा गटित एक अभिकरण की ओर से किया गया। वी एस एन एल जैसी बहुत लाभ पर चलने वाली इकाई इस वर्ष सरकार द्वारा कम्पनी से प्राप्त किये गए लाभांश से भी कम मूल्य पर टाटा परिवार की झोली में डाल दी गई। भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइ टी डी सी) के नौ होटलों जो देश के प्रमुख नौ शहरों के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में स्थित हैं, को उनकी विशाल रियल एस्टेट सम्पत्तियों सहित निजी पार्टियों को बेच दिया गया और इसके बदले में सरकार के राजकोष में केवल 181 करोड़ रुपये जमा हुए जो उनकी भूसम्पत्ति के एक छोटे से भाग के मूल्य को भी पूरा नहीं करते; उनके विशाल एवं शानदार भवनों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की तो बात ही मत कीजिए। सी एम सी, एच टी एल, हिन्दुस्तान जिंक जैसी सार्वजनिक इकाईयों की हड़बड़ी में की गई बिक्री की कहानी भी लगभग इसी प्रकार की है। अब जेसोप जैसा उद्यम रूईया को लगभग मुफ्त में ही दे देने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी ढंग से एयर लाइन्स जैसे अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण एवं सामरिक क्षेत्रों में स्थापित सार्वजनिकं इकाईयों को बेच देने की कार्रवाईयां की जा रही हैं। हवाई अड्डों, कोयला, तेल, ऊर्जा, धतु, भारी इंजीनियरिंग तथा बोगी निर्माता इकाईयों को बेच देने का कार्यक्रम पहले ही बनाया जा चुका है ताकि दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिये 80,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा सके जबकि वर्ष 2002-2003 के लिये एक बार पुन: 12,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

55. सरकारी विभागों तथा रेलवे सहित अन्य विभागीय उपक्रमों में श्रम शक्ति का आकार कम करने के साथ-साथ उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के लिये सामर्थ्य जुटाने के उद्देश्य से दूर संचार विभाग का पहले नैगमकरण करके उसे बी एस एन एल तथा एम टी एन एल में बदल दिया गया है। गोदी एवं बंदरगाह तथा रक्षा उत्पादन इकाईयों का नैगम करण करने की बात 2002-03 के बजट में कही गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजीकरण को सुगम तथा सहज बनाने के लिये उन्हें पुनर्गठन के नाम पर अनेक टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यह काम अधिकतर विदेशी सलाहकारों के परामर्श पर किया जाता है और इन सलाहकारों को इसके लिये भारी भरकम "पारिश्रमिक" दिया जाता है। सार्वजनिक इकाईयों की सामरिक बिक्री के लिये उठाए जा रहे ये सभी कदम भारतीय संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल हैं और विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेशित नीति के अनुसार उठाए जा रहे हैं।

56. दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को कामबंदी की ओर धकेला जा रहा है; उनका बिस्तर गोल किया जा रहा है। बीमार सार्वजनिक इकाईयों के अधिकांश मामलों में कामबंदी के निर्णय की घोषणा पहले की जा चुकी थी, उनके पुनरुद्धार का पैकेज उस वित्तीय लागत से कहीं कम है जो कामबंदी के लिये वी आर एस तथा अन्य भुगतानों पर आती है। इस्को के मामले में एक विशिष्ट उदाहरण देखने को मिलती है; देश में इस अत्यंत साधन सम्पन्न तथा सम्भावित रूप से जीवनक्षम समेकित इकाई को सरकार की उदासीनता तथा अनिर्णय के कारण बर्बाद होना पड़ा है। एक और उदाहरण ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (ई सी एल) की है; यह कम्पनी देश को अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करती थी; सरकार ने उसे बर्बाद करने की कार्रवाईयां की, उसकी कोलियरियों को बंद कर दिया गया जबकि उनके पास अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के विशाल भण्डार थे; यह काम भी कम्पनी का वित्तीय पुनरुद्धार करने के नाम पर किया गया।

57. सरकार ने इसके लिये जहां बी आइ एफ आर का मार्ग अपनाया वहीं अनेक बीमार एवं घाटे पर चल रही किंतु सम्भावित रूप से जीवनक्षम सार्वजनिक इकाईयों की कामबंदी करने की प्रक्रिया तेज कर दी; यह काम सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किये बिना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए किया गया और केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के माध्यम से इसके लिये उदारतापूर्वक अनुमति दी गई। जिन सार्वजनिक इकाईयों के मामले बी आइ एफ आर के पास थे, सरकार ने उनमें वेतन संशोधन करने से इन्कार

कर दिया; कुछेक मामलों में यह काम दो चक्रों में किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक बीमार तथा घाटे पर चलने वाली इकाईयों के श्रमिकों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है; कुछेक मामलों में श्रमिकों को 25 महीनों से वेतन नहीं मिला। अब बीमार औद्योगिक कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम (सिका) को निरस्त किया जा रहा है और कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी बीमार कम्पनियों के फास्ट ट्रेक परिसमापन को सहज बनाया जा सके।

58. केन्द्रीय विनिवेश मंत्रालय ने ''निजीकरण की नियमावली'' तैयार की है। इस नियमावली के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए नुस्खे के अनुसार फास्ट ट्रैक निजीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सम्पदा की लूट मचाने की प्रक्रिया को कानून सम्मत एवं सुनियोजित बनाया गया है। बिक्री पर लगाई जा चुकी सार्वजनिक इकाईयों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों की चर्चा जहां विस्तार से की गई है वहीं पर यह नियमावली एक और विशेष विधि का सुझाव भी देती है—''डिस्काउंटिड कैश फलो मैथड (डी सी एफ), यह विधि बिक्री के लिये रखी गई सार्वजनिक इकाईयों का मूल्य बहुत कम निर्धारित करती है और इस मामले में उसकी परिसम्पत्तियों के विशाल आधार तथा उसके तबादले के मूल्य की ओर भी ध्यान नहीं देती; इसका एकमात्र उद्देश्य सम्भावित क्रेताओं को लाभ पहुंचाना है।''

59. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वर्षों तक कड़ा परिश्रम करके बनाई गई विशाल राष्ट्रीय सम्पदाओं के वास्तविक मूल्य का आंकलन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए किन्तु विनिवेश मंत्रालय की ओर से बनाई गई नियमावली (मैन्युअल) के अन्तर्गत उनकी ''परिसम्पत्ति के मूल्यांकन की विधि'' के अन्तर्गत यह काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। नियमावली ''डिस्काउंटिड कैश फलो'' विधि लागू करने की संस्तुति देते समय एक कदम और आगे चली गई है; उसने परामर्श दिया है कि बिक्री वाली कम्पनी की नकदी के सम्भावित प्रवाह पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बिक्री के पश्चात् कम्पनी के आधुनिकीकरण, पूंजी के हस्तांतरण, विपणन इत्यादि पर होने वाला खर्च नये स्वामी को वहन करना पड़ेगा। यदि उसके सुझाव को कार्यरूप दिया जाता है तो ''कैश फलो'' का मूल्यांकन उसके मूल्य को और नीचे ले आएगा जिससे सम्भावित क्रेता कम मूल्य में इकाई को खरीद सकेगा।

60. सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाईयों के मामले में जिन्हें पुनर्गठन के नाम पर खण्ड खण्ड किया जा चुका है, यह प्रक्रिया सम्बन्धित इकाईयों की स्थिति और दुर्बल बना देगी और डी सी एफ विधि के अनुसार उनके ''कैश फलो'' में कमी को सुनिश्चित बनाएगी और इस प्रकार उन्हें बहुत कम मूल्य पर बेचा जा सकेगा। इसी लिये सेल को बहुविध ''विशेष कारोबारी इकाईयों'' में विभक्त किया जा रहा है; यह तो इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की प्रस्तावना है; पहले उन्हें तोड़ा जाएगा और फिर एक-एक करके बेचा जाएगा। तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयों में भी इसी प्रकार की कार्रवाईयां की जा रही हैं। कुछ वृहत् सार्वजनिक इकाईयों की एकरूपता को भंग करना भी इस प्रक्रिया की एक समर नीति का अंग है; इसका उद्देश्य निजीकरण को सुगम-सरल बनाना तथा निजी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है।

61. अत: निजीकरण की पूरी प्रक्रिया मिट्टी के मोल सार्वजनिक परिसम्पत्तियां निजी हाथों में दे देने का एक उपकरण बन चुकी है; यह राष्ट्रीय हितों तथा विशेष रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत घातक है। यह सारी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के कीचड़ से लथपथ है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों और वह भी लाभ पर चलने वाली इकाईयों के विनिवेश/निजीकरण की मूल अवधारणा ही दीवालिया नीतिगत अवधारणा है; यह देश के साथ धोखा है और देश की जनता के साथ फरेब है।

62. निजीकरण के एक और पक्ष की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। निजीकरण की नीति का दीवालियापन जग जाहिर होने लगा है; अनेक देशों में इसके रहस्योद्घाटन चौंका देने वाले हैं, उनमें इस प्रक्रिया को बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। वे देश जो पिछले डेढ़ दशक में निजीकरण की प्रक्रिया के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने अब चुपचाप उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमरीका के कैलिफोर्निया राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को अनेक कम्पनियों में विभक्त करके उनका निजीकरण किया गया था; उसके चलते ऐसी गड़बड़ी मची कि सरकार को उसका नियंत्रण पुन: अपने हाथों में लेना पड़ा है। ब्रिटिश सरकार ने थैचर के शासन काल में बड़े-बड़े धूमधड़ाके के साथ रेलवे का निजीकरण किया था; उनके कार्यों के अनुसार अनेक कम्पनियों के रूप में विभक्त किया था। किन्तु एक दशक का अनुभव क्या रहा? ब्रिटेन की सबसे बड़ी कम्पनी—रेल ट्रैक—का परिसमापन हो गया और युनाइटिड किंगडम की सरकार को एक बार पुन: चुपचाप पूरा रेलवे प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ा। यही कहानी न्यूजीलैंड में एयर लाइन्स के निजीकरण की है; वहां सरकार ने देश में पूरे एयर लाइन्स क्षेत्र की गड़बड़ियों को देखते हुए उसका पुन: राष्ट्रीयकरण कर डाला। ये कुछेक गिनी चुनी उदाहरणें हैं। किन्तु विश्व भर में इस प्रकार के अनेक मामले निजीकरण की नीति के व्यर्थ होने की कहानी को जग जाहिर करते हैं। ये देश अर्थात् अमरीका, यू के तथा भारत तथा अन्य विकासशील देशों के मामले में तो थोक के भाव निजीकरण करने के सुझाव

दे रहे हैं किन्तु स्वयं उनके अपने यहां क्या हो रहा है ? वहां यह पूरी की पूरी प्रक्रिया फलाफ हो चुकी है। उनके मनोरथ स्पष्ट हैं। वे चाहते हैं कि विकाशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट में फंस जाएं ताकि इसका लाभ उठाकर वहां साम्राज्यवादी शक्तियों की दादागिरी स्थापित की जाए।

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले

63. भारत सरकार द्वारा नियुक्त दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये बिना ही उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप श्रम कानूनों में परिवर्तन लाने की सिफारिश करने का निर्णय ले लिया है। किन्तु वित्त मंत्री ने अपने उत्तरोत्तर बजट भाषणों में घोषणा की है कि श्रम कानूनों में दूरगामी संशोधन किये जाएंगे, इस प्रकार उन्होंने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग को उपहास का विषय ही बना डाला है। रोजगार पर योजना आयोग के कामकाजी दल ने कुछ और संस्तुतियां दी हैं, इन संस्तुतियों को रोजगार की गंभीर स्थिति के ''उपचार'' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं कर सकता।

64. ट्रेड यूनियन अधि नियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। यह अपनी इच्छा के अनुसार श्रमिक संघों का गठन करने के श्रमिकों के अधिकार पर हमला है। श्रमिक संघों की बहुविधता से निपटने के नाम पर श्रमिकों के लिये अपने नये श्रमिक संघों का पंजीकरण कराना लगभग असम्भाव बना दिया गया है।

65. औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान लाए जा सकें जिनके फलस्वरूप उपयुक्त सरकारों को ले आफ, छंटनी तथा उपक्रमों की कामबंदी को प्रभावी बनाने की अनुमति मिल जाए और वे 1000 अथवा उससे अधिक श्रमिकों की संख्या वाले उपक्रमों में ये कार्रवाईयां धड़ल्ले के साथ कर सकें।

66. श्रम कानूनों के एक और क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, यह क्षेत्र संविदा (ठेका) श्रम से संबंधित कानून से संबंध रखता है। उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया के मामले में दिए गए स्वयं अपने ही पहले निर्णय को बदलकर सेवा योजकों की श्रेणी को प्रसन्न कर दिया है, इसके फलस्वरूप वे जब चाहे श्रमिकों को काम पर रख सकेंगे और जब चाहे उन्हें निकाल सकेंगे, उनके इस अधिकार पर कोई अंकुश नहीं होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि संविदा श्रम कानून में और संशोधन किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आधारभूत तथा गैर आधारभूत दोनों प्रकार के कामों को बाहर से ठेके पर कराया जा सकेगा। प्रधान मंत्री द्वारा व्यापार एवं उद्योग पर गठित कामकाजी दल जो सेवा योजकों के प्रतिनिधियों पर आधारित है और आहलूवालिया समिति की रिपोर्ट में श्रम कानूनों में अनेक संशोधन करने की संस्तुतियां दी गई हैं, इनका उद्देश्य श्रमिकों द्वारा दशकों तक कठोर संघर्ष चलाकर प्राप्त किये गए ट्रेड यूनियन गुलामी की भट्ठी में झोंक देना है।

67. एन डी ए सरकार बीमार औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) संबंधी अधिनियम को निरस्त कर देने तथा बी आइ एफ आर एवं ए ए आइ एफ आर का बिस्तर गोल करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है। एक और विधेयक लाकर सरकार ने राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणों के गठन का प्रस्ताव किया है, इसके फलस्वरूप इन इकाईयों के फास्ट ट्रैक परिसमापन में सहायता मिलेगी और उनके पुनरुद्धार अथवा पुनर्वास की कोई चिन्ता नहीं रहेगी।

68. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले का एक और आयात सेवा योजकों द्वारा पागलपन की सीमा तक जाकर वर्तमान सभी श्रम कानूनों के उल्लंघन की कार्रवाइग्ां हैं, इसमें उन्हें प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है, उदारीकरण की सत्ता लागू होने के पश्चात् यह प्रवृति विशेष रूप से बढ़ी है। अनेक राज्यों में अधिकारिक रूप से निरीक्षण करने की व्यवस्था बंद की जा चुकी है और जहां कहीं यह व्यवस्था है भी वहां अंतरंग आदेश जारी करकेनिरीक्षकों को उच्चतम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लिये बिना निरीक्षण के लिये जाने से रोक दिया गया है।

69. इस स्थिति का लाभ उठाकर न्यूनतम वेतनों, वेतनों के भुगतान, रोजगार रजिस्टर रखने, दुर्घटना की क्षतिपूर्ति, कामकाजी घंटों, महिलाओं के रात्रि पाली कार्य इत्यादि श्रमिकों से संबंधित लगभग सभी कानूनों को अधिकांश राज्यों में सेवा योजकों द्वारा पांवों तले रौंदा जाता है। यदि उल्लंघन की इन कार्रवाईयों की शिकायत दर्ज कराई जाती है तो कानून लागू करने वाले अधिकारी उसकी अनदेखी कर देते हैं, श्रमिकों द्वारा इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया जाता है तो सेवा योजक प्रतिशोध की कार्रवाईयां करते हैं और पुलिस तथा प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए जाने के नाम पर बर्बर अत्याचार किये जाते हैं। वास्तव में हाल ही की अवधि में विशाखापत्तनम में ई पी जैड श्रमिकों, हरियाणा में पत्थर खदान तथा धागा मिलों के श्रमिकों द्वारा चलाए गए कुछेक प्रमुख संघर्षों के मुद्दे- प्रमुख रूप से वर्तमान श्रम कानूनों को लागू किये जाने के साथ सम्बन्ध रखते

हैं। इनके लिये श्रमिकों को सेवा योजकों तथा प्रशासन के बर्बर दमन चक्र का सामना करना पड़ा था।

70. देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार श्रम कानूनों को लागू करने वाले तंत्र का यही रुख है। इसके अतिरिक्त कामकाजी स्थलों पर द्वार सभाओं तथा प्रदर्शन करने जैसी ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर न्यायिक आदेशों के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सरकार चलाने वाले संस्थान उदारीकरण के इस युग में श्रमिक वर्ग के प्रति कितना कठोर रुख अपनाते हैं और कितने अधिक विरोध की भावना से भरे हुए हैं, उसकी पोल इसी तथ्य से खुल जाती है।

71. भारत में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन ने श्रम कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लाने की कार्रवाईयों का एकजुट होकर विरोध किया है। किंतु विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों पर काम करने वाली एन डी ए सरकार श्रमिक संघों द्वारा संयुक्त रूप से व्यक्त किये जा रहे विरोध के स्वर को सुनना ही नहीं चाहती। इसलिये श्रमिक आंदोलन के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वे जबरदस्त संघर्ष चला कर इसका प्रतिकार करें और पैशाचिक परिवर्तनों की इन कार्रवाईयां का मुंह तोड़ उत्तर दें तथा उन्हें परास्त करें॥

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर हमले

72. आर्थिक व उदारीकरण के साथ ही साथ ''सामाजिक सुरक्षा'' तथा ''सामाजिक सुरक्षा कवच'' की बातें प्राय: की जाती हैं, यह सुधारों को ''मानवीय स्वरूप'' देने की एक चाल हैं। किन्तु भारत सरकार इनके लिये तनिक भी चिंतित नहीं है।

73. भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं जैसे कुछेक कार्यक्रमों को दशकों तक कार्यान्वित किये जाने पर भी एक समन्वित एवं सुसंगत नीति के अभाव से त्रस्त रही है और श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण संख्या इनकी परिधि से बाहर रही है।

74. सामाजिक सुरक्षा पर कामकाजी दल ने अपने प्रतिवेदनों में इस सम्बन्ध में कटु टिप्पणियों की हैं :

> ''यद्यपि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम/योजनाएं अनेक वर्षों से चलती रही हैं तथापि देश में सामाजिक में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था अनेक दुर्बलताओं से ग्रसित रही है जैसे सामाजिक सुरक्षा के लिये योजना, मनोरथ अथवा नीति का नहीं होना, इनके कार्य क्षेत्र एवं अधिकारों का सीमित होना और इनका कर्मचारियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित रहना, वेतन जाम, रोजगार के प्रवेश द्वार तथा उनके कार्य क्षेत्र के एक सामन मानदण्ड का नहीं होना, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले तथा स्व: रोजगारों में लगे श्रमिकों को इस संरक्षण से बाहर रखा गया हे जबकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कहीं अधिक आवश्यकता है...''

75. किन्तु एन डी ए सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है और उसने कामकाजी दल की रिपोर्ट को बहस के लिये त्रिपक्षीय श्रम मंच पर प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता अनुभव नहीं की जहां इसी सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही श्रम कानूनों में संशोधन लाने की कार्रवाईयां तेज की है वहीं उसने सामाजिक सुरक्षा पर रिपोर्ट को समीक्षा के लिये आयोग के पास भेज दिया है। यह दुरंगी चाल चलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

76. एन डी ए सरकार सामाजिक सुरक्षा के लाभों भले ही वे श्रमिकों की एक सीमित श्रेणी को प्राप्त हैं, को सुनियोजित ढंग से क्षति पहुंचा रही हैं। भविष्य निधि और उसके साथ लघु बचतों पर ब्याज की दरें 12 प्रतिशत से कम करके 9.5 प्रतिशत कर दी गई हैं, इन्हें और कम किया जा रहा है ताकि श्रमिकों के धन पर डकैती डाली जा सके और कठोर परिश्रम करके श्रमजीवी जनता द्वारा की गई बचत पर धन की वापसी को बचाया जा सके, यह सब सरकार के वित्तीय प्रबंधन को ठीक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

77. केंद्रीय सेवाओं में भर्ती होने वाले नये लोगों को सरकारी पेंशन की वर्तमान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें स्वयं उनके द्वारा दिए गए अंशदान पर आधारित अंशदानी योजना की ओर धकेल दिया जाएगा।

78. कर्मचारी पेंशन योजना को बड़े धूम-धड़ाके के साथ शुरू किया गया था, किन्तु पिछले छ वर्षों में जिस ढंग से उसे लागू किया गया है उससे सी आइ टी यू सहित अनेक श्रमिक संघों द्वारा इस समय व्यक्त किये गए भारी संदेह सत्य सिद्ध हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने इससे संबंधित दायर

मामले पर अपने निर्णय की घोषणा अब तक नहीं की है जबकि उस पर पिछले वर्ष एक मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को थोड़े बहुत लाभ प्राप्त हो रहे थे, सरकार ने उन्हें कम करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

79. पेंशन क्षेत्र में सुधार लाने के नाम पर सरकार वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों की आय को सट्टा बाजार में लगाना है।

80. सत्यं समिति की संस्तुतियों को लागू करने की दुहाई देकर सरकार ई एस आई औषाधालयों तथा अस्पतालों का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त वह इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को प्राप्त लाभों को अत्यन्त सीमित कर देना चाहती है।

81. श्रमिक आंदोलन को प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित से मुद्दे उठाने चाहिए और उसे सरकार की नकारात्मक कार्रवाईयों का प्रतिकार करना चाहिए। उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण की यह प्रक्रिया ही श्रमिकों की अधिक से अधिक संख्या को इन हमलों के चपेट में ले आएगी। औद्योगिक पुनर्गठन के नाम पर व्यापक स्तर पर श्रम शक्ति को कम किया जा रहा है। अधिक से अधिक श्रमिकों को अस्थायी एवं असुरक्षित रोजगारों की ओर धकेला जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा की कार्रवाई में सुधार लाने, तथा उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, यह काम सर्वोपरि महत्व का है। श्रमिक आंदोलन को तत्काल और अनिवार्य रूप से इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

ट्रेड यूनियन कार्रवाई का भूमण्डलीय दिवस

82. कार्य समिति की पिछली बैठक के पश्चात् ''ट्रेड यूनियन कार्रवाई का भूमंडलीय दिवस'' मनाने का आह्वान किया गया था, यह आह्वान ''नव उदार, जनविरोधी भूमंडलीयकरण'' की नीतियों के विरोध में दिया गया था, इसके अनुसार 9 नवम्बर को यह दिवस विश्व भर में मनाया गया। इसका आह्वान आइ सी एफ टी यू, डब्ल्यू एफ टी यू तथा डब्ल्यू सी एल जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा दिया गया था। कार्य समिति ने सी आइ टी यू की सभी इकाइयों को निदेश दिया था कि वे दोहा (कतर) में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक शुरू होने के दिन साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विरोध में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग की संयुक्त लामबंदी के लिये जबरदस्त प्रयास करें।

83. सी आइ टी यू केंद्र ने श्रमिक संघों की कार्रवाई का भूमण्डलीय दिवस मनाने के लिये सभी श्रमिक संघों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पहलकदमी की थी। देश के सभी श्रमिक संगठनों - सी आइ टी यू, एटक, इंटक, बी एस एस, एच एम एस, यू टी यू सी, यू टी यू सी (एल-एस), टी यू सी सी तथा ऐक्टू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी जनता को आह्वान किया था कि वे संयुक्त प्रदर्शनों का आयोजन करके देश व्यापी स्तर पर यह दिवस मनाएं। इस संयुक्त आह्वान के फलस्वरूप पूरे देश में श्रमिकों तथा श्रमिक संघों में भारी उत्साह का संचार हुआ था। इसकी तैयारियों के चरण में देश भर में कारखानों के द्वारों, नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में हजारों सभाओं का आयोजन किया गया था। विभिन्न क्षेत्रीय श्रमिक संगठनों जैसे महाराष्ट्र में कामगार आगाड़ी तथा शिव सेना से सम्बद्ध श्रमिक संघ, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक, एम डी एम के तथा टी एम टी यू सी से सम्बद्ध श्रमिक संघों ने भी इस अभियान में भाग लिया था। दसियों लाख पर्चे लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करके श्रमिकों में बांटे गए, हजारों पोस्टर छापे एवं बांटे गए।

84. 9 नवम्बर 2001 को सभी श्रमिक संगठनों द्वारा देश भर में संयुक्त प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में श्रमिकों ने उनमें भाग लिया, भाग लेने वाले श्रमिकों में संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिक थे, लगभग सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में प्रदर्शन एवं सभाएं की गईं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल तथा आंध्र प्रदेश में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अनेक केंद्रों में किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों ने भी बढ़-चढ़ कर प्रदर्शनों में भाग लिया था।

85. हमारी अनेक राज्य समितियों ने कुछेक अपवादों को छोड़कर इस दिवस की तैयारियों के अभियान को गंभीरता के साथ लिया था; उन्होंने न केवल अन्य श्रमिक संघों के साथ मिलकर संयुक्त अभियानों में भाग लिया अपितु उसके साथ ही साथ श्रमिकों की विशाल संख्या में स्वतंत्र अभियान भी चलाया था। कार्रवाई का भूमण्डलीय दिवस मनाने का यह अभियान पिछले महीनों में भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सभी राज्यों में संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलनों की अगली कार्रवाई ही थी। इनके फलस्वरूप देश भर में श्रमिकों में संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्रवाई के लिये उत्साह का संचार हुआ था। इसके चलते सभी राज्यों के असंख्य केंद्रों में संगठित किये गए कार्यक्रमों में श्रमिकों की भारी संख्या ने भाग लिया था।

86. कुछ क्षेत्र अछूते भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तथा राजधानी नगर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के मामले में नेतृत्व ने मात्र औपचारिकता ही निभाई थी जबकि विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास में इस प्रकार की यह पहली कार्रवाई थी। उनकी लामबंदी सम्बन्धित राज्य/केंद्र में सी आइ टी यू की क्षमता से कम थी। स्थानीय कहने की आवश्यकता नहीं कि स्थानीय नेतृत्व इस अवसर के महत्व को समझ नहीं सके और उसने इसे हल्के ढंग से लिया।

14 मार्च का राष्ट्रीय विरोध दिवस

87. देश में सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से आर्थिक नीति के विरोध में राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। देशभर में श्रमिक वर्ग द्वारा इसे शानदार प्रत्युत्तर दिया गया। यद्यपि पहले इंटक इसका आह्वान करने वाले संगठनों में नहीं था, किन्तु उसके पश्चात् हमारे द्वारा प्रेरित किये जाने पर उसने इस कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय ले लिया।

88. केंद्र में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुछेक अपवादों को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में संयुक्त प्रदर्शनों जनसभाओं तथा जुलूसों का आयोजन किया गया। केवल यही नहीं अनेक राज्यों में जिला मुख्यालयों, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तथा औद्योगिक नगरों में भी संयुक्त प्रदर्शन होने के समाचार मिले हैं; सम्बंधित श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक उनमें भाग लिया। कोलकाता में आयोजित रैली में तीस हजार से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया और मुम्बई में श्रमिक तथा सभी श्रमिकों संगठनों के साथ सम्बद्ध श्रमिकों संघों की ओर से आठ किलोमीटर लम्ब जुलूस निकाला गया। चेन्नई, तिरुवनंथपुरम, अगरतला, बंगलौर, जयपुर, शिमला, चण्डीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन किया गया जिनमें हजारों श्रमिकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 15,00,000 से अधिक लोगों द्वारा संसद के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया।

16 अप्रैल की हड़ताल

89. 16 अप्रैल को हुई सार्वजनिक क्षेत्र की देश व्यापी हड़ताल इस मध्यवर्ती अवधि में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की एक और महत्वपूर्ण घटना है। हड़ताल का आह्वान इंटक के केंद्रीय नेतृत्व को छोड़कर अन्य सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से दिया गया था। किन्तु अनेक उद्योग स्तरों पर इंटक यूनियनों तथा गोदी एवं बंदरगाह में इंटक के नेतृत्व वाले महासंघों ने इस हड़ताल में भाग लिया था। यह हड़ताल निजीकरण, श्रम शक्ति कम करने तथा श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों के विरोध में की गई थी। 16 अप्रैल की हड़ताल का विशेष प्रभाव यह है कि सर्वप्रथम सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल का आह्वान सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को किया गया था किन्तु बाद में हड़ताल की परिधि व्यापक हो गई है। राज्य सरकारी कर्मचारियों ने देश भर में हड़ताल में भाग लिया और आंगनवाड़ी श्रमिकों के चार अखिल भारतीय महासंघों की ओर से भी उसी दिन देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया।

90. सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश केंद्रीय इकाईयों, बैंकों तथा बीमा उद्योग में, देश की लगभग सभी बंदरगाहों एवं गोदियों ने कार्यरत श्रमिकों की भारी संख्या ने हड़ताल में भाग लिया और इस प्रकार इस हड़ताल को जबरदस्त सफलता मिली। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा सम्पूर्ण औद्योगिक हड़ताल की गई। झारखण्ड में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की हड़ताल के समर्थन में वामपक्षी दलों ने बंद का आह्वान किया था; उसे भारी प्रत्युत्तर मिला। देश के अधिकांश भागों में राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा आंगनवाड़ी श्रमिकों द्वारा भी जबरदस्त हड़ताल की गई। निजी क्षेत्र तथा अन्य राज्यों में सेवाओं से संबंधित श्रमिकों द्वारा संयुक्त रूप से एकजुट होकर कार्रवाईयां किये जाने की सूचनाएँ भी मिली हैं। बहस में भाग लेते समय हमारे साथी 16 अप्रैल की हड़ताल की कार्रवाई तथा एकजुटता कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी देंगे।

अन्य संघर्ष

91. इस मध्यवर्ती अवधि में अनेक महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों का आयोजन संयुक्त मंच के माध्यम से किया गया और सी आइ टी यू द्वारा भी स्वतंत्र रूप से पहलकदमियां की गईं। कमजोर राज्यों में श्रमिक वर्ग की जुझारू कार्रवाइयां होते देखी गईं।

92. सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस तथा बी एम एस से सम्बद्ध श्रमिक संघों के संयुक्त आह्वान पर कोयला खदानों के निजीकरण की कार्रवाई के विरोध में 3-5 दिसम्बर को तीन दिवसीय हड़ताल की गई; हड़ताल में देश भर की सभी कोलियरियों तथा प्रतिष्ठानों के 85 प्रतिशत से

अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। यद्यपि इंटक के केंद्रीय नेतृत्व ने हड़ताल के आह्वान को अपना समर्थन नहीं किया था किन्तु इस पर भी कोलियारियों में सक्रिय इंटक के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों ने हड़ताल की पूर्ण सफल बनाने के लिये उसके अभियान में भाग लिया था।

93. विशाखापत्तनम में निर्यात प्रसंस्करण अचंल के श्रमिकों द्वारा दो चरणों में हड़ताल की गई; पहले अक्टूबर 2001 में दस दिन लम्बी हड़ताल की गई और उसके पश्चात् 10 जनवरी को 39 दिन लम्बी हड़ताल की गई। श्रमिकों ने साहस के साथ पुलिस के दमन चक्र का सामना किया, व्यापक स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां की गईं और पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई; ये दोनों हड़तालें इस अवधि की उल्लेखनीय कार्रवाइयां थीं। सी आइ टी यू ने वी ई पी जैड के श्रमिकों को संगठित करने के लिये पहलकदमी की थी; ये दोनों कार्रवाईयां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधन तथा राज्य प्रशासन के विरोध में की गई थी; इस औद्योगिक शहर के जन साधारण तथा अन्य श्रमिक संघों की ओर से दोनों हड़तालों को पूरा समर्थन दिया गया।

94. बीड़ी श्रमिकों द्वारा संयुक्त रूप से 27 नवम्बर 2001 को संसद के समक्ष प्रदर्शन करना एक और महत्वपूर्ण घटना है; उसमें देश भर के 20,000 से अधिक बीड़ी श्रमिकों ने भाग लिया; ये श्रमिक सभी श्रमिक संगठनों के साथ सम्बन्ध रखते थे।

95. आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 1,25,000 श्रमिकों द्वारा 15 अक्टूबर 2001 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। वेतन संशोधन की मांग पर यह हड़ताल सभी श्रमिक संघों पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में की गई थी। हड़ताल 24 दिन जारी रही; इसी मध्य पुलिस द्वारा जबरदस्त दमन चक्र चलाया गया तथा व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गई; श्रमिकों को निलम्बित किया गया तथा प्रतिशोध की कार्रवाइयां की गई; किन्तु श्रमिक दृढ़तापूर्वक हड़ताल की कार्रवाई करते रहे; उनके समर्थन में न केवल अन्य क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों अपितु सभी प्रतिपक्षी दलों द्वारा भी एकजुटता की कार्रवाईयां की गईं। राज्य सरकार को आखिर हड़ताली श्रमिक संघों के साथ 7 नवम्बर को राज्यव्यापी हड़ताल के दृष्टिगत समझौता करने पर विवश होना पड़ा; हड़ताली श्रमिकों के समर्थन में 8 नवम्बर को यह हड़ताल करने का आह्वान श्रमिक संघों तथा स्वतंत्र महासंघों द्वारा किया गया था जिसे कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी दलों ने बंद का आह्वान करके अपना समर्थन दिया था।

96. तमिलनाडु में 1.25 लाख परिवहन श्रमिकों तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के 30,000 श्रमिकों की ओर से भी सब के लिये बोनस की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में 10 नवम्बर 2001 को अनिश्चितकाल की हड़ताल शुरू की गई। यह हड़ताल लगभग एक महीना जारी रही; पुलिस के हमले, व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां भी श्रमिकों के साहस को कम नहीं कर सकी। यह हड़ताल गिरफ्तारियां देने के राज्य व्यापी कार्यक्रम के साथ-साथ जारी रही; इस कार्यक्रमों में न केवल हड़ताली श्रमिकों अपितु अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समर्थन में किये गए प्रदर्शन सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण एकजुटता की कार्रवाईयां थीं। हम प्रक्रिया में 15,000 से अधिक श्रमिकों ने गिरफ्तारी दी। हड़ताल के समर्थन में 23 नवम्बर को राज्य में सफल हड़ताल की गई। श्रमिकों द्वारा की गई इन संयुक्त जुझारू कार्रवाइयों के कारण ही राज्य सरकार को हड़ताल समाप्त कराने तथा समझौते के लिये आगे आना पड़ा था।

97. हरियाणा के भिवानी जिले में पत्थर खदान श्रमिकों की हड़ताल डेढ़ महीने तक चली; सी आइ टी यू के नेतृत्व में यह हड़ताल 2 फरवरी से शुरू हुई थी; यह भी इस समीक्षा अवधि की एक उल्लेखनीय घटना है। श्रमिकों की मांग थी कि खनन अधिनियम को लागू किया जाए, श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए, सुरक्षा के मूलभूत प्रावधान किये जाएं, दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति दी जाए और ठेकेदारों द्वारा पत्थर की गैर कानूनी ढुलाई बंद की जाए। प्रशासन द्वारा विशाल स्तर पर गिरफ्तारियां करके तथा श्रमिकों एवं ग्रामीणों को आंतकित करने के लिये बर्बर हमले करके, अंधाधुंध मारपीट करके जिनमें घायल होने वालों में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल थे और सम्पूर्ण खनन क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील करके इस हड़ताल को कुचल देने का प्रयास किया गया। सीधे मुख्यमंत्री के उकसाने पर पुलिस का दमन चक्र इस सीमा तक पहुंच गया कि उसके द्वारा पहाड़ खान मजदूर यूनियन के कार्यालय को ही बंद कर दिया गया। यूनियन के लगभग पूरे नेतृत्व को ही गिरफ्तार कर लिया गया; गिरफ्तार होने वालों में सी आइ टी यू ए की हरियाणा राज्य समिति के महासचिव कामरेड सतबीर सिंह भी शामिल थे; उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे भिवानी के उपायुक्त के निमंत्रण पर बातचीत के लिये उनके कार्यालय गए थे और बातचीत के पश्चात् बाहर आने पर उन्हें पकड़ कर झूठे आरोपों में डेढ़ मास से अधिक समय तक जेल में डाले रखा गया। यह हड़ताल 20 मार्च तक जारी रही और प्रमुख मुद्दों पर जिला प्रशासन को पहले ही समझौता करना पड़ा। पत्थर खदान श्रमिकों के संघर्ष के समर्थन में भी अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों तथा किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं के अन्य जनसंगठनों द्वारा एकजुटता की राज्य व्यापी कार्रवाई की गई।

98. मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दैनिक वेतन दर पर काम करने वाले श्रमिकों का संघर्ष इस मध्यवर्ती अवधि में सी आइ टी यू द्वारा

की गई एक अन्य महत्वपूर्ण पहलकदमी थी। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 28,000 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को लामबंद किया और इस प्रश्न पर आंदोलन चलाया। श्रमिक संघों तथा राजनीतिक शक्तियों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिला। इसके साथ ही सी आइ टी यू ने अदालत का द्वार खटखटाया तथा राज्य सरकार की कार्रवाई के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। केवल यही नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश ने भी दैनिक वेतन दर पर काम करने वाले श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से बाहर निकालने सम्बन्धी राज्य सरकार की कार्रवाई को निष्प्रभावी बना दिया।

99. केरल में राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों द्वारा 6 फरवरी से हड़ताल शुरू की गई जो एक महीने तक जारी रही। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन द्वारा हड़ताल के समर्थन में राज्य भर में संयुक्त कार्रवाइयां की गई; इनमें सत्तारूढ़ संयुक्त जनतांत्रिक मोर्चे के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रमिक संघ भी शामिल थे। हड़ताल का निर्णय जनवरी के अंत में वेतनों तथा लाभों में कमी लाने संबंधी सरकार की अधिसूचना के विरुद्ध श्रमिकों की विशाल संख्या द्वारा विरोध की सहज स्वाभाविक कार्रवाइयां किये जाने की पृष्ठभूमि में लिया गया था। राज्य सरकार हड़ताली कर्मचारियों तथा अध्यापकों की एकता तोड़ने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगाया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों लोगों द्वारा हड़ताली कर्मचारियों व समर्थन में सड़कों पर जुलूस निकाले गए, रैलियां की गईं तथा प्रदर्शन किये गए। एकजुटता की इन कार्रवाइयों में न केवल श्रमिकों तथा श्रमिक संघों ने भाग लिया अपितु छात्रों, युवाओं एवं महिलाओं के अन्य जनसंगठनों के कार्यकर्ता भी इनमें सम्मिलित हुए। पांच मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल की गई जिसके कारण राज्य का सामान्य जनजीवन पूर्णतया ठप हो गया। आखिर सरकार को हड़ताली कर्मचारियों के साथ समझौता करना ही पड़ा।

100. इसी मध्यवर्ती अविध में नासिक, महाराष्ट्र में लघु उद्योगों के श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के लिये संघर्ष चलाया गया। संघर्ष की इसी पृष्ठभूमि में सी आइ टी यू की जनरल कौंसिल के सदस्य डाकटर कारद पर मुकद्दमा चलाया गया। और अदालत द्वारा उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की गई है। इस समय डाक्टर कारद जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

101. एफ एम आर ए आइ के नेतृत्व में मेडिकल सेल्ज रिपर्जेंटेटिव्स की और से एक महीने तक देशव्यापी हड़ताल की गई; यह हड़ताल 8 अप्रैल से शुरू हुई थी; यह भी इस अवधि की उल्लेखनीय घटना है। देश में सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा इस हड़ताल का समर्थन किया गया। इनके अतिरिक्त सी आइ टी यू द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य श्रमिक संघों के साथ मिल कर देश भर में आंदोलन एवं लामबंदी की असंख्य कार्रवाईयां की गई हैं।

102. उपरोक्त कार्रवाईयां करने के अतिरिक्त सी आइ टी यू द्वारा लामबंदी तथा आंदोलन के अनेक कार्यक्रम चलाए गए। ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर पूरे देश भर में चलाए गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्र में संघर्ष

103. कार्य समिति की पिछली बैठक में फास्ट ट्रेक निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र में देशव्यापी संयुक्त संघर्षों का निर्माण करने के लिये सी आइ टी यू से श्रमिक संघों की स्वतंत्र पहलकदमियों की आवश्यकता पर बल दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय सी आइ टी यू से संबद्ध श्रमिक संघों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक 2-3 अक्टूबर 2001 को कोलकाता में हुई; उस बैठक में देशभर से सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समन्वय समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार हमारे श्रमिक संघों द्वार सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीति के विरोध में एक महीने तक अभियान चलाया गया जिसकी परिणति 19 अक्टूबर को देश में सभी सार्वजनिक इकाईयों में विशाल प्रदर्शनों के रूप में हुई। अनेक स्थानों से प्राप्त समाचारों के अनुसार दूसरे श्रमिक संघों के साथ जुड़े श्रमिकों ने भी सी आइ टी यू के नेतृत्व में चले अभियान तथा प्रदर्शन में भाग लिया था।

104. इसी अवधि में निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों में देशव्यापी लामबंदी तथा संघर्षों की असंख्य उद्योगवार कार्रवाईयां की गईं। दूरसंचार श्रमिकों की हड़ताल, जे सोप के अधिकारियों तथा श्रमिकों की हड़ताल, विशाखापत्तनम में पी एस यू श्रमिकों के संघर्ष, तमिलनाडु में नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के श्रमिकों का संघर्ष जिन्होंने बड़े साहस के साथ पुलिस अत्याचारों का सामना किया, एस टी सी कर्मचारियों का संघर्ष जिन्होंने बहादुरी के निलम्बनों तथा प्रतिशोध की अन्य कार्रवाईयों का मुंहतोड़ उत्तर दिया इस प्रकार के देशव्यापी आंदोलनों की कुछेक उदाहरणें हैं।

105. सार्वजनिक क्षेत्र श्रमिकों के आंदोलन के संयुक्त मंच अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की संयुक्त समिति की विस्तारित बैठक इसी पृष्ठभूमि में 17-18 नवम्बर 2001 को बंगलौर में गई थी। पी एस यू श्रमिक संघों के सभी घटकों द्वारा इसके लिये उत्साहपूर्वक प्रत्युत्तर दिया गया था। विस्तृत बैठक ने संसद के बजट सत्र के समय नयी दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था और इसी सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में देशव्यापी हड़ताल करने की तिथि की घोषणा की गई थी। विस्तारित बैठक के बाद की अवधि में सी आइ टी यू तथा अन्य श्रमिक संगठनों द्वारा निजीकरण तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सम्मेलन तथा देशव्यापी हड़ताल के लिये सघन प्रचार अभियान चलाया गया।

106. सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च, 2002 को किया गया। उस सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय सभी श्रमिक संघों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर भाग लिया। सम्मेलन में जहां कोचीन शिपयार्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया वहीं इंटक तथा बी एम एस के साथ जुड़े श्रमिक संघ भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन ने निजीकरण, श्रमिकों की संख्या कम करने, श्रम अधिकारों पर हमलों तथा श्रमिकों पर करों का बोझ बढ़ाए जाने के विरुद्ध 16 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया था।

107. 6 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों ने अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संसद के समक्ष धरना दिया। धरने में तीन हजार से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। धरने में भाग लेने वाले श्रमिकों का रुख सरकार की विनाशकारी नीतियों के विरोध में बढ़ रहे आक्रोश का संकेत था।

108. सी आइ टी यू तथा सी पी एस टी यू द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को बेच देने की केंद्रीय सरकार की ताबड़तोड़ घोटालों में भरी कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में नवम्बर के पश्चात् सघन अभियान चलाया गया था; उसके फलस्वरूप देश भर में ऐसा वातावरण बना कि बी एम एस को सी पी एस टी यू का घटक नहीं होने पर भी 16 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में हड़ताल के आह्वान का समर्थन करना पड़ा था। यद्यपि इंटक का राष्ट्रीय नेतृत्व हड़ताल की कार्रवाई करने के लिये सहमत नहीं हुआ किन्तु इंटक के साथ जुड़े अनेक श्रमिक संघों ने उद्योग स्तर पर हड़ताल के आह्वान का समर्थन करने की घोषणा कर दी। गोदी एवं बंदरगाह में इंटक के साथ जुड़े श्रमिकों ने 28 फरवरी को नयी दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष एक धरने का आयोजन किया था; उसी धरने में उन्होंने 16 अप्रैल को हड़ताल की कार्रवाइयों में भाग लेने की घोषणा की थी।

109. उल्लेखनीय है कि रक्षा उत्पादन इकाईयों में सक्रिय सभी श्रमिक संघों ने देश भर में 23-24 अप्रैल की दो दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया था; यह निर्णय रक्षा उत्पादन के क्षेत्र का निजीकरण करने तथा उसमें विदेशी भागीदारी की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार की कार्रवाई के विरोध में लिया गया; हड़ताल का निर्णय लेने वालों में इंटक तथा बी एम एस से जुड़े श्रमिक संघ भी सम्मिलित थे।

110. 16 अप्रैल की हड़ताल के बाद भी निजीकरण का हमला बंद नहीं होगा। निजीकरण की नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को बेच देने की ही नीति नहीं है; यह एक हमला है और भारत जैसे विकासशील देशों के औद्योगिक विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका की लम्बे समय से स्वीकृत नीति को पूर्णतया बदल देने की कार्रवाई है; वि-उद्योगीकरण का अभियान चलाना इसी अभियान का लक्षण है। इसलिये निजीकरण के विरोधी संघर्ष केवल सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के प्रभा मंडल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये अपितु आत्मनिर्भरता तथा जन साधारण के कल्याण के मुद्दों को भी इस संघर्ष के साथ जोड़ना चाहिये।

111. दूसरे, श्रम शक्ति में कमी लाना निजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में ही नहीं अपितु विभिन्न सरकारी विभागों में भी कर्मचारियों की संख्या को कम करने तथा उन्हें अतिरिक्त घोषित करने की जोरदार कार्रवाईयां चल रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के अन्तर्गत विशाल संख्या में सार्वजनिक सेवाएं आती हैं अथवा उन इकाईयों का जनसेवा से निकट सम्बन्ध है जैसे परिवहन, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार, विद्युत, खाद्य निगम, उर्वरक इकाईयों इत्यादि; इन्हें निजीकरण के लिये चुन लिया गया है। वास्तव में; व्यय सुधार आयोग (गीताकृष्णन समिति) सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों का निजीकरण करने तथा उनसे सम्बन्धित श्रम शक्ति का आकार व्यापक स्तर पर कम करने के लिये अपनी संस्तुति (सिफारिश) दी थी। यही नहीं, केंद्रीय सरकार की नीतियां राज्यों को सभी प्रकार की केंद्रीय सहायता को निजीकरण सहित सुधार के तथाकथित कार्यक्रमों के साथ जोड़ देने की है; इसके दुष्परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षा, अस्पतालों, पालिका सेवाओं जैसी जनसेवाओं का पूर्णरूप से या आंशिक रूप निजीकरण करने के लिए विवश हो रही है अथवा वे उनके उपभोक्ता शुल्क बढ़ा रही है जिन्हें चुकाना लोगों की सामर्थ्य में नहीं है। इसलिये श्रमिक आंदोलन द्वारा निजीकरण के वास्तविक स्वरूप को व्यापक रूप से

समझना आवश्यक है क्योंकि यह हमला केवल सार्वजनिक इकाईयों को बेचने के लिये ही नहीं किया जा रहा अपितु देश के आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार तथा रोजगार संभावनाओं को ही नष्ट कर देने के उद्देश्य से किया जा रहा है; इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक सेवाओं से पीछा छुड़ाने अथवा व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं का व्यापारीकरण कर देने का कुचक्र भी है।

112. श्रमिक आंदोलन को निजीकरण के वास्तविक स्वरूप की पोल खोलने के लिये जन साधारण में सघन प्रचार अभियान चलाना होगा और निजीकरण विरोधी संघर्ष में उनका सक्रिय सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करना होगा; इसके बिना इन नीतियों को परास्त नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के आंदोलन के इस कठिन कार्य के लिये तृणमूल स्वर पर श्रमिकों में जागरूकता लाने तथा सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनसाधारण में अभियान जा रही रखने के उद्देश्य से सी आइ टी यू द्वारा की जारी पहलकदमियों का महत्व इसी में निहित है।

113. एक और महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संयुक्त संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखने तथा उसे जुझारू ऊँचाइयों तक पहुंचाने का है। सरकारी कार्रवाइयों की आक्रमकता को देखते हुए विभिन्न संयुक्त कार्रवाईयों के माध्यम से सरकार की नीतियों के विरोध की अभिव्यक्ति संगठित ढंग से होनी चाहिए; विरोध के इन स्वरों में दृढ़ता का जट हो, उनकी बारम्बारता और अधिक होनी चाहिए और उनके माध्यम से श्रमिकों तथा जनसाधारण की बड़ी से बड़ी लामबंदी को सुनिशिचित बनाना चाहिये। सोलह अप्रैल की सफल देशव्यापी हड़ताल के पश्चात् अपने में और मजबूती लानी होगी ताकि हम निरंतर विरोध की कार्रवाईयां करते रहें और इन कार्रवाईयों में श्रमिकों की लामबंदी पहले से अधिक हो तथा इनका क्षेत्र व्यापक हो।

114. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम हमें स्वयं को मजबूत बनाना होगा ताकि हम बड़े संघर्ष के लिये और अधिक शक्तिशाली अभियान चलाने की पहलकदमी कर सकें। हमें यथाशीघ्र सार्वजनिक क्षेत्र में सी आइ टी यू से सम्बद्ध श्रमिक संघों की हमारी अखिल भारतीय समन्वय समिति का सांगठनिक सम्मेलन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना चाहिये ताकि हम अपनी गतिविधियों तथा संघर्ष के वर्तमान चरण में अपने अनुभवों की समीक्षा कर सकें, हम अपनी दुबर्लताओं का पता लगा सकें और सार्वजनिक क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत बना सकें। हमारे लिये उपयुक्त योजना बनाने तथा सघन प्रचार अभियान का एक और कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है; यह काम हम सी पी एस टी यू के स्तर पर समानांतर गतिविधि चलाकर तथा श्रमिकों एवं श्रमजीवी जनता की अन्य श्रेणियों के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा आंदोलन के अनेक देशव्यापी कार्यक्रम चलाकर किया जा सकता है जिनकी परिणति एक और देशव्यापी कार्रवाई के रूप में हो। इसके साथ ही हमें जुझारू संयुक्त संघर्षों को आगे बढ़ाने की सम्भावनाओं का पूरा लाभ उठाना होगा; इसके साथ ही निजीकरण की प्रक्रिया का सामना करने के लिये गोदी एवं बंदरगाह; तेल क्षेत्र, दूरसंचार, विद्युत इत्यादि विशेष क्षेत्रों में संघर्ष को फैलाना होगा।

कपड़ा क्षेत्र

115. कपड़ा क्षेत्र में घटित घटनाओं पर कुछ विचार करना आवश्यक है। यह परम्परागत तथा सबसे बड़े मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्रों में से एक है, इस क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन भी बहुत पुराना है और उदारीकरण की नीति लागू होने की बाद की अवधि में इस क्षेत्र में घटित घटनाओं का गम्भीर प्रभाव समग्र रूप में श्रमिक आंदोलन पर पड़ा है।

116. उदारीकरण की इस अवधि के परिदृश्य में यह अत्यंत महत्व पूर्ण क्षेत्र गहरे संकट की दलदल में फंस चुका है जबकि इस क्षेत्र में सक्रिय रिलायंस, जे के, रेमंड, मफतलाल, ओरके तथा अन्य औद्योगिक घ्रानों के लाभ बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार द्वारा कपड़ा मिलों के लिये 25000 करोड़ रुपये की सब्सिडी युक्त सहायता दी गई थी, यह सारा धन इन्हीं बड़े घरानों की झोली में चला गया है। छोटी तथा मंझौली कपड़ा मिलें विशेष रूप से कामबंदियों का शिकार हो रही हैं। बिजनस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पिछले दो वर्षों की अवधि में 395 कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं। एक सूचना के अनुसार देश में आधी से अधिक पावरलूम इकाईयां बंद हो चुकी हैं।

117. इसके साथ ही बड़े इजारेदार घरानों द्वारा संचालित बड़ी कपड़ा मिलों में भी श्रम शक्ति में कमी लाई जा रही है। प्रबंधन अपना उत्पादन कार्य बाहर से अर्थात् अनेक छोटी मिलों को ठेके पर देकर करा रहा है, ये छोटी मिलें पिछले वर्षों में ही कुकरमुत्तों की भांति उभरी हैं और श्रमिक आंदोलन ने उनमें अभी अपने पांव नहीं जमाए हैं। उद्योग में समग्र रूप में धीरे-धीरे संरचनात्मक परिवर्तन लाया जा रहा है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव श्रमिकों पर पड़ रहा है।

118. इस क्षेत्र में आए परिवर्तनों तथा घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है ताकि हम श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करा सकें और श्रमिक आंदोलन नयी स्थिति से निपटने के लिये अपनी प्रभावी राजनीति तैयार कर सके।

119. जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन टी सी) की मिलों का सम्बन्ध है, सभी श्रमिक संघों पर आधारित एन टी सी मिलों की संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिये समय समय पर आंदोलन चलाए जाते रहे हैं, उसने अधिकांश मिलों को बंद कर देने सम्बन्धी भाजपा सरकार के निर्णय का प्रतिकार भी किया है। इस प्रक्रिया में इस आंदोलन की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, भाजपा सरकार जिसने पहले केवल 12 मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया था, अब लगभग 47 मिलों का पुनरूद्धार करने की बातें कर रही है। स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है, विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा 1995 में लिये गए निर्णय के अनुसार सभी मिलों का पुनरूद्धार कराने के उद्देश्य से हमें संयुक्त संघर्ष समिति के मंच से संयुक्त संघर्ष चलाने होंगे तथा उसके लिये भगीरथ प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

120. **हैंडलूम:** सत्यं समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से हैंडलूम उद्योग के गहरे संकट पर चर्चा की गई है। हमारी समन्वय समिति की ओर से कोलकाता में हैंडलूम श्रमिकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस सम्मेलन में संघर्ष का कार्यक्रम बनाया गया और सरकार से सत्यं समिति की संस्तुतियों (सिफारिशों) जिन्हें न्यूनाधिक सफलतापूर्वक लागू किया गया था, को रद्द करने की मांग की गई।

121. केंद्रीय सरकार के बजट प्रस्तावों के अनुसार अब हाल ही में सरकार ने हैंडलूम उद्योग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले लच्छी धागे (टांक यार्न) पर 9-2 प्रतिशत का आबकारी शुल्क लगा दिया है। पहली बार लच्छी धागे पर आबकारी शुल्क लगाया गया है। तमिलनाडु में हैंडलूम उद्योग द्वारा 22 मार्च को बंद का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में भी बुनकरों द्वारा आंदोलन चलाए गए हैं। हैंडलूम उप समिति की पिछली बैठक 29 मार्च को चेनन्नई में हुई थी, उस बैठक में आंदोलनों को और तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हैंडलूम समिति की बैठक अलग से की जाए और उसे समन्वय समिति की बैठकों के साथ नहीं जोड़ा जाए। एक वक्तव्य जारी करके आबकारी शुल्क वापस लेने की मांग की गई, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगें भी उठाई गई हैं। बैठक ने 13 मई को अखिल भारतीय विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया। उससे पूर्व जिला तथा राजय स्तरों पर रैलियां निकाली जाएंगी, भूख हड़तालें की जाएंगी। बैठक में निश्चय किया गया कि संसद के मानसून सत्र के समय दिल्ली में प्रदर्शन किया जाए। उसका नारा होगा—''हैंडलूम उद्योग बचाओ, हैंडलूम श्रमिकों को बचाओ।''

122. बैठक में संगठनात्मक स्थिति पर भी विचार किया गया। गम्भीर चिन्ता के साथ उल्लेख किया गया कि सभी राज्यों में हैंडलूम उद्योग होने पर भी हमारे श्रमिक संघ अब भी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों से ही हैं। कृषि के पश्चात् हैंडलूम असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस उद्योग में एक करोड़ श्रमिक काम करते हैं औरर वे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं। हमारी सभी राज्य समितियों को हैंडलूम क्षेत्र में अपने श्रमिक संघों का गठन करने के लिये योजना बनानी चाहिये ताकि इस क्षेत्र पर हो रहे हमलों का प्रतिकार करने के लिये आंदोलन विकसित किया जा सके।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में हमारा कार्य

123. अनेक बैठकों में हम असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या में अपनी गतिविधियों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। किन्तु अब भी, इस क्षेत्र में हमारी गतिविधियां अनेकानेक गंभीर दुर्बलताओं से ग्रसित है। यद्यपि पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में हमारी सदस्य संख्या में सुधार हुआ है। किन्तु इस क्षेत्र की व्यापकता की तुलना में हमारी उपस्थिति सांकेतिक मात्र ही कही जा सकती है।

124. हम इस समस्या की भयावहता को समझें और असंगठित क्षेत्र में अपने प्रभावी काम की योजना बनाएं, इस उद्देश्य से हमने अप्रैल 1998 में चेन्नई में आयोजित जनरल कौंसिल की बैठक में इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की थी। बैठक में इस बात पर बल दिया था कि राज्य समितियां विशेष क्षेत्रों/खण्डों में काम के लिये प्राथमिकताएँ निश्चित करें और असंगठित क्षेत्र की व्यापकता के दृष्टिगत उसी के अनुरूप अपनी गतिविधियों की योजना बनाएं। क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या काम करती है। इसलिये उनके मध्य काम करने पर विशेष रूप से बल दिया गया था। चेन्नई जनरल कौंसिल बैठक में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने, काम की मानिटरिंग करने तथा उसे और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य समितियों को उपसमितियों का गठन करने का निदेश दिया गया था। केंद्रीय स्तर पर भी असंगठित क्षेत्र में हमारे का की मानिटरिंग हेतु सी आइ टी यू की एक उप समिति का गठन करने का प्रस्ताव भी था।

125. चेन्नई जनरल कौंसिल बैठक में कुछ कार्य निश्चित किये गए थे; उन पर कहां तक काम किया जा सका है; इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा भेजी गई सूचनाओं के अनुसार नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

I. अधोलिखित राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है:

पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, बिहार ने भी समन्वय समिति का गठन किया था किन्तु वह अब समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा राजस्थान में भी समन्वय समितियां हैं किन्तु वे काम नहीं करतीं। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में समन्वय समितियों का गठन होने के पश्चात् उनके कामों की कोई सूचना नहीं है। केरल की ओर से भी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। त्रिपुरा ने राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने का आश्वासन किया है; किन्तु उसके पश्चात् उसकी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली।

II. वास्तव में, सी आइ टी यू की राज्य समितियों के अन्तर्गत संगठित एवं सुनियोजित ढंग से काम केवल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। हमें केवल इन्हीं राज्यों से रिपोर्ट मिली है। दूसरे राज्यों में काम का बंटवारा तथा संयोजकों को मनोनीत किये जाने पर भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं; राज्य समितियों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिये कोई कार्य सूची बनाई है, उस पर चर्चा की है अथवा राज्य समितियों की बैठकों में इसकी समीक्षा की गई है इत्यादि, की कोई जानकारी हमें नहीं है। उन क्षेत्रों की पहचान भी नहीं की गई। अब भी अव्यवस्थित ढंग से काम किया जाता है; काम करने की शैली व्यक्तिवादी होती है तथा काम तदर्थ आधार पर किया जाता है।

III. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा दिल्ली से भी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की गतिविधियों को मानिटर करने के लिये राज्य समितियों के अन्तर्गत उप समितियों का गठन करने की कोई सूचना नहीं मिली। प्राप्त सूचना के अनुसार केवल मध्य प्रदेश में उपसमिति काम करती है और वह अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्य समिति की बैठकों में देती है।

IV. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा महाराष्ट्र में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है किन्तु उनकी अनुवर्ती कार्रवाई अथवा राज्य समितियों द्वारा कार्यशालाओं में लिये गए अपने निर्णयों कार्यान्वयन की समीक्षा संबंधी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। कुछेक आंदोलन चलाए गए हैं। कार्यशाला में लिये गये सांगठनिक निर्णयों के कार्यान्वयन राज्यों में उद्योगों की पहचान, यूनियनों के गठन तथा सदस्यता में वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट केंद्र को भी नहीं मिली। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केवल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में न्यूनाधिक नियमित ढंग से ट्रेड यूनियन कक्षाओं/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

V. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के संबंध में क्या किसी राज्य ने कार्यक्रम बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है, इसकी कोई सूचना नहीं है।

126. यद्यपि समन्वय समिति में 44 सदस्य हैं तथापि उसकी बैठकों में सदस्यों की आनुपातिक उपस्थिति 15 से अधिक नहीं होती। कुछ राज्यों के प्रतिनिधि बैठकों से निरंतर अनुपस्थित रहते हैं; यह भी एक तथ्य है कि उनमें से अधिकांश राज्य समितियां प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र में ही काम करती है। यद्यपि अनेक राज्यों में असंगठित क्षेत्र में स्थानीय स्तर के अनेक आंदोलन चलाए गए हैं किन्तु यूनियन को मजबूत बनाने, उसकी

127. हमें केंद्रीय स्तर पर एक छोटी अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन करना चाहिये; यह समिति ठीक ढंग से काम करें, इसे सुनिश्चित बनाना चाहिये। राज्य स्तरीय संगठन में समुचित तथा योजनाबद्ध ढंग से काम किये बिना अखिल भारतीय स्तर पर काम में सुधार नहीं लाया जा सकता। क्योंकि यह क्षेत्र तथा इसमें काम करने की संभावनाएं बहुत विशाल एवं व्यापक हैं, इसलिये केंद्र से केवल एक साथी योजनाबद्ध तथा प्रभावी ढंग से पूरे काम को देख नहीं सकता। केंद्र को असंगठित क्षेत्र में हमारे काम की मानिटरिंग करने के लिये सचिव मंडल के सदस्यों की एक समिति सुझाव पहले भी दिया जा चुका है। हम विभिन्न कारणों के चलते ऐसी समिति का गठन नहीं कर सके। मैं अब केंद्र में एक तीन सदस्यीय उस समिति का गठन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ; यह उपसमिति असंगठित क्षेत्र में हमारे काम को देखेगी तथा सुनियोजित ढंग से गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। जिन राज्य समितियों ने अभी तक राज्य स्तरीय उप समितियों का गठन नहीं किया है उन्हें ऐसी टीम बना लेनी चाहिये ताकि इस क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से हम काम कर सकें। क्योंकि संगठित क्षेत्र अभी अधिक से अधिक श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में धकेला जा रहा है, इसलिये हमारे काम का महत्व और भी बढ़ गया है।

कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारा काम

128. सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन ने उन उद्योगों में जहां महिलाओं की बड़ी संख्या काम करती है, उप समितियों का गठन करने के काम पर बल दिया था। किन्तु देश में कुछेक श्रमिक संघों में ही हम इन उप समितियों का गठन कर सके हैं और जहां कहीं इनका गठन किया भी गया है वहां पर वे काम ही नहीं करतीं। बीड़ी, कपड़ा, वस्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, निर्माण, बागवानी, अगरबत्ती, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक उद्योग तथा पालिका एवं पंचायतों, दुकानों, निजी पाठशालाओं एवं अस्पतालों जैसी अनेक सेवाएं हैं जहां महिलाओं की एक बड़ी संख्या काम करती है। इन श्रेणियों को संगठित करने की विपुल सम्भावनाएं हैं जहां पर हमारे श्रमिक संघ हैं वहां हम उन श्रमिक संघों में महिला उप समितियों का गठन करके महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

129. सी आइ टी यू के महाधिवेशन तथा कार्यसमिति एवं जनरल कौंसिल तथा अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठकों में कामकाजी महिलाओं में हमारे काम के सम्बन्ध में लिये गए निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किये जाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि सी आइ टी यू की राज्य समितियां उन निर्णयों को गम्भीरता से नहीं लेतीं। कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सदस्यों को भी सम्बन्धित राज्य समितियों में पहलकदमी करके उन निर्णयों पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाना चाहिए। जब तक यह काम नहीं किया जाएगा तब तक न केवल समन्वय समिति का अस्तित्व अनावश्यक बना रहेगा अपितु कामकाजी महिलाओं में काम करने सम्बन्धी सी आइ टी यू द्वारा लिये गए निर्णयों का भी कोई अर्थ नहीं होगा।

130. सी आइ टी यू केन्द्र ने एक परिपत्र जारी करके राज्य समितियों तथा सम्बद्ध श्रमिक संघों को निदेश दिया था कि वे 8 मार्च को बड़ी सभाओं, कारखाना एवं कार्यालय स्तर पर दोपहर के खाने के समय बैठकों का आयोजन करके अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं। हमें केवल आंध्र प्रदेश में कुछेक श्रमिक संघों द्वारा यह दिवस मनाए जाने की सूचनाएं मिली हैं। हमारे साथियों को इस कार्यक्रम के आयोजन का समाचार हमें भेजना चाहिए।

131. कामरेड विमल रणदिवे के जन्म दिन के अवसर पर दस अप्रैल को एक स्मारक व्याख्यान का आयोजन हम पिछले वर्ष से कर रहे हैं। इस वर्ष ए आइ आइ ई ए के महासचिव कामरेड एन एस सुनरम को सी आइ टी यू केंद्र में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। व्याख्यान का विषय था : ''श्रम बाजार के सुधार तथा कामकाजी महिलाएँ।'' इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। व्याख्यान के विषय की सूचना राज्यों को पहले ही दे दी गई की ताकि सभी राज्यों में उसी विषय पर व्याख्यानों का आयोजन किया जा सके। साथियों को हमें सूचना भेजनी चाहिए कि यह कार्यक्रम राज्यों में किस ढंग से मनाया गया था।

वायस ऑफ वर्किंग विमन

132. दी वायस ऑफ वर्किंग विमन का प्रकाशन अब एक मासिक पत्रिका के रूप में किया जाने लगा है। कम डाक दरों की छूट का लाभ उठाने के लिये अपने ग्राहकों की संख्या तथा गतिविधियों में सुधार लाना अवश्यक है। यद्यपि इस पत्रिका के वार्षिक सदस्यों (ग्राहकों) की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु हमने जनवरी 2002 तक 5,000 ग्राहक बनाने का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया है। वर्तमान में हम लगभग 4200 प्रतियों का प्रकाशन कर रहे हैं। इसके सदस्यता शुल्क का नियमित रूप से नवीकरण करने के लिये प्रयास जारी हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का अखिल भारतीय महासंघ

133. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ (ए आइ एफ ए डब्ल्यू एच) की कार्य समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 27-28 दिसम्बर 2001 को कोलकाता तथा दूसरी बैठक 11 मार्च को नयी दिल्ली में हुई थी। दोनों बैठकों की उपस्थिति संतोषजनक थी। संगठन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 9-10 मार्च को बी टी आर भवन में किया गया था। इस कार्यशाला में 15 राज्यों से चुनी गई 55 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। असम, महाराष्ट्र तथा राजस्थान जैसे कुछ राज्य कार्य समिति की बैठकों में हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी निरंतर अनुपस्थित रहे हैं।

134. कार्यशाला में विभिन्न राज्यों में संगठन की स्थिति तथा उसका विस्तार करने एवं उसे मजबूत बनाने के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा की गई थी। हिन्दी भाषी राज्यों में संगठन की स्थिति पर विशेष रूप से विचार किया गया था। सदस्यों ने बहस में सक्रिय रूप से भाग लेकर संगठन के प्रसार,

जनवादी कार्य प्रणाली कार्यकर्ताओं का विकास तथा शिक्षा एवं योजनाबद्ध ढंग से गतिविधियां चलाने जैसे मूल प्रश्नों पर विचार किया था। कार्यशाला ने संस्तुति दी (सिफारिश की) थी कि संगठनात्मक स्थिति पर आलोचनात्मक ढंग से विचार करने तथा संगठन के विस्तार हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर निर्णय लेने और देश भर में आंगनवाड़ी महिलाओं के एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन राज्य एवं जिला स्तरों पर भी किया जाए।

135. महासंघ द्वारा लिखे गए निर्णय के अनुसार 8 अप्रैल को अधिकांश राज्यों में विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। ये आयोजन आंगनवाड़ी महिलाओं की सेवाओं को नियमित करने, उनके मानदेय में वृद्धि से सम्बंधित सरकारी निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निजीकरण बंद करने तथा इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय मांगों पर बल देने के लिए किया गया था।

136. महासंघ ने पहलकदमी करके 16 अप्रैल को हड़ताल करने सम्बन्धी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर कार्रवाई की थी। क्योंकि एन एफ टी यू हड़ताल में भाग लेने के लिये तैयार नहीं थी इसलिये एटक, सी आइ टी यू, एच एम एस तथा एच एम के पी से सम्बद्ध महासंघों की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था। केंद्र में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हड़ताल को सफल बनाने के लिये पूरी तैयारियां की गई थीं; इस के लिये पर्चे बांटे गए, परियोजना स्तर पर जनरल बाडी बैठकें की गईं, पोस्टर छापे गए तथा प्रेस वक्तव्य जारी किये गये।

137. सी आइ टी यू की उड़ीसा राज्य समिति तथा हाल ही में गठित उड़ीसा आंगनवाड़ी इम्पलाईज यूनियन महासंघ के चौथे सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमत हो गई है, यह सम्मेलन सितम्बर 2002 के अंतिम सप्ताह में होगा। वर्ष 2002 के लिये सदस्य संख्या को 1, 91, 850 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल मजदूरी परियोजना

138. बाल मजदूरी पर सी आइ टी यू आइ एन ओ की दूसरी परियोजना जुलाई 2001 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रमकों को शिक्षा प्राप्ति के लिये कुछ अवसर सुलभ कराना तथा उन्हें मुख्यधारा की नियमित पाठशालाओं में भर्ती करने के साथ-साथ गरीबी, न्यूनतम वेतन लागू नहीं होने, खराब कामकाजी स्थितियों तथा बाल मजदूरी जैसे प्रश्नों पर उनके माता-पिता को शिक्षित करना है। हमें चुने हुए उद्योगों में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी संगठित करने के लिये इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

139. परियोजना के प्रस्तावों के अनुसार हमें दस राज्यों में बीस अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। अब तक हमने दस राज्यों में 19 केंद्र शुरू किये हैं। हरियाणा में एक केंद्र शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि सी आइ टी यू की हरियाणा राज्य समिति कुछ गम्भीर संघर्षों में व्यस्त थी। ये केंद्र नियमित रूप से काम कर रहे हैं। भोपाल तथा महाराष्ट्र के जालना में बाल श्रमिकों के परिवारों में महिलाओं के द्वारा स्वयं अपनी सहायता के लिये दलों का गठन किया गया है। भोपाल में स्थानीय महिलाओं की रुचि की कुछ गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। इनके फलस्वरूप अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय महिलाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें संगठित करने में सहायता मिल सकती है। कुछ लोग अपनी गतिविधियों के समाचार तत्परता से नहीं भेजते, इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।

निर्यात प्रसंस्करण अंचलों (ई पी जैड) के श्रमिकों को संगठित करना

140. निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में कार्यरत श्रमिकों में काम करने की ओर सी आइ टी यू का ध्यान आकृष्ट हो रहा है क्योंकि भूमण्डलीयकरण की नीतियों की सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं श्रमिकों को झेलनी पड़ रही हैं। हाल ही में, हमारे ओर से विशाखापत्तनम में एक संघर्ष चलाया गया। वहां श्रमिकों ने पूरी दृढ़ता के साथ मालिकों के बर्बर दमन चक्र के विरुद्ध संघर्ष किया था।

141. वर्तमान में, हमारे देश में सात निर्यात, प्रसंस्करण अंचल हैं। ये इस प्रकार हैं:

गुजरात में कांडला का मुक्त व्यापार अंचल (के एफ टी जैड)।
महाराष्ट्र में सांता क्रूज इलेक्ट्रानिक एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन (एस ई ई पी जैड)
केरल में कोचीन निर्यात प्रसंस्करण अचंल (सी ई पी जैड)।
तमिलनाडु में मद्रास निर्यात प्रसंस्करण अचंल (एम ई पी जैड)।
पश्चित बंगाल में फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण अचंल (एफ ई पी जैड)।

उत्तर प्रदेश में नोएडा निर्यात प्रसंस्करण अंचल (एन ई पी जैड)।

आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण अंचल (वी ई पी जैड)

142. वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में इस प्रकार के और आठ निर्यात प्रसंस्करण अंचल देश में स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने निजी, राज्य अथवा संयुक्त क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण अंचलों को विकसित करने की अनुमति दे दी है और मुम्बई, सूरत, ग्रेटर नौएडा, काचीपुरम तथा नानगुनेरी में निजी क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण अंचलों की स्थापना के लिये पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

143. देश में निर्यात प्रसंस्करण अंचलों की कुल 553 इकाईयां नवम्बर 99 को काम कर रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सभी निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में सीधे तौर पर काम पर लगे लोगों की संख्या लगभग 80,000 है। किन्तु कम्पनियों की रिकार्ड पुस्तिका में केवल एक स्थायी श्रमिक का नाम दर्ज होता है। यदि हम उनमें काम करने वाले संविदा श्रमिकों तथा उन हजारों लोगों जिनके नाम रिकार्ड पुस्तिका में दर्ज नहीं होते, की संख्या को भी लें तो इन श्रमिकों की संख्या कई गुणा बढ़ जाएगी।

144. कहने को निर्माण प्रसंस्करण अंचलों में श्रमिक संघों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किन्तु व्यवहार में श्रमिकों को संगठित करने के लिये यदि कोई प्रयास किया जाता है तो निवेशक उसे सहन नहीं करते और अचंल के अधिकारियों द्वारा भी उसके लिये हतोत्साहित किया जाता है।

145. निर्यात प्रसंस्करण अचंलों के श्रमिकों में भय का वातावरण पाया जाता है क्योंकि निवेशक श्रमिकों को संगठित करने के किसी भी प्रयास को कुचल देने के लिए कोई भी हथकण्डा अपना सकते हैं या दूसरे शब्दों में वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये अंचल बड़ी चार दीवारियों में स्थापित होते हैं तथा किसी भी बहारी व्यक्ति को उनके भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अंचल के भीतर विभिन्न इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों को एक दूसरे के साथ बात करने से भी रोका जाता है। अनेक कारखानों वाले अपने श्रमिकों को कारखाना द्वार से बसों में भरकर अंचल के द्वार तक पहुंचाते हैं, इसके दुष्परिणाम स्वरूप ई पी जैड्स में श्रमिकों को संगठित करना तथा उनकी यूनियन बनाना कठिन हो जाता है।

146. वर्तमान में देश के कुल सात अंचलों में से पांच अंचलों - एम ई पी जैड, एस ई ई पी जैड, एन ई पी जैड, सी ई पी जैड, तथा वी ई पी जैड में सी आइ टी यू से सम्बद्ध श्रमिक संघ सक्रिय हैं। किन्तु इनके मध्य परस्पर समन्वय नहीं है। एक अथवा दो अंचलों की कुछेक इकाईयों में इंटक, शिव सेना तथा ऐक्टू से सम्बद्ध श्रमिक संघ भी सक्रिय हैं किन्तु वे नियमित रूप से काम नहीं करते।

147. सी आइ टी यू को देश में सभी निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में कार्यरत श्रमिकों के मध्य श्रमिक आंदोलन को मजबूती के साथ समन्वित करना होगा। इस काम के लिये हम दूसरे श्रमिक संघों की सहायता भी ले सकते हैं और एक संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं। यह कार्य तत्काल किया जाना चाहिए।

इसके लिये हमारा सुझाव है कि -

* सभी अंचलों में सक्रिय हमारे श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई जाए, उसमें हमारी गतिविधियों को समन्वित करने पर विचार किया जाए और ई पी जैड श्रमिकों में भावी कार्य की योजना बनाई जाए।
* इसके पश्चात् देश में ई पी जैड श्रमिकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है जिसमें अन्य केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिये नियंत्रित किया जा सकता है। सी आइ टी यू की विशाखापत्तनम जिला समिति ने इस सम्मेलन का आयोजन करने की पेशकश की है, यह सम्मेलन जून 2002 के तीसरे सप्ताह में होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

148. बंगलौर में सम्पन्न कार्य समिति की पिछली बैठक के पश्चात् हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समीक्षा अवधि में भ्रातृ ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। हमने भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के विरुद्ध जारी संघर्ष में अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया, उसके फस्लवरूप साम्राज्यवाद द्वारा प्रायोजित भूमण्डलीकरण की बुराईयों के विरुद्ध उभर रहे विश्व व्यापी श्रमिक आंदोलन को मजबूती मिली है।

I. भूमण्डलीयकरण पर तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिये दक्षिण की पहलकदमी (सिगटूर) की छटी कांग्रेस का आयोजन 5-9

नवम्बर 2001 को सियोल में किया गया। उसमें 14 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से 30 प्रतिनिधि भारत के श्रमिक संगठनों के थे। सी आइ टी यू प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कामरेड एम के पन्धे ने किया। सी आइ टी यू का प्रतिनिधिमण्डल भारतीय प्रतिनिधियों में सबसे बड़ा था।

II. सी आइ टी यू के महासचिव एम के पन्धे ने परिवहन श्रमिकों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ (आइ टी एफ) के महासचिव डेविड कोकराफ्ट के साथ भेंट करने के लिये फरवरी 2002 के तीसरे सप्ताह में लंदन की यात्रा की थी। उन्होंने उनके साथ भारतीय नाविकों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर विचार किया। वह लंदन से पेरिस गए जहां उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एवं खनन संगठन (आई ई एम ओ) के महासचिव अलेन साइमोन के साथ भेंट की। उन्होंने साइमोन के साथ भारत में आई ई एम ओ की अगली कांग्रेस के आयोजन की सम्भावनाओं पर विचार किया।

III. सी आइ टी यू के सचिव कामरेड डब्ल्यू आर वरद राजन ने रूस के स्वतंत्र श्रमिक संघों के महासंघ (एफ एन पी आर) की 28-30 नवम्बर 2001 को मास्को में आयोजित चौथी कांग्रेस में भाग लिया।

IV. सी आइ टी यू के सचिव कामरेड स्वदेश देव राय ने भ्रातृ प्रतिनिधि के रूप में इटली के श्रमिक संघों के परिसंघ (सी जी आइ एल) की सोलहवीं कांग्रेस में भाग लिया, यह कांग्रेस 6-9 फरवरी 2002 को इटली के तटवर्ती नगर रिमीनी में सम्पन्न हुई थी। इटली जाते समय उन्होंने रसायन उद्योग में सक्रिय सी जी टी नेशनल यूनियन के नेतृत्व के साथ बातचीत की और तेल एवं तेल शोध अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की, यह सम्मेलन 2003 में भारत में किये जाने का प्रस्ताव है।

V. सी आइ टी यू तथा बर्मा (म्यनमार) के श्रमिक संघों के परिसंघ के मध्य पारस्परिक भ्रातृ सम्बन्धों में मजबूती लाने के उद्देश्य से 9-10 नवंबर 2001 को नयी दिल्ली में "व्यापार एवं श्रमिक मुद्दों" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, यह आयोजन सी आइ टी यू के सहयोग से किया गया था। कार्यशाला में सी टी यू (बी) के 27 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड कनाई बैनर्जी तथा कार्य समिति सदस्य जे बल्लभ ने दोनों दिन रिसोर्स परसन के रूप में कार्यशाला में भाग लिया।

VI. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अपनी भारत यात्रा के समय 28 जनवरी 2002 को सी आइ टी यू मुख्यालय में आया। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व सी पी सी के केन्द्रीय पार्टी स्कूल के उपाध्यक्ष ली जुनरू कर रहे थे। प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत एम के पन्धे, एस देव राय तथा जे बल्लभ ने किया।

VII. सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष टी के रंगराजन ने मैक्सीको के क्रांतिकारी श्रमिक संगठनों के परिसंघ (सी आर ओ सी, की 50 वीं वर्षगांठ तथा 50वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर सी आइ टी यू का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का आयोजन 12-14 अप्रैल 2002 को मैक्सीको शहर में किया गया था। इस अवसर का लाभ उठा कर उन्होंने मैक्सीको तथा अन्य लातिनी अमरीकी देशों के ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ भ्रातृ सम्बन्ध विकसित करने के प्रश्न पर चर्चा की।

VIII. भारत के निर्माण श्रमिकों के महासंघ (सी डब्ल्यू एफ आइ) का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 4-6 अप्रैल 2002 को साइप्रस की यात्रा पर गया जहां उसने लरनाका में आयोजित यू आइ टी बी बी की 13वीं कांग्रेस में भगा लिया। इस प्रतिनिधिमण्डल में महासंघ के महासचिव देबांजन चक्रवर्ती, नगेन चन्द्र चुटिया तथा रामा सामी सिंगारावेलु सम्मिलित थे।

IX. जपान के ट्रेड यूनियन केंद्र (जेनरोरेन) का एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल 18 दिसंबर 2001 सी आइ टी यू मुख्यालय में आया जहां उनके द्वारा सी आइ टी यू नेताओं के साथ दोनों देशों में श्रमिक संघों से सम्बन्धित प्रश्नों पर मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श किया गया प्रतिनिधिमण्डल आर्गेनाइजेशन ब्यूरो की उप प्रमुख सिस्टर मोमोकू इजुत्सू तथा इंटरनेशनल ब्यूरो के मास्यू काओ पर आधारित था।

X. सी आइ टी यू, बी एम एस, एटक, इंटक तथा एच एम एस इत्यादि पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को इस वर्ष के दूसरे भाग में किसी भी समय चीन की यात्रा करने का नियंत्रण दिया गया है। यह नियंत्रण श्रमिक संघों के अखिल चीनी महासंघ (ए सी एफ टी यू) की ओर से किया गया है। यात्रा की तिथि तथा अन्य विवरण पारस्परिक विचार विमर्श के पश्चात् बाद में निश्चित कर दिये जाएंगे।

XI. निर्माण श्रमिकों का भारतीय महासंघ (सी डब्ल्यू एफ आइ) अपने दो बरिष्ठ नेताओं को मनीला (फिलीपीन्स) भेज रहा है। वे वहां फिलीपीन्स के ट्रेड यूनियन संगठन के एम यू द्वारा 30 अप्रैल से 9 मई 2002 तक आयोजित किये जाने वाले 18वें अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता मामले (आइ एस ए) में सी आइ टी यू का प्रतिनिधित्व करेंगे। 18वें आइ एस ए में साम्राज्यवादी युद्ध तथा लूट के विरूद्ध बढ़ रहे संघर्षों पर विचार किया जाएगा।

तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन

149. सी आइ टी यू की आगामी वर्ष में दो अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलनों/बैठकों का आयोजन करने के लिये अतिथेयं के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने को कहा गया है। सचिव मण्डल तथा कार्ससमिति ने इस प्रश्न पर विचार करके यह पेशकश स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सम्मेलन की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

150. तेल तथा तेल शोध उद्योग में सक्रिय श्रमिक संघ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी-मार्च 2003 के महीनों में किसी समय कोलकाता में किया जाएगा। उसका पिछला सम्मेलन अक्टूबर 1999 में पेरिस में हुआ था। कोलकाता सम्मेलन में लगभग 40 देशों से तेल क्षेत्र के श्रमिक संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्बन्ध में तेल तथा पेट्रोलियम श्रमिकों की समन्वय समिति (सीटू) की एक बैठक 12-13 अप्रैल 2002 को कोलकाता में हुई थी, उस बैठक में सम्मेलन की तैयारियों के लिये उठाए जा रहे कदमों तथा धन एकत्रित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। पहली बार इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन युरोप के बाहर विशेष रूप से एशिया में हो रहा है।

151. अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एवं खनन संगठन (आइ ई एम ओ) की प्रबंध परिषद की बैठक भी अगले वर्ष अक्टूबर नवम्बर में कोचीन में होगी, उल्लेखनीय है कि आइ ई एम ओ ऊर्जा तथा खनन श्रमिकों का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। उस बैठक में सम्मेलन की तैयारियों के लिये योजना बनाई जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इन दोनों बैठकों में तेल, ऊर्जा तथा खनन क्षेत्र से सम्बन्धित ज्वलंत मुद्दों और भूमण्डलीयकरण की नीतियों के बढ़ते हमलों का सामना करने के लिये श्रमिक आंदोलन की भूमिका जैसे प्रश्नों पर विचार भी किया जाएगा।

संगठन पर

152. सी आइ टी यू कार्य समिति ने 24-26 अगस्त, 2002 को बंगलौर में सम्पन्न अपनी बैठक की रिपोर्ट में कहा था:

> ''सभी स्तरों पर सी आइ टी यू संगठन को मजबूत बनाना, नये क्षेत्रों तथा नये उद्योगों में उसका प्रसार करना न केवल हमारे लिये प्राथमिकता वाला कार्य निरंतर बना हुआ है अपितु उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति के प्रति बढ़ रहे जन विरोध के चलते यह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक महत्वपूर्ण कार्य बनता चला जा रहा है। यद्यपि सामान्य रूप में पिछले कुछ वर्षों में सी आइ टी यू की सदस्य संख्या में कुछ वृद्धि हुई है और सी आइ टी यू संगठन ने अपने कामकाजी ढंग में कुछ सुधार किया है तथापि इससे पूर्णतया संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। अब भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ओर हमें गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना होगा इस प्रकार के क्षेत्रों का हमारे संगठन के सभी स्तरों पर पता लगाना होगा। भुवनेश्वर दस्तावेज में निर्दिष्ट अनेक कार्य हमारी अनेक दुर्बलताओं के कारण अभी तक किये नहीं जा सके। एक मजबूत संगठन तथा श्रमिकों में मजबूत आधार के बिना हमें भारत भर में संयुक्त आंदोलन चलाने पर सफलता नहीं मिलेगी। हम सांगठनिक कार्यों पर पर्याप्त बल नहीं देते हैं, इसका दुष्प्रभाव हमारी सांगठनिक वृद्धि तथा उसके साथ साथ श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलन की मजबूती पर भी पड़ता है।''

153. यह वक्तव्य आज भी उतना ही सत्य है जितना एक वर्ष पूर्व था। श्रमिक वर्ग तथा जनसाधारण पर हो रहे हमलों की तीक्षणता बढ़ती चली जा रही है। लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है। इन घटनाओं के दृष्टिगत स्थिति की मांग है कि हम प्रभावशाली ढंग से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, सांगठनिक विकास को सुनिश्चित बनाएं, इसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है किन्तु गुणात्मक तथा गणात्मक दृष्टि से संगठन का दुर्बल होना आड़े आ रहा है। यही कारण है कि भुवनेश्वर दस्तावेज में निर्दिष्ट अधिकांश कार्य नहीं हो सके हैं और या फिर उन्हें आंशिक रूप से किया जा सका है।

154. संगठन पर अखिल भारतीय कार्यशाला के फलस्वरूप संगठन को मजबूत बनाने सम्बन्धी हमारी कार्रवाईयों का एक नया चरण शुरू हुआ था। भुबनेश्वर दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों को हम क्यों नहीं कर पाए, इसकी जांच करने तथा उनके कार्यान्वयन के ढंगों एवं विधियों का पता लगाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में हुई बहस के आलोक में कोझीकोडे जनरल कौंसिल की बैठक में और आगे बहस की गई तथा उसे समृद्ध बनाया गया, तत्पश्चात् हैदराबाद में सम्पन्न सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन में तात्कालिक न्यूनतम कार्यों

जनवादी कार्य प्रणाली

159. राज्य स्तर पर और कुछेक मामलों में निचले स्तरों पर भी हमारे कार्यों में कुछ सुधार आया है, इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। कुछ राज्य समितियां अपनी बैठकें अधिक नियमित ढंग से करने लगी हैं, कुछ राज्यों के सचिव मण्डलों के कामकाज में भी सुधार हुआ है, राज्य समितियों की बैठकों में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इत्यादि। सम्भव है कि सम्मेलनों के आयोजनों की नियमितता में कुछ सुधार हुआ हो। तथापि, यह पता नहीं लग सका कि हमारे कामकाजी ढंग में आया सुधार स्थायी है। फिर भी देखने को मिला है कि इस प्रकार के सुधार भले ही वे आंशिक ही क्यों न हों, अनेक राज्यों में लाए नहीं जा सके।

160. यह केवल श्रमिक संघों की जनवादी कार्यप्रणाली का एक पक्ष है। उसका दूसरा पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा दैनंदिन गतिविधियों में साधारण सदस्यों की नियमित सहभागिता है। केवल यही बात श्रमिक संघ के व्यापक आधार को सुनिश्चित बना सकती है। यह कार्य प्रणाली शुरू करने के लिये गम्भीर प्रयास किये गए हैं या किये जा रहे हैं, इसका कोई संकेत भी सी आइ टी यू केन्द्र को नहीं मिला।

161. ये सभी तथ्य यही दर्शाते हैं कि भुवनेश्वर दस्तावेज पारित होने के आठ वर्ष पश्चात् भी संगठन को मजबूत करने के हमारे प्रयासों की उपलब्धियां अनेक मामलों में अपर्याप्त हैं। नि:संदेह हम यह कदापि नहीं कहेंगे कि हमारी कोई उपलब्धि नहीं रही, किन्तु सी आइ टी यू अन्य केंद्रीय श्रमिक संगठनों जैसा संगठन नहीं है, उसका जन्म एक विशेष ऐतिहासिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये हुआ है। वह अन्तोगत्वा सभी प्रकार के शोषण से श्रमिकों एवं श्रमजीवी जनता की मुक्ति चाहता है, इसके लिये वह न केवल श्रमिक वर्ग तथा सम्पूर्ण श्रमजीवी जनता को उनके न्यायोचित हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के लिये एकजुट करके गहरे संघर्ष चलाता है। जहां हम अपनी उपलब्धियों का आंकलन कम करके नहीं करेंगे वहीं हमें मांगों के इतिहास को भी कदापि भुलाना नहीं होगा।

शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विचारधारक कार्य

162. यह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, संगठन में सुधार लाने तथा वर्तमान में जारी संघर्षों में श्रमिकों की विशाल संख्या को नेतृत्व देने की अपनी क्षमता को बढ़ाने जैसी समस्याओं को ठीक ढंग से निपटाया जाना चाहिए। किन्तु इस ओर भी हम उतना ध्यान नहीं दे सके जितना ध्यान हमें देना चाहिये था। इसका प्रमुख दायित्व सी आइ टी यू केंद्र के कंधों पर आता है। पहले से तैयार किये गए पाठ्यक्रम के अनुसार भाषणों की प्रतियों का पूरा सैट अभी तक बनाया नहीं जा सका। यहां तक कि पाठ्यक्रम में भी सुधार करने का काम पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये एक स्थायी केंद्रीय पाठशाला तथा एक शोध केंद्र की स्थापना करने के हमारे प्रस्ताव की योजना पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी तक बनाई नहीं जा सकी।

163. इस पर भी सी आइ टी यू केन्द्र पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित करने में सफल रहा है, ये पुस्तिकाएं आंदोलनात्मक गतिविधियों तथा विचारधारात्मक संघर्ष में प्रभावी उपकरण (अथवा शस्त्र) बन सकी हैं। पिछले महाधिवेशनों में तैयार किये गए कमिशन दस्तावेज भी हमारे प्रभावी उपकरण सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उनमें दैनंदिन तथा दीर्घावधि की गतिविधियों के लिये उपयोगी सामग्री अधिक से अधिक दी जाती है। किन्तु यह उपलब्धि हमारी विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकती, सी आइ टी यू केंद्र इस मामले में बहुत सजग है।

महासंघ

164. महासंघों की कार्य प्रणाली पर एक अलग प्रपत्र बनाया गया था तथा उसे कार्य समिति की बंगलौर बैठक में भारी विचार विमर्श किये जाने के पश्चात् पारित किया गया था। किन्तु उस पर कार्यान्वयन के मामले में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

कामकाजी महिलाएं

165. सी आइ टी यू केंद्र कामकाजी महिलाओं को सी आइ टी यू के झण्डे तले संगठित करने और उन्हें बड़ी से बड़ी संख्या में श्रमिक संघों की दैनंदिन गतिविधियों में खींच लाने के लिये जबरदस्त प्रयास कर रहा है। सी आइ टी यू अन्य भ्रातृ संगठनों की सहायता भी कर रहा है ताकि वे अपनी पंक्तियों में विद्यमान तथा अपने उद्योगों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं को शिक्षित कर सकें तथा उन्हें सक्रिय कर सकें। अनेक राज्य इस

सम्बन्ध में राज्य/जिला स्तर तथा प्रमुख श्रमिक संघों में समन्वय समिति/उप समिति का गठन नहीं कर सकें, यह दु:ख का विषय है। यह सर्वोपरि महत्व का काम है, यह बात बार-बार विभिन्न मंचों पर बहस के समय कही जा चुकी है। भुवनेश्वर दस्तावेज में भी इस पर बल दिया गया है इसलिये इस काम की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये।

166. भुवनेश्वर दस्तावेज पर कार्यान्वयन सम्बन्धी हमारे अनुभवों का अध्ययन करने तथा इस सम्बन्ध में नये कार्यों का निर्धारित करने के लिये क्या हमें एक और कार्यशाला का आयोजन करना चाहिये उपरोक्त विचारों के आलोक में सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की बैठक को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लिखित सामग्री, रिपोर्ट्स तथा दस्तावेज हैं। हमारे सामने यही समस्या है कि इन कार्यों का निष्पादन किस ढंग से किया जाए।

सदस्य संख्या के सम्बन्ध में

167. मेरी पिछली रिपोर्ट में सम्बद्ध श्रमिक संघों द्वारा सम्बद्धता शुल्क तथा वार्षिक विवरणियां समय पर भेजने तथा इस काम की समुचित मानिटरिंग पर विशेष बल दिया गया था। सदस्य संख्या में वृद्धि करने के कार्य को एक महत्वपूर्ण कार्य मानने तथा इसे प्राथमिकता के आधार पर करने पर बल दिया गया था। सी आइ टी यू की सदस्य संख्या बढ़ा कर 40 लाख करने के लिए कोर्ट निर्धारित किये गए थे और राज्यवार लक्ष्य भी निश्चित किये गए थे। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी राज्य समितियों ने इस काम को गम्भीरता के साथ नहीं लिया है, यह तथ्य अनुलग्निक -I में सदस्य संख्या की तालिका से देखा जा सकता है। राज्य समितियों द्वारा अभी तक वर्ष 2000 के लिये एकत्रित सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक विवरणियां भेजी नहीं गईं जबकि इस समय तक तो वर्ष 2001 के लिये एकत्रित सदस्यता शुल्क की कम से कम आधी राशि पहुंच जानी चाहिये थी। चालीस लाख की सदस्य संख्या की बात जाने दीजिये, किन्तु यदि हमें 1999 की सदस्य संख्या (32 लाख से ऊपर) के साथ तुलना करें, तो राज्य समितियों ने अब तक वर्ष 2000 के लिये पिछली सदस्य संख्या में से 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों का शुल्क जमा किया है। यह अत्यंत गम्भीर स्थिति है, इसमें तत्काल सुधार लाना चाहिये।

168. एक और विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न उन श्रमिक संघों की असम्बद्धता के मामले का है जिन्होंने भारी प्रयत्न किये जाने पर भी वर्ष 1999 के सम्बद्धता शुल्क का भुगतान नहीं किया। आपको स्मरण होगा कि जब केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1997 की सदस्य संख्या के आधार पर 1998 में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता के सत्यापन का कार्य किया था तब हमने सम्बद्धता शुल्क तथा वार्षिक विवरणियां एकत्रित करने के कार्य की मानिटरिंग तथा रिकार्ड के रख रखाव के लिये राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया था, उसके फलस्वरूप बड़ी सीमा तक सदस्यता के नवीकरण करने तथा उसे कारगर बनाने में सहायता मिली थी। सी आइ टी यू के पिछले महाधिवेशन के समय एक बार पुन: वर्ष 1999 तक रिकार्ड को आद्यतन बनाने, सम्बद्धता शुल्क तथा वार्षिक विवरणियों जमा कराने के काम को कारगर बनाया गया था। ये सभी प्रयास करने पर भी कुछ सम्बद्ध श्रमिक संघों ने 1999 के लिये सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराए हैं, इन श्रमिक संघों की सूची राज्य समितियों को भेजी गई थी ताकि वे इस प्रकार के श्रमिक संघों की असम्बद्धता हेतु अपनी उपयुक्त संस्तुतियां (सिफारिशें) भेज सकें। हमें उनके प्रत्युत्तर नहीं मिले। आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि एक सम्बद्ध श्रमिक संघ सी आइ टी यू संविधान के अनुसार अपनी न्यूनतम प्रतिबद्धताओं पर पूरा नहीं उतरता है और बार-बार प्रेरित किये जाने पर भी वर्ष दर वर्ष अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध नहीं रहना चाहिये और हमें इस प्रश्न पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।

बी टी आर स्मारक कोष

169. बी टी आर स्मारक कोष का संग्रह करने के मामले में भी इसी प्रकार की दुर्बलताएं पाई जा रही हैं। पिछली बार मैं आपसे अनुरोध करते हुए कहा था, "मैं राज्य समितियों से अनुरोध करता हूं कि वे कामरेड बी टी आर के अगले जन्म दिन 19 दिसम्बर, 2001 तक स्मारक कोष में योगदान देने सम्बन्धी अपने आश्वासनों को पूरा करें ताकि हम अपने अन्य कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।" अनुलग्निका -II में एक वक्तव्य दिया गया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगलौर कार्यसमिति की बैठक के पश्चात् इस मध्यवर्ती अवधि में तीन लाख से थोड़ा अधिक राशि का योगदान हमें प्राप्त हुआ है, उनमें से भी दो लाख रुपये का योगदान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले साथियों ने व्यक्तिगत रूप से दिया था और शेष 1,60,000 रुपये राशि का योगदान बीमा कर्मचारियों ने दिया है। मैं अपनी बात एक बार पुन: दोहराता हूं कि हमने अपने लिये एक अच्छा सुसज्जित पुस्तकालय बनाने का कार्यक्रम बनाया है, हम एक शोध केन्द्र तथा ट्रेड यूनियन शिक्षा की एक स्थायी पाठशाला खोलना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे अन्य खर्चों में अतिशय वृद्धि हुई है, इन खर्चों को पूरा करने के लिये नये संसाधन जुटाना आवश्यक है। इसलिये

हमारे लिये यह अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य है और इस पर गम्भीर रूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

गुजरात भूचाल राहत

170. बंगलौर में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय मैंने आपको गुजरात में भूचाल से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सी आइ टी यू द्वारा एकत्रित धन का विवरण विस्तार में दिया था। मैंने आपको यह सूचना भी दी थी कि सी आइ टी यू ने राजकोट जिला में मालिया तालुक (राजकोट से 120 किलो मीटर दूर) के गांव में एक पाठशाला बनाने का निर्णय लिया था। मुझे आपको यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अब तक प्राप्त अंशदानों से न केवल एक पाठशाला अपितु एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण भी कराया है। मुझे सूचना मिली है कि यह निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगली जुलाई तक इसे किसी भी समय जनता को भेंट किये जाने की सम्भावना है। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिये उस स्थान का दौरा किया है, और मैंने पाया कि हमारे दोनों कार्य बहुत अच्छे ढंग से किये गए हैं।

संयुक्त संघर्ष : वर्तमान परिप्रेक्ष्य

171. कार्य समिति की पिछली बैठक ने सी आइ टी यू संगठन को निदेश दिया था कि वह अन्य श्रमिक संघों को संयुक्त संघर्षों में लाने के लिये अपने प्रयासों में तेजी लाए। कार्य समिति द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में हमारे स्वतंत्र अभियान में भी तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया था।

172. कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद सी आइ टी यू ने केन्द्र के स्तर पर तथा अनेक राज्यों में 9 नवम्बर को भूमंडलीयकरण के विरुद्ध विरोध दिवस मनाने के लिये सभी श्रमिक संघों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से पहलकदमी की थी। भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध आयोजित विरोध दिवस का आह्वान सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम देश भर में व्यापक रूप से मनाया गया, इसकी रिपोर्ट हम पहले से दे चुके हैं।

173. उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त सी आइ टी यू ने आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाइयों के लिये इंटक तथा बी एम एस सहित अन्य सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता की स्थिति निरंतर बनाए रखी है। इस प्रक्रिया में इंटक को छोड़ कर अन्य सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एक बैठक 10 जनवरी, 2002 को सी आइ टी यू के मुख्यालय में हुई थी; उस बैठक में उसी दिन होने वाले बजट पूर्व विचार-विमर्श के समय श्रमिक संघों की सामान्य नीति का निर्धारण किया गया था। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श के समय इंटक के अतिरिक्त अन्य सभी श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भेंट किया गया था, उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्तमान में जारी उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीयकरण की नीति की निंदा की गई थी, जनसाधारण पर करों का बोझ बढ़ाए जाने तथा समृद्ध जनों को भारी सुविधाएं दिये जाने के प्रस्तावों की तीखी आलोचना की गई थी। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 11 जनवरी को पुन: बैठक हुई उस बैठक में 14 मार्च को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का निश्चय किया गया था यह विरोध दिवस जन विरोधी नीतियों के विरोध में मनाया गया, उससे पूर्व राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन किया गया और हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाई के लिये तैयारियां करने का आह्वान भी किया गया था। यद्यपि इंटक के प्रतिनिधियों ने उक्त बैठक में उपरोक्त कार्यक्रम पर अपनी अंतिम सहमति नहीं दी थी तथापि हमारे द्वारा सक्रिय रूप प्रयास किये जाने तथा उसे प्रेरित करने के फलस्वरूप उसके पश्चात इंटक ने 14 मार्च के प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय ले लिया था। 11 जनवरी की बैठक में संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में किसी समय सार्वजनिक क्षेत्र में देशव्यापी हड़ताल करने कपर विचार किया गया था। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एक बार पुन: 14 फरवरी को बी एम एस कार्यालय में बैठक हुई, उस बैठक में संघर्ष के आगामी कार्यक्रम पर विचार किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में हड़ताल को लेकर इस बार भी संकोच एवं अनिश्चय पाया गया किन्तु जब 16 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र में हड़ताल के प्रवत अन्य श्रमिक संगठनों ने दृढ़ रुख अपनाया तो यह संकोच भी जाता रहा।

174. उपरोक्त घटनाएं स्पष्ट रूप से इस बात के महत्व को दर्शाती है कि जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या में पाए जाने वाले व्यापक असंतोष की पृष्ठभूमि में और 16 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में हड़ताल करने के लिए किये गए आह्वान पर सी पी एस टी यू के घटकों द्वारा दृढ़ रुख अपनाए जाने के कारण बी एम एस का नेतृत्व भी अन्य केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ हड़ताल में शामिल हुआ, इंटक से संबद्ध अनेक श्रमिक संघों ने भी उद्योग स्तर पर हड़ताल में भाग लेने का निश्चय किया था।

175. यद्यपि हमने 16 अप्रैल की हड़ताल में निजी क्षेत्र के श्रमिको तथा श्रमजीवी जनता की दूसरी श्रेणियों को भी शामिल करने और इस हड़ताल के स्वरूप को व्यापक बनाने के लिये प्रयास किये थे तथापि हमारे ये प्रयास फलप्रद नहीं हुए। किन्तु इस पर भी हम राज्य स्तर पर निरंतर अभियान चलाने तथा प्रायोजन समिति से बाहर छूटे श्रमिक संघों को प्रेरित करके पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों

में व्यापक औद्योगिक हड़ताल कराने में सफल रहे हैं। आंगनवाड़ी श्रमिकों के चार अखिल भारतीय महासंघों तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों की विशाल बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके अखिल भारतीय महासंघ ने भी 16 अप्रैल की हड़ताल में भाग लेने का निर्णय लिया था। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की हड़ताल की परिधि और विशाल हो गई और वह सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाओं को लांघ गई थी।

176. हमारा उपरोक्त अनुभव बदलती स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाता है और हमारे समय विद्यमान कुछ अनिवार्य कार्यों की ओर भी संकेत करता है।

177. अर्थव्यवस्था का गहरा होता चला जा रहा संकट और सत्तारूढ़ तंत्र द्वारा उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीयकरण की नीतियों के अंधानुकरण के फलस्वरूप श्रमिक की विशाल बहुसंख्या में व्यापक रोष एवं आक्रोश उत्पन हुआ है, इसलिये अधिकांश सुधारवादी श्रमिक संगठनों के नेतृत्व के लिए संयुक्त संघर्षों से बाहर रहना निरंतर असम्भव होता चला जा रहा है जबकि पिछले दशक में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इस स्थिति में संयुक्त संघर्षों की अपनी नीति पर निरंतर चलते हुए हम सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट कर सकते हैं और राजतंत्र में इस प्रकार की नीतियों का प्रचार करने वाले भद्रजनों की पोल खोल सकते हैं। संयुक्त संघर्षों की प्रतिध्वनि से आगे चलकर विधानकारी शक्तियों का परास्त करने में भी सहायता मिलेगी। यदि हम इस प्रकार के जागरूक प्रयास नहीं करते और इसकी निरंतरता को बनाए नहीं रखते तो संकट तथा आक्रोश की इस स्थिति में श्रमिकों में निराशा की भावना व्याप्त हो जाती और वे हतोत्साहित हो जाते।

178. दूसरे, नये दशक के शुरू होने के समय से ही उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीतियों ने समाज में जनता की अन्य श्रेणियों विशेष रूप से खेतिहर श्रमिकों तथा किसानों पर विशेष दुष्प्रभाव डाला है। यह दुष्प्रभाव अब दिखाई देने लगा है और नीतियों के विरूद्ध आक्रोश के स्वर तीखे, ऊँचे तथा व्यापक होते चले जा रहे हैं। श्रमिक आंदोलन और विशेष रूप से सी आइ टी यू के कार्यकर्ताओं को इस बदलती स्थिति तथा नीतियों के विरूद्ध फैलते चले जा रहे आक्रोश को समझना चाहिए। हमें राष्ट्रीय जन संगठनों मंच को अधिक सक्रिय बनाने तथा संयुक्त संघर्ष में समाज की अन्य श्रेणियों की अधिक से अधिक एवं व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिये और अधिक पहलकदमी करनी होगी। इसके लिये श्रमिक आंदोलन को खेतिहर श्रमिकों, गरीब किसानों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं तथा अन्य श्रेणियों की मांगों को उठाना होगा और उनके लिये आंदोलन चलाना होगा। केंद्र तथा राज्यों की सी आइ टी यू समितियों एवं प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को अपने सम विचारक जनसंगठनों के साथ मिल कर अपनी गतिविधियों की योजना बनानी होगी, उन्हें निरंतर संयुक्त अभियान चलाने होंगे तथा संघर्ष की संयुक्त कार्रवाईयां करनी होंगी ताकि इसके फलस्वरूप समाज की अन्य श्रेणियों की संघर्षों में अधिक तथा सक्रिय भागीदारी के लिये अनुकूल स्थिति बन सके। हमने पहले अवसरों पर इसकी अनिवार्य आवश्यकता पर विचार किया था किन्तु इस दिशा में हम अधिक प्रगति नहीं कर सके। पिछला अनुभव बार-बार दोहराने का जोखिम हम मोल नहीं ले सकते।

179. तीसरे, वर्तमान में संयुक्त संघर्षों की निरंतरता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में हम संघर्ष को ऊँचाईयों तक नहीं ले जा सकेंगे जो समय की मांग है। इसके बिना ही औपचारिकताओं के अवरोधों को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, दूसरों की बात जाने दीजिए स्वयं हमारे संगठन में विभिन्न स्तरों पर तथा आंदोलन में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। अभियानों तथा आंदोलन में सभी स्तरों पर सी आइ टी यू की जागरूक स्वतंत्र पहलकदमियों, हमारे अभियान के समय सत्ताधारी श्रेणी की राजनीति एवं नीतियों की पोल खोलने के लिये हमारे जागरूक प्रयासों तथा संघर्ष में जीवन की सभी श्रेणियों के लोगों को सम्मिलित किये जाने इत्यादि के फलस्वरूप हम संयुक्त आंदोलन तथा संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखेंगे और इसे एक वास्तविकता बता सकेंगे।

180. हमें अपने आवश्यक कार्यों की ओर ध्यान देना होगा जो हमारे लिये अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। हमें अपने संगठन को ऊँचाई तक ले जाना होगा। ऊपर के भाग में हम विस्तारपूर्वक सांगठनिक पक्षों पर चर्चा कर चुके हैं। उसके लिए हमें संगठन के सभी स्तरों पर और अपनी सीमाओं एवं प्रभामण्डल से बाहर जाकर भी अपना अभियान चलाना होगा। हमने पहले ही इस दुर्बलता की पहचान कर ली है। यह दुर्बलता हमारे संगठन की प्रगति के मार्ग की बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिये हमें ठोस कदम उठाने होंगे।

181. सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन में प्रस्तुत महासचिव की रिर्पोट में हमारे भावी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है। उसमें कहा गया था: हमारे पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में राजनीतिक के क्षेत्र में घटित घटनाएं देश में राजनीतिक शक्तियों के एक दूसरे पर आधारित सम्बन्धों में यदाकदा होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करती हैं। ये परिवर्तन गहरे होते चले जा रहे राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं जिनका भयंकर दुष्प्रभाव जन साधारण पर पड़ रहा है। यह स्थिति आर्थिक नीतियों तथा साम्प्रदायिक हमलों के विरोध में लड़ रही शक्तियों तथा श्रमिक वर्ग पर दायित्व डालती है कि वे लोगों के समक्ष जन पक्षीय विकल्प प्रस्तुत करें। इस प्रकार का विकल्प समर्पणकारी आर्थिक नीतियों तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरोध में जारी संघर्षों का और तीखा करने से ही उभर सकता है और किसी भी ढंग से नहीं। हमें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिये और लोगों के आक्रोश की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति को संगठित देशव्यापी जन संघर्षों के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिये...।''

साथियो,

182. आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी, इसके दुष्परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण पर अधिक से अधिक हमले होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार की आर्थिक नीति के तेजी से बढ़ रहे विरोध की, सरकार हठधर्मिता से काम लेते हुए अनदेखी कर रही है। यद्यपि वह जनता में अधिकाधिक अलग-थलग पड़ती चली जा रही है। अलग-थलग पड़ने की इस पृष्ठभूमि में संघ परिवार घृणित साम्प्रदायिक हथकण्डे अपना रहा है ताकि वह भड़की साम्प्रदायिक भावनाओं की लहर से लाभ उठा कर इस स्थिति से उबर सके। इसके लिए वह पूरे देश में गुजरात जैसी साम्प्रदायिक हिंसा को फैलाना चाहती है। देश को पहले कभी भी घोर कठमुल्लावादी शक्तियों के नेतृत्व वाले सत्ताधारी तंत्र के इस प्रकार के घृणित एवं विनाशकारी हथकण्डों का सामना नहीं करना पड़ा था और न ही कभी मानवता को इतना भारी मोल चुकाना पड़ा था। इस स्थिति में श्रमिक आंदोलन का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह देश के शासन तंत्र में बैठी मानवता के इन घोर शत्रुओं को बेनकाब करने के कार्य को प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में लें।

183. देश की राजनीति अधिकाधिक जटिल होती चली जा रही है, इसके फलस्वरूप राजनीति दलों के एक बड़े भाग की निर्लज्ज अवसरवादिता नंगी हुई है। एन डी ए के सहयोगी दल अपनी सरकार के अनेक दलों विशेष रूप से भाजपा की साम्प्रदायिक कार्रवाईयों के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करने पर भी भाजपाई बेड़े के साथ चिपके बैठे हैं जबकि वे भलिभांति जानते हैं कि यह बेड़ा डूब रहा है। जब तक एन डी ए सरकार सत्ता में है वे उससे अधिक से अधिक लाभ उठा लेना चाहते हैं। केवल शक्तिशाली जन संघर्षों के माध्यम से ही एन डी ए शिविर में व्याप्त विरोधाभासों को इस सीमा तक तीव्र किया जा सकता है कि वे टूट ही जाएं तथा शक्तियों के ध्रुवीकरण में और परिवर्तन हो।

184. कांग्रेस पार्टी 14 राज्यों में सत्ता में है, वह केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा कर रही है। यद्यपि वह अनेक संकोचों से ग्रसित होने पर भी वह एक धर्मनिर्पेक्ष दल मानी जाती है। कांग्रेस भी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की विश्व बैंक निदेशित नीति की समर्थक हैं, यह नीति पहले ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा जनगण को अभूतपूर्व क्षति पहुंचा चुकी है। इसलिये देश में इस प्रकार का जन परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है जो केंद्र में श्रमिक वर्ग पक्षीय तथा जन पक्षीय नीतियां अपनाए, उन्हें लागू करे और वह एल पी जी (निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण) नीतियों जिनका पिछले दशक से पालन किया जा रहा है, के सर्वथा विपरीत हो।

185. हम पहले ही वैकल्पिक नीतियों पर आधारित इस प्रकार के जन विकल्प को उभारने के लिए देशव्यापी संघर्ष की आवश्यकता पर बल दे चुके हैं। श्रमिक वर्ग तथा समाज की अन्य श्रेणियों में भी उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विरूद्ध संघर्षों तथा प्रतिरोधी कार्रवाईयों में जबरदस्त वृद्धि इन जुझारू संघर्षों को जनपक्षीय विकल्प के लिए देशव्यापी संघर्ष की दिशा में ले जाना होगा और इसके लिये संचेतन प्रयास करने होंगे।

186. सी आइ टी यू श्रमिक वर्ग को एकजुट करने के लिये पहलकदमी करे और समाज की अन्य श्रमजीवी श्रेणियों के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार के बड़े संघर्षों के लिये श्रमिक वर्ग को तैयार करे।

187. हमारा कार्य अत्यंत गम्भीर एवं महत्वपूर्ण हैं। एक शक्तिशाली आंदोलन की सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं। आईये, हम स्थिति की मांग पर पूरा उतरे ताकि श्रमिक वर्ग हमारे देश की दसियों लाख श्रमजीवी जनता के पक्ष में वर्तमान स्थिति को बदलने के लिये अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन कर सके।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ!

एम के पंधे
महासचिव

ANNEXURE: I

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSHIP AS PER ANNUAL RETURNS RECEIVED TILL 15/04//2002

State	Unions Submitting Retur			Position of membership according to annual returns					
	1998	1999	2000	19 98		19 99		2000	
				TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE
A & N	6	7	2	**1426**	0	**1863**	0	**378**	0
A.P.	461	670	595	**123574**	31417	**184500**	34995	**154874**	28989
ASSAM	74	83	82	**37309**	11080	**45450**	13642	**53914**	21878
BIHAR	19	17	8	**14486**	212	**20374**	71	**12792**	55
DELHI	49	69	63	**40775**	2295	**48634**	2611	**29203**	1275
GOA	7	7	5	**2141**	13	**1319**	30	**1216**	140
GUJRAT	18	20	6	**12535**	1057	**13704**	1454	**2586**	90
HARYANA	19	18	10	**33030**	12099	**34951**	7161	**3993**	10
H.P.	19	30	21	**6419**	2534	**9213**	3572	**7989**	4273
J & K	1	1	1	**469**	12	**581**	19	**533**	12
KARNATAKA	93	117	76	**72637**	33724	**85322**	32269	**68935**	36339
KERALA	871	887	628	**852287**	255686	**976041**	255956	**754043**	201503
M.P.	54	66	6	**14411**	4635	**19582**	5099	**3307**	210
MAHARASHTRA	50	58	35	**46506**	5141	**59734**	5795	**54029**	2608
ORISSA	33	51	34	**19812**	2785	**21816**	2847	**16390**	2557
PUNJAB	68	83	51	**58430**	344	**78566**	1019	**55816**	6812
RAJASTHAN	73	74	22	**30072**	323	**34168**	529	**11475**	6
T.N.	384	410	329	**232558**	26060	**266501**	31391	**230898**	39006
TRIPURA	29	32	23	**44639**	2875	**59735**	1972	**53894**	12988
U.P.	77	76	60	**18892**	158	**18691**	195	**12755**	267
W.B.	954	936	450	**1143900**	68885	**1206221**	142560	**298402**	53507
UTTARANCHAL	28	32	1	**7173**	324	**8677**	401	**243**	0
CHHATISHGARH	17	13	11	**21676**	760	**20952**	483	**16489**	558
JHARKHAND	15	14	7	**31200**	4252	**54720**	4957	**23449**	3402
GRAND TOTAL	**3419**	**3771**	**2526**	**2866357**	466671	**3271315**	549028	**1867603**	416485

YEAR	NO. OF UNIONS	TOTAL MEMBER	FEMALE MEMBER
1983	1854	**1890993**	
1984	2005	**1575655**	
1985	1717	**1716457**	132536
1986	2412	**1844273**	209348
1987	2350	**1680884**	206482
1988	2618	**1919280**	264507
1989	3114	**2425000**	247388
1990	2934	**2095550**	245060
1991	2783	**2088218**	291228
1992	3343	**2381012**	321620
1993	3156	**2371405**	306344
1994	3198	**2470131**	261980
1995	3512	**2784050**	358188
1996	3645	**2805127**	435285
1997	3770	**2914267**	505949

संयुक्त संघर्षों तथा श्रमिक आंदोलन की संगठनात्मक मजबूती पर विशेष परिचर्चा

''आज से 23 वर्ष पूर्व अपना जन्म होने के समय से ही सी आइ टी यू ने श्रमिक वर्ग की सर्व सामान्य समस्याओं पर संयुक्त आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवधि में सी आइ टी यू ने श्रमिक वर्ग के हितों के लिये संघर्ष चलाने वाले अग्रणी पुरोधा संगठन के रूप में ख्याति प्राप्त की है।''

''सी आइ टी यू वर्ग संघर्ष तथा समाजवाद के सिद्धांतों पर निरंतर दृढ़ रहा है और उसने इन उदात्त विचारों के प्रति शत्रुता भरी विचारधाओं के विरुद्ध संघर्ष चलाया है। ऐसे अवसरों पर भी उसने विशेष सैद्धांतिक रुख अपनाया है और उसने कभी भी श्रमिकों के वर्गीय हितों की रक्षा के लिए संघर्षों के मार्ग को छोड़ा नहीं है।''

सी आइ टी यू की कार्य समिति द्वारा 4-6 जून 1993 को भुवनेश्वर में आयोजित अपनी बैठक में पारित संगठनात्मक रिपोर्ट जिसे भुवनेश्वर दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, में सी आइ टी यू के संगठनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था। उसका आरम्भ पूर्वोक्त अंशों के साथ हुआ था।

संयुक्त आंदोलन : विभन्न चरण

श्रमिक आंदोलन को ऐक्यबद्ध करने की कार्रवाई सी आइ टी यू के जन्म के पश्चात् विभिन्न पड़ावों में से गुजर चुकी है। पहला श्रमिक संघों की संयुक्त परिषद (यू सी टी ए) के रूप में आया था जब इंटक के नेतृत्व में कुछ सरकार समर्थक प्रमुख श्रमिक संघ काम करते थे। उसके पश्चात् श्रमिक संघों की राष्ट्रीय अभियान का चरण आया; अभियान समिति ने एक विशेष अवधि में जनता पार्टी की सत्ता के समय लाए गए औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को एक विशेष अवधि के लिये संयुक्त मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। तत्पश्चात् 1982 में इंटक के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा औद्योगिक महासंघों को साथ लेकर राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया था उसके बाद की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन के देशव्यापी संयुक्त मंच की मजबूती भी देखी गई। तत्पश्चात् नब्बे के दशक में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष के लिए श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति का गठन किया गया। और वर्तमान चरण में उद्योग स्तरीय कार्रवाईयों में और अधिक एकता देखने को मिल रही है; इन कार्रवाईयों में इंटक तथा बी एम एस भी सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दोनों केन्द्रीय श्रमिक संगठन कभी कभार संकोच होने पर भी अन्य श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष संयुक्त कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

सी आइ टी यू ने अपने स्थापना सम्मेलन में ही ''एकता और संघर्ष'' की दिशा में आगे बढ़ने का नारा दिया था; उसने शोषण के विरुद्ध संघर्ष में तथा श्रमिकों जन साधारण के ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिये श्रमिक वर्ग की एकता का निर्माण करने की अत्यावश्यकता पर बल दिया था।

किन्तु सी आइ टी यू की स्थापना होते ही सत्ताधारी श्रेणियों की ओर से श्रमिक आंदोलन के भीतर ही सी आइ टी यू को अलग थलग कर देने के लिये जी तोड़ प्रयास किये गये। इंटक, एटक तथा एच एम एस द्वारा भारत सरकार तथा उसके श्रम मंत्री आर के खाडिलकर के आशीर्वाद से एक साथ मिलकर वर्ष 1971 में श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद (एन सी टी यू) का गठन किया गया।

एन सी टी यू ने उस समय केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का समर्थन करने की नीति अपनाई। सी आइ टी यू द्वारा श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिये—अन्य सभी श्रमिक संघों तथा उद्योगवार महासंघों को एक करके एक सांझे मंच का गठन करने की दिशा में पहलकदमी की गई; उस मंच का नाम था—श्रमिक संघों का संयुक्त मंच अर्थात् यू सी टी यू। यू सी टी यू की ओर से श्रमिक वर्ग की विभिन्न समस्याओं को लेकर देश व्यापी संयुक्त संघर्ष चलाए गए और आगे चल कर इमरजेंसी शासन के विरोध में भी संघर्ष चलाया गया। इसी प्रक्रिया में सरकार समर्थक एन सी टी यू समाप्त प्राय: हो गया। एच एम एस ने एन सी टी यू को छोड़ दिया और वह यू सी टी यू के झंडे तले चल रहे संघर्षों की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया।

आगे के चरण

उसके बाद से श्रमिक वर्ग की एकता तथा संयुक्त कार्रवाईयों के अभ्यास विभिन्न चरणों से गुजर चुके हैं। जनतार पार्टी सरकार द्वारा 1978 में प्रस्तुत औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का एटक, इंटक एव बी एम एस सहित सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रतिकार किया गया। यह प्रतिकार संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अभियान समिति के एक व्यापक मंच के माध्यम से किया गया था। प्रस्तावित निरंकुश विधेयक किस प्रकार अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, यह चरण इस तथ्य का साक्षी है।

केन्द्र में कांग्रेस के पुन: सत्तारूढ़ हो जाने के पश्चात् इंटक ने एन सी सी (राष्ट्रीय अभियान समिति) को छोड़ दिया। किन्तु उसके पश्चात् भी एन सी सी श्रमिक वर्ग के संघर्षों का संयुक्त मंच रहा। राष्ट्रीय अभियान समिति (एन सी सी) का गठन जून 1981 में मुम्बई में आयोजित एक विशाल अखिल भारतीय सम्मेलन में हुआ था। यह समिति इंटक के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा असंख्य प्रमुख औद्योगिक महासंघों को अपनी पंक्तियों में लाने में सफल रही थी। अस्सी के दशक के अंतिम भाग तक यह मंच श्रमिकों के अधिकारों पर हुए अनेक हमलों को पछाड़ने में सफल रहा था। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय 19 जनवरी 1982 की ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल थी; यह हड़ताल एन सी सी के आह्वान पर हुई थी। भारतीय श्रमिक आंदोलन के इतिहास में यह श्रमिक वर्ग की पहली शक्तिशाली औद्योगिक कार्रवाई थी। उस अवसर पर सी आइ टी यू के अध्यक्ष बी टी रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके हड़ताल की संयुक्त कार्रवाई की सफलता पर श्रमिकों को बधाई दी थी। उन्होंने कहा था : ''कांग्रेस-आइ शासित विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से दमन की बर्बर कार्रवाईयां किये जाने पर भी दसियों लाख श्रमिकों ने हड़ताल करके देश में श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक नये अध्याय की रचना की है; हमारे 50,000 श्रमिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई और कांग्रेस-आइ के गुण्डों ने श्रमिकों पर हमले किये जिसके दुष्परिणामस्वरूप अनेक श्रमिक मारे गए।''

सी पी एस टी यू का आंदोलन

इसी अवधि अर्थात् अस्सी के देशक के मध्य में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सी पी एस टी यू) का भी गठन किया गया था। सी आइ टी यू ने केन्द्रीय सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठा को गिराने के लिये किये जा रहे षड्यंत्र के विरोध में स्वतंत्र रूप से देशव्यापी अभियान चला कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके फलस्वरूप सी पी एस टी यू के गठन के लिये आवश्यक स्थिति बनी। इंटक तथा उन श्रमिक संघों जो किसी भी केन्द्रीय श्रमिक संगठन के साथ सम्बद्ध नहीं थे, को छोड़ कर विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के सभी श्रमिक संघ इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी षड्यंत्र के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सी पी एस टी यू में सम्मिलित हो गए। सी पी एस टी यू अनेक संयुक्त संघर्ष चला कर सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों का एक संयुक्त मंच बन गया था और उसे सार्वजनिक क्षेत्र का निरंतर समर्थन करने वाले तथा उसके श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मंच के रूप में मान्यता दी जाने लगी।

अस्सी के दशक के अंतिम भाग में बी एम एस ने सी पी एस टी यू के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लिये। इस पर भी सी पी एस टी यू सफलतापूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की विशाल संख्या को लामबंद करने में सक्षम रहा; उन अनेक श्रमिक संघों ने भी हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाईयों में भाग लिया जो इंटक तथा बी एम एस के साथ सम्बद्ध थे। वास्तव में, सी पी एस टी यू द्वारा हाल ही के महीनों में चलाए गए संयुक्त अभियान के फलस्वरूप तृण मूल स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बी एम एस को भी 16 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाईयों में हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाई में भाग लेना पड़ा था।

श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निवेशों पर वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण की आर्थिक नीति लागू होने के फलस्वरूप श्रमिक संघों का संयुक्त आंदोलन पूर्णतया एक नये चरण में प्रविष्ट हो चुका है। इंटक तथा बी एम एस ने उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण (एल पी जी) विरोधी संयुक्त आंदोलन से बाहर रहना ही श्रेयस्कर अथवा उचित समझा था किन्तु इस पर भी अन्य

सभी श्रमिक संघों ने 29 नवम्बर 1991 की देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया। इसके फलस्वरूप श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंटक तथा बी एम एस को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठन प्रायोजन समिति में सम्मिलित हुए; उनके साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, प्रतिरक्षा, औषध, उर्वरक, बैंक, बीमा एवं अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के अन्य प्रमुख स्वतंत्र अखिल भारतीय महासंघ भी इस प्रायोजन समिति में सम्मिलित हो गए; वे उन क्षेत्रों के कर्मचारियों की विशाल बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। यह संघर्ष के संयुक्त मंच को और विशाल बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम था।

प्रायोजन समिति ने नब्बे के दशक में संघर्ष की अनेक देशव्यापी कार्रवाईयों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था; इनमें एल पी जी नीतियों के विरोध में की गई हड़ताल की कार्रवाईयां भी सम्मिलित थीं। प्रायोजन समिति की पहलकदमी पर जीवन की अन्य श्रेणियों के लोगों—किसानों, खेतिहर श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, अधिवेताओं (वकीलों) तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के जनसंगठनों को—विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जारी संयुक्त संघर्षों में लाया जा सका। नयी दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1993 में किया गया; इस सम्मेलन में श्रमिकों तथा श्रमजीवी जनता ने भारी संख्या में भाग लिया; इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय जन संगठन मंच का गठन किया गया। राष्ट्रीय जन संगठन मंच (एन पी एम ओ) ने सभी जनसंगठनों को सक्रिय करने, समाज की सभी श्रेणियों को संघर्षों की लहरों में खींच लाने, निरंतर अभियान एवं आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः नब्बे का पूरा दशक न केवल आम हड़तालों तथा बंदों का दशक रहा अपितु बैंकों, बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में हड़ताल की असंख्य सेक्टर वार कार्रवाईयों का दशक भी रहा; इसी अवधि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों और उनके साथ-साथ अन्य जन मोर्चों के अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा भी संघर्ष किये गए। यही नहीं, एन टी सी, इस्को तथा अनेक अन्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनरुद्धार के लिये संघर्ष चलाए गए जिनमें सम्बन्धित क्षेत्र की सभी यूनियनों की पूर्ण एकता देखी गई। प्रायोजन समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा देश भर में चलाए गए अभियान एवं आंदोलन के फलस्वरूप देश भर में एक ऐसा वातावरण बन गया कि इंटक तथा बी एम एस के नेतृत्व को भी सार्वजनिक रूप से उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों का समर्थन करने का साहस नहीं हुआ है, भले ही वे पूर्वतः संयुक्त आंदोलन से बाहर क्यों न रहे हों, वे अपनी पंक्तियों में एकजुट श्रमिकों की एक बड़ी भारी संख्या को भी हड़तालों की देशव्यापी संयुक्त कार्रवाईयों में भाग लेने से भी रोक नहीं सके। इसके फलस्वरूप कांग्रेस तथा संयुक्त मोर्चा सरकारों के सयम उदारीकरण की नीतियों के कार्यान्वयन की गति को उल्लेखनीय सीमा तक मंद किया जा सका।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता में

भाजपा ने केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के पश्चात् और अधिक शक्ति तथा हताशा के साथ एल पी जी नीतियों का पालन किया है; उसने संयुक्त श्रमिक आंदोलन तथा अन्य जन संगठनों द्वारा प्रतिबिम्बित सार्वजनिक विरोध के स्वरों को भी सुनने से इन्कार कर दिया है। निजीकरण का प्राण घातक आक्रमण तथा श्रमजीवी जनता पर हमले नये आयामों को छूने लगे हैं। यह वह पृष्ठभूमि है जिसमें 2000 के पश्चात् श्रमजीवी जनता की ओर से और अधिक शक्ति के साथ प्रतिरोधी संघर्ष चलाए गए हैं।

वर्ष 2000 का आरम्भ गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों की पांच दिवसीय हड़ताल; राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा बिहार के राज्य सरकारी कर्मचारियों की एक महीने से अधिक समय तक चली हड़ताल; उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की दस दिन लम्बी चली संयुक्त हड़ताल के साथ हुआ था। उसके बाद की अवधि में बाल्को के श्रमिकों; आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में परिवहन श्रमिकों; केरल के राज्य सरकारी कर्मचारियों की ओर से निरंतर हड़ताल की कार्रवाईयां की गईं। डाक, दूर संचार, कोयला श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल की अनेक कार्रवाईयां की गईं।

वर्ष 2000 के बाद की अवधि में आयोजित हड़ताल की सेक्टर वार कार्रवाईयों का एक सामान्य पक्ष प्रकट होता है। सभी सांगठनिक सम्बद्धताओं वाले सभी श्रमिकों ने उनमें भाग लिया। इन सेक्टरों में सक्रिय सभी श्रमिक संघों जिनमें इंटक तथा बी एम एस से सम्बद्ध श्रमिक संघ भी सम्मिलित हैं, द्वारा इन हड़तालों को चलाया गया; ये तथ्य श्रमिकों की एकता को प्रतिबिम्बित करते हैं।

उदारीकृत सत्ता में पहली बार यह स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके चलते इंटक तथा बी एम एस के केन्द्रीय नेतृत्व को भी उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विरुद्ध पहले से संघर्षरत अन्य संगठनों के साथ मिलकर 24 जुलाई, 2001 को देशव्यापी संयुक्त प्रदर्शनों के आह्वान और देशव्यापी हड़ताल की तैयारियां करने के लिए विवश होना पड़ा था। गुजरात तथा महाराष्ट्र में क्रमवार 16 तथा 25 अप्रैल, 2001 को सफलतापूर्वक विशाल बंदों का आयोजन किया गया। देश के सभी राज्यों में 24 जुलाई के संयुक्त प्रदर्शनों से पूर्व संयुक्त सम्मेलन आयोजित किये गए जिनमें सारी संख्या में कर्मचारियों तथा श्रमिकों ने भाग लिया था; इन सम्मेलनों में देशव्यापी हड़ताल के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

सभी श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल के लिये दिये गए आह्वान को जबरदस्त प्रत्युत्तर मिला, किन्तु इस पर भी 2001 में इंटक तथा बी एम एस द्वारा विरोध किये जाने के कारण यह हड़ताल नहीं की जा सकी। जहां इंटक का नेतृत्व हड़ताल के आह्वान के लिए अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट

गया वहीं बी एम एस के नेतृत्व ने कोई न कोई बहाना बना कर हड़ताल को टालने के हथकंडे अपनाए। जब सी पी एस टी यू के घटकों तथा प्रायोजन समिति ने 16 अप्रैल, 2002 को सार्वजनिक क्षेत्र में हड़ताल करने के लिए स्पष्ट रुख अपना लिया तब जाकर बी एम एस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने के लिये सहमत हुआ। इंटक के नेतृत्व ने हड़ताल के आह्वान का विरोध किया, किन्तु इस पर भी गोदी एवं बंदरगाह तथा अन्य उद्योगों में सक्रिय इंटक के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों ने आगे बढ़कर हड़ताल को अपना खुला समर्थन दिया है। यही नहीं, बी पी सी एल तथा एच पी सी एल जैसी तेल कम्पनियों में सक्रिय सभी श्रमिक संघों जिनमें शिव सेना तथा इंटक के श्रमिक संघ भी सम्मिलित हैं ने संयुक्त रूप से तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने का निर्णय लिया है, यह हड़ताल 16 अप्रैल 2002 को शुरू होगी।

इस अवधि में घटित घटनाओं का एक और महत्वपूर्ण पक्ष देखने को मिला है—यह पक्ष है निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल के प्रति व्यक्त की जा रही एकजुटता का। इसके साथ-साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों में सभी श्रमिक संघों ने संयुक्त रूप से राज्य व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के लिये जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया गया।

अनुभव, शिक्षाएं तथा कार्य

संयुक्त श्रमिक आंदोलन की तीन दशकों तक चलाई गई कार्रवाईयों के फलस्वरूप हमें कुछ विशेष ठोस अनुभव हुए हैं।

सी आइ टी यू का प्रादुर्भाव होने के बाद की पूरी अवधि में हमने सत्ताधारी श्रेणियों की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में श्रमिकों को लामबंद करने के लिये प्रयास किये हैं; इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम श्रमिक आंदोलन की प्रमुख श्रेणियों को श्रमिक आंदोलन के भीतर पाए जाने वाले वर्ग सहयोगवादी सरकार समर्थक दृष्टिकोण के प्रभामंडल से खींच कर बाहर ला सके हैं।

उसके बाद की अवधि में भी सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त श्रमिक आंदोलन की नीति की दृढ़ अभिव्यक्ति होने के फलस्वरूप संयुक्त मंच व्यापक हुआ है। उदारीकरण विरोधी संघर्ष को भी 1991 के शुरू से ही सी आइ टी यू द्वारा चलाए गए निरंतर अभियान के पश्चात् ही गतिवान बनाया जा सका है; इस संघर्ष के कारण ही हम उदारीकरण की नीति के वास्तविक स्वरूप को बेनकाब कर सके हैं। अब भी हड़ताल का आह्वान करने के मामले में भारी संकोच पाया जाता है; यहां तक कि वामपक्षी श्रमिक संघ भी संकोच की इस ग्रंथी से पीड़ित हैं। सी आइ टी यू ने हड़ताल की कार्रवाई करने के लिए दृढ़ रुख अपनाया था; उसने स्पष्ट कर दिया था कि भले ही अन्य वामपक्षी संगठन हड़ताल में भाग लेने के लिए आगे नहीं आए किन्तु वह अकेले अपने दम पर हड़ताल की कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात् ही उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के विरोध में 29 नवम्बर 1991 को देशव्यापी संयुक्त हड़ताल का आह्वान किया जा सका था। इस हड़ताल का परिणाम श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति के गठन के रूप में निकला था; इसका उल्लेख हम ऊपर पर कर चुके हैं। प्रायोजन समिति द्वारा चलाया गया एक दशक लम्बा अभियान तथा आंदोलन ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सफल रहा जिसके कारण इंटक तथा बी एम एस को संकोच होने पर 2000 से उदारीकरण विरोधी संघर्ष में सम्मिलित होने के लिये विवश होना पड़ा था।

इस अनुभव ने कार्रवाई के लिये व्यापक एकता लाने के तथ्य को रेखांकित किया है; ''संघर्ष के लिए एकता'' पर दृढ़तापूर्वक बल देने तथा संयुक्त संघर्ष चलाने की नीति का पालन करने की अनिवार्यता सदा बनी रहती है। संघर्षों के प्रश्न पर समझौता करके यह एकता लाई नहीं जा सकती। **ऐसी एकता जिसके पीछे संघर्ष की कोई धारणा ही नहीं हो, व्यर्थ है और उसका कोई अर्थ नहीं।**

यह सत्य है कि उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण की नीतियों के दुष्प्रभावों के दु:खद प्रकटीकरण ने श्रमिक आंदोलन में एकता के लिये अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर दी थी। किन्तु जब तक उपर्युक्त दिशा में प्रतिरोध के लिये सहज स्वाभाविक इच्छा तथा आक्रोश को आंदोलन की एक धारा में समाहित करने के लिये सक्रिय प्रयास नहीं किये जाते तब तक केवल अनुकूल स्थितियां होने से ही काम नहीं चलेगा और न ही वह संयुक्त आंदोलन की दिशा में अग्रसर होगा। इस प्रकार के प्रयासों के अभाव में संकट के प्रकटीकरण तथा हमलों के फलस्वरूप श्रमिक हतोत्साहित हो सकते हैं तथा उनमें निराशा घर कर सकती है। संयुक्त देश व्यापी श्रमिक संघर्ष चलाने के लिये निरंतर किये जाने वाले प्रयासों का महत्व इसी बात में है।

सी आइ टी यू का हस्तक्षेप तथा पहलकदमी

दूसरे, सत्तर के दशक के मध्यम भाग में और उसके बाद की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के मामले में सी आइ टी यू द्वारा किये गए हस्तक्षेप ने लगभग निर्णायक भूमिका निभाई थी। किन्तु उदारीकरण की अवधि में जब संयुक्त संघर्षों को आर्थिक मांगों की अपेक्षा नीति सम्बन्धी मूलभूत मुद्दों पर केन्द्रित किया जाना था तब हमें अभियान समिति में अपने सहयोगियों की अनिश्चय से भरी भावनाओं तथा संकोचपूर्ण रुख का सामना अधिकाधिक करना पड़ा; इंटक तथा बी एम एस की तो बात ही जाने दीजिये। बाद के चरण में, विशेष रूप से वर्ष 2001 में हमारे अनेक सहयोगियों की ओर से बिगड़ती चली जा रही स्थिति में भी देश व्यापी जुझारू कार्रवाईयां नहीं करने के लिये इंटक

तथा बी एम एस को सम्मिलित करने के मुद्दे से अनुचित लाभ उठाया जाता रहा। इससे पता चल जाता है कि श्रमिक आंदोलन में अर्थवाद तथा सुधारवाद का प्रभाव कितना गहरा है; विशेष रूप से उस समय जब मूलभूत वर्गीय प्रश्न उभर कर सामने आ रह हों। प्रचार माध्यमों तथा दूसरे साधनों द्वारा किये जा रहे विचारधारात्मक हमले भी अनिश्चिय एवं संकोच की इस स्थिति का एक कारण हैं; इन हमलों के द्वारा श्रमिक आंदोलन के भीतर यह धारणा उत्पन्न की जा रही है कि इसका (उदारीकरण की आर्थिक नीति) कोई विकल्प ही नहीं है।

यही नहीं, अस्सी के दशक के अंतिम भाग में सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में साम्प्रदायिक तथा विभाजक शक्तियों के उभार ने श्रमिक वर्ग और सामान्य रूप में श्रमजीवी जनता को एकजुट करने के हमारे प्रयासों के लिये एक गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। हमने देखा कि उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण की नीतियों के विरोध में देशव्यापी संयुक्त संघर्षों ने जो गति पकड़ी थी और जिसका निर्माण 26 नवम्बर 1992 को दिल्ली में दस लाख का जबरदस्त जमावड़ा करके किया गया था, को संघ परिवार के घटक संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके उत्पन्न की गई स्थिति ने गहरी क्षति पहुंचाई थी। नियमित अंतरालों में और विशेष रूप से जब सत्ताधारी भाजपा गठबंधन को श्रमिक विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के कारण देश के विभिन्न भागों में चुनावी पराजय का मुंह देखना पड़ा हो तब संघ परिवार के घटक संगठनों के नेतृत्व में काम करने वाली साम्प्रदायिक शक्तियां न केवल श्रमिकों अपितु समग्र रूप में समाज की विकसित हो रही एकता को भंग करने के लिये अपना सिर उठा रही हैं। हमें वर्गीय एकता के लिय संघर्ष करते समय इन पैशाचिक शक्तियों के विरोध में भी लड़ना होगा।

सी आइ टी यू द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाए गए विचारधारात्मक अभियान तथा की गई सांगठनिक पहलकदमी का निर्णायक महत्व इसी तथ्य में निहित है। नीतियों के प्रति जहां तक सम्भव हो सके व्यापकतम जागरूकता लाने और संयुक्त संघर्षों की आवश्यकता को जग जाहिर करने सम्बन्धी कार्यों का भारी महत्व है।

यह प्रक्रिया विघटनकारी शक्तियों को शीर्ष तथा तृणमूल दोनों ही स्तरों पर बेनकाब कर देगी और इसके फलस्वरूप संयुक्त संघर्ष चलाने में भी सहायता मिलेगी। तृण मूल स्तर पर रचलाए जाने वाले स्वतंत्र अभियान का निचले स्तर पर अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने की दृष्टि से निर्णायक महत्व होता है क्योंकि सामान्य श्रमिकों के साथ मिल कर हम श्रमिक आंदोलन के सुधारवादी नेतृत्व पर संघर्षों के संयुक्त मंच पर एकत्रित होने के लिये दबाव डाल सकते हैं। संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रमों को सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये श्रमिकों की व्यापकतम लामबंदी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से सी आइ टी यू द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पहलकदमी भी उतना ही महत्व रखती है।

सभी श्रमिकों तक पहुंचना

तीसरे, संघर्षों की संयुक्त कार्रवाईयां सफलतापूर्वक किये जाने पर भी अनेक क्षेत्रों में सी आइ टी यू के आधार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई जबकि सी आइ टी यू द्वारा उनके लिये की गई पहलकदमियों को व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है और विशेष रूप से पिछले दशक में अनेक राज्यों में उसकी सांगठनिक शक्ति में ठहराव की स्थिति बनी हुई है या उसमें गिरावट आई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ?

उल्लेखनीय है कि एकता तथा संघर्ष की नीति का अनुसरण किये जाने के फलस्वरूप सत्तर तथा अस्सी के दशकों में हमारे संगठनों को अभूतपूर्व लाभ हुआ था। इस अवधि में सी आइ टी यू का विस्तार लगभग सभी आधारभूत उद्योगों में हुआ था और इस्पात, कोयला, निर्माण, परिवहन, जल, विद्युत इत्यादि अखिल भारतीय स्तर के सभी प्रमुख उद्योगों में सी आइ टी यू के अन्तर्गत उद्योगवार महासंघों का गठन हुआ था। इसके फलस्वरूप सी आइ टी यू श्रमिक वर्ग के आंदोलन की अग्रणी पंक्तियों में आ गया था। संयुक्त संघर्षों का विकास करने तथा श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा केलिये हमने निरंतर पहलकदमियां की हैं और सभी संयुक्त मंचों पर इनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप में हुई; इस सांगठनिक विकास की यह कुंजी थी।

प्राय: इस बात की शिकायत की जाती रही है कि संयुक्त मंच के अन्य घटक संगठनों के केन्द्रीय नेतृत्व के द्वारा तृण मूल स्वर पर अपनी घटक इकाईयों में संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रमों को गम्भीरता के साथ नहीं चलाया जाता और न ही वे कार्यक्रमों की सूचना नीचे तक पहुंचाते हैं। अनेक अवसरों पर यह बात सत्य हो सकती है। किन्तु इसके चलते भी हमें सभी श्रमिकों तक संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रम का संदेश ले जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है—सभी श्रमिकों में अन्य श्रमिक संघों के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रमिक भी सम्मिलित हैं। अनेक स्थानों पर हमने इस दृष्टिकोण को लेकर काम नहीं किया किन्तु हमें समझ लेना चाहिए कि संघर्षों के लिए संयुक्त आह्वान हमें दूसरे संगठनों के साथ जुड़े श्रमिकों तक पहुंचने के अवसर प्रदान करते हैं; हमें उनके पास जाने का पासपोर्ट मिल जाता है। हमें श्रमिक वर्ग की संयुक्त कार्रवाईयों के पुरोधा के रूप में स्वयं को स्थापित करना होगा; यदि हम ऐसा करते हैं तो अन्य संगठनों में गम्भीरता का अभाव श्रमिकों को अखरने लगेगा और हमारे संगठन की छवि एक गम्भीर संगठन की बन जाएगी। हमारे कामों में गम्भीर कमियां पाई जाती हैं। जिसके कारण हमारा काम प्रभावित होता है।

अन्य संगठनों के कार्य र्ताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें संघर्षों के संयुक्त कार्यक्रमों में खींच लाने के सम्बन्ध में हमारे

कार्यकर्ताओं की क्षमता बहुत ही कम है। अनेक प्रदर्शनों के अवसर पर हम देखते हैं कि हमारे कुछ घटक अपने प्रभाव वाले लोगों को भी उनमें ला नहीं पाते; इसका दुष्प्रभाव संयुक्त शक्ति की कमजोर लामबंदी के रूप में पड़ता है। इसलिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम हो सकें और अधिकाधिक सक्रिय होकर संयुक्त कार्यक्रमों में भाग लें। इसके फलस्वरूप स्वयं श्रमिक आंदोलन को सांगठनिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

हमारे कार्यकर्ता इस स्थिति में होने चाहिए कि वे अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकें ताकि उनके मन में पाई जाने वाली भ्रांतियां एवं संदेह दूर हो सकें और बहस के फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण स्पष्ट एवं साफ सके। अन्य श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं में अत्यधिक क्षमताएं होती हैं; वे अपने नेतृत्व पर श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्षों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के लिये दबाव डाल सकते हैं।

श्रमिकों की शक्तिशाली एकता का निर्माण करना भी तो संघर्ष की एक प्रक्रिया है। वर्ग संघर्ष को तीव्र करने के लिये हमें श्रमिक आंदोलन के भीतर भी एक शक्तिशाली संघर्ष चलाना होगा। श्रमिक आंदोलन के भीतर संघर्ष विरोधी नीतियों के विरोध में निरंतर अभियान चलाना होगा; यह श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के हमारे संघर्ष का एक अभिन्न अंग है।

हमारे कार्यकर्ताओं का रुख प्राय: उत्साहवर्धक नहीं होता। उन्हें अधिक सक्रिय करना होगा ताकि वे अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं को हमारे अपने संगठन के साथ जोड़ने वाले पुल के रूप में काम कर सकें और निचले स्तर से ही श्रमिक आंदोलन की एकता का निर्माण हो सके। हमारे कार्यकर्ता संयुक्त आंदोलन के निर्माण में अपनी भूमिका सुचारू ढंग से निभाएं, इसके लिये उन्हें प्रभावशाली कार्यकर्ता कैसे बनाया जाए; यह एक निर्णायक प्रश्न है; हमें आज ही इस प्रश्न पर विचार करना होगा।

हमारे स्वतंत्र अभियानों तथा संयुक्त कार्यक्रमों दोनों ही अवसरों पर हमारे संगठन उद्योग स्तर पर न तो अपने कार्यों की योजना बना पाते हैं और न ही सम्बन्धित उद्योग की सम्पूर्ण श्रम शक्ति के पास पूर्णतया पहुंच पाते हैं; हमारी कार्य प्रणाली का यह एक प्रमुख दोष है; सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन में इसकी पहचान स्पष्ट रूप से की गई थी। अनेक स्थानों पर तो हम पूर्णतया अपने ही सदस्यों तक पहुंचने में भी विफल रहते हैं। प्रमुख उद्योगों में सक्रिय अनेक श्रमिक संघ श्रमिकों तक सीधे पहुंचने की अपेक्षा परिपत्रों/प्रेस वक्तव्यों के माध्यम से ही उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने को अधिमान देते हैं। इस प्रकार की दुर्बलता होने के कारण श्रमिक आंदोलन की संयुक्त कार्रवाईयों के लिये पहलकदमी करने का हमारा उद्देश्य ही धरा रह जाता है और हम एकता स्थापित करने के लिये की अपनी पहलकदमियों से होने वाले सांगठनिक लाभों से वंचित हो जाते हैं। जब तक हम सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर श्रमिकों की विशाल संख्या तक पहुंचने के लिए जागरूक प्रयास नहीं करते और इसके लिए अभियान नहीं चलाते तब तक न श्रमिक वर्ग की प्रभावशाली एकता का निर्माण हो सकता है और न ही हम संयुक्त संघर्ष से लाभान्वित होकर सांगठनिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सकते हैं।

परिसंघ के गठन की दिशा में कार्रवाई

श्रमिक आंदोलन की एकता के लिये काम करते समय हमें निश्चित रूप से श्रमिक संघ के एक परिसंघ का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा ताकि विभिन्न संघर्षों के द्वारा स्थापित की गई ट्रेड यूनियन एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। श्रमिक संघों की बहुविधता के वर्तमान में व्याप्त परिदृश्य में तथा श्रमजीवी जनता पर बढ़ते चले जा रहे हमलों के दृष्टिगत श्रमिकों में एकता की इच्छा अधिकाधिक बलवती हो रही है; हमें इसे गम्भीरता से लेना होगा। श्रमिकों की यह इच्छा औद्योगिक बीमारी तथा उद्योग के पुनरुद्धार के लिये अनेक उद्योगों में चलाए गए संघर्षों में भी प्रतिबिम्बित हुई है; अनेक औद्योगिक इकाईयों में असंख्य ''बचाव समितियों'' का गठन हुआ है। अखिल भारतीय संघर्षों के प्रश्न पर विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के केंद्रीय नेतृत्व में अब भी विचारों की भिन्नता पाई जाती है। इस पर भी विभिन्न सम्बद्धताओं वाले उद्योगवार महासंघों में संघर्ष की कार्रवाईयों को अधिकाधिक समन्वित करने तथा निरंतर संघर्ष चलाने की प्रवृत्ति गोदी एवं बंदरगाह, कोयला, विद्युत, तेल इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में एक वास्तविकता बन चुकी है। सम्पूर्ण श्रम शक्ति के लिये एकमात्र संयुक्त मंच बनाने की इच्छा साधारण श्रमिकों में बढ़ रही है जो इन सभी कार्रवाईयों से प्रतिबिम्बित होती है।

राष्ट्रीय स्तर पर परिसंघ का गठन उस समय तक नहीं हो सकता जब तक सभी घटक उसे स्वीकार नहीं करते। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों में परिसंघ के प्रस्ताव पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। इसलिए हमें सांगठनिक मजबूती के लिये बीच के विभिन्न रास्ते अपनाने होंगे ताकि श्रमिक आंदोलन में और अधिक निकटता लाई जा सके। इस स्थिति में राष्ट्रीय एवं उद्योग दोनों ही स्तरों पर श्रमिक वर्ग को ऐक्यबद्ध करने के लिए हमें विभिन्न संयुक्त मंचों के माध्यम से अपने प्रयास जारी रखने होंगे और ये प्रयास अधिक मजबूत प्रकृति के मंच का गठन करने के विचार को धीरे-धीरे लोकप्रिय बनाने की दिशा में करने होंगे; एक ऐसा मंच बनाने के लिये जिसमें सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन एकजुट हो सके अथवा सभी श्रमिक संगठन सम्मिलित हो जाएं।

हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि श्रमिक आंदोलन में एकता लाने के प्रयास विभिन्न चरणों में से गुजर चुके हैं। यू सी टी यू से लेकर वर्तमान में श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तक उत्तरोत्तर चरणों में कार्रवाई के संयुक्त मंच का आधार धीरे-धीरे व्यापक एवं विस्तृत होता चला

गया है। अब यह और परिपक्व होकर वर्तमान चरण में पहुंच चुका है; वर्तमान चरण में की गई कुछ कार्रवाईयों में इंटक तथा बी एस एस ने भी भाग लिया है।

एकता के लिये ठोस कार्रवाहियां करने की दिशा में

एटक तथा एच एम एस श्रमिक संघों के एक अधिक स्थायी प्रकृति के संयुक्त मंच का गठन करने की बातें आगे बढ़कर करने लगे हैं। वर्तमान में व्याप्त स्थितियों में विभिन्न दबावों के चलते निकट भविष्य में इसकी कोई सम्भावना है क्या? इसे लेकर अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु सी आइ टी यू, एटक तथा एच एम एस के मध्य इस विषय पर सामान्य विचार विमर्श होने की सम्भावना का विशेष महत्व है। यह बातचीत इन संगठनों के कार्यकर्ताओं में एक साथ मिल कर काम करने की बढ़ती इच्छा को प्रतिबिम्बित करती है। एटक तथा एच एम एस के मध्य परस्पर विलीनीकरण को लेकर चली बातचीत का अनुभव दर्शाता है कि शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के विलीनीकरण के मार्ग में अनेक अड़चनें पाई जाती हैं। कुछ उद्देश्यपरक वास्तकिताएं हैं; भारत में एक मात्र राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के गठन पर विचार करते समय हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। लम्बे समय तक बने रहने वाले परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से हमें नीचे के स्तर से सांगठनिक मजबूती के लिये प्रयास करने होंगे। यही नहीं, राष्ट्रव्यापी प्रकृति के अनेक संयुक्त संघर्ष चलाने के पश्चात् ही देश में एकमात्र ट्रेड यूनियन केंद्र के गठन करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है; इसके फलस्वरूप विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं में विश्वास उत्पन्न होगा तथा शक्तिशाली संघर्षों की प्रक्रिया में उनमें व्याप्त संदेह एवं आशंकाएं तथा मतभेद कम से कम हो जाएंगे।

हमारा अनुभव दर्शाता है कि निचले स्तर पर एकता अधिक सहजता के साथ स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाईयों तथा श्रमिकों के एक दूसरे के निकट आने से क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्रवाईयों और संगठनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के समीप आने की आवश्यकता को मज़बूती मिलेगी।

एक बात अधिकाधिक स्पष्ट होती चली जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक ठोस एकता लाने के लिये अनुकूल स्थिति बनाने के उद्देश्य से निचले स्तर पर एकता की इच्छा को अधिक प्रबल बनाना होगा। भुवनेश्वर दस्तावेज़ ने उस दिशा में हमारे काम के लिये पहले से ही दिशा निदेश निर्धारित कर दिये हैं—''अनेक स्थानों में संयंत्र तथा उद्योग स्तर पर श्रमिक संघों एवं महासंघों के एकीकरण के प्रयास...अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर पर परिसंघ के गठन का आधार बना देंगे। एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संघों का परिसंघ दीर्घावधि में व्यापक स्तर पर एक उद्योग में एक श्रमिक संघ के गठन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।''

सी आइ टी यू को इकाई स्तर पर श्रमिकों की बहुविधता को समाप्त करके तथा उन्हें एक श्रमिक संघ के रूप में जोड़ने तथा उसे अधिक प्रभावी बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये जागरूक प्रयास करने होंगे। इकाई स्तर पर सामानय मुद्दों को लेकर दूसरे श्रमिक संघों के साथ करीबी समन्वय विकसित किये जाने के फलस्वरूप धीरे-धीरे ये संभावनाएं बनने लगेंगी। इस दिशा में, विभिन्न उद्योगों में दूसरे उद्योगवार श्रमिक संघों के साथ कामकाजी व्यवस्थाएं बनाने तथा उनका विकास करने के लिए हमें सचेतन प्रयास करने होंगे। जहां कहीं भी सम्भव हो सके हमें केवल एक उद्योगवार महासंघ के गठन हेतु पहलकदमी करनी चाहिए जो संगठन की जनवादी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित बनाएगा तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध संघप्र में श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखेगा।

उदारीकरण की सत्ता शुरू होने के बाद की अवधि में श्रमजीवी जनता पर हमले तीव्र से तीव्रतर हुए हैं; इनके फलस्वरूप श्रमिक आंदोलन में एकता के लिये अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है। उन सामान्य मुद्दों की पहचान करना जिनके गिर्द एकता का निर्माण किया जा सके, अब अधिक सहज हो गया है। सी आइ टी यू के साथ जुड़े श्रमिक संघों को साधारण श्रमिकों के बीच जाने के लिए इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसके लिये उन्हें अपनी दोगुणा शक्ति के साथ पहलकदमियां करनी चाहिए। उन्हें एकता तथा संघर्ष के लिए अपील करने के साथ-साथ सरकार की नीतियों तथा हमलों के अंतिम स्रोत के वास्तविक स्वरूप को भी लोगों के समक्ष उजागर करना चाहिए। एकता के प्रयासों का स्वरूप अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग होगा; यह संगठन की संरचना अथवा ढांचे, सदस्यों में जागरूकता के स्तर तथा उनकी ठोस स्थितियों पर निर्भर करेगा। सी आइ टी यू समितियों को राज्य समितियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा। किन्तु संघर्षों के माध्यम से स्थापित एकता को और अधिक सांगठनिक मजबूती प्रदान करने के लिये सभी स्तरों पर ये कार्रवाईयां अवश्यमेव जारी रखनी होंगी।

इसके साथ ही साथ सी आइ टी यू के मंच से श्रमिक जनता में स्वतंत्र रूप से विचारधारा के प्रचार का अभियान निरंतर चलाते रहना होगा। उसे सभी के लिए एकता की अत्यावश्यकता पर केंद्रित करना होगा और साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों की प्रेरणा से फल फूल रहे एकता के विरोधी रुझानों को परास्त करना होगा।

सी आइ टी यू को मजबूत बनाना

श्रमिक वर्ग की सांगठनिक एकता को मजबूत बनाने तथा शक्तिशाली एकता का निर्माण करने सम्बन्धी हमारे प्रयास उस समय तक

फलप्रद नहीं होंगे जब तक हम एक मजबूत एवं शक्तिशाली सी आइ टी यू का निर्माण नहीं करेंगे। भारत में श्रमिक वर्ग के आकार की तुलना में हमारी संख्या शोचनीय सीमा तक कम है। अनेक राज्यों में उसका विकास मंथर गति से हो रहा है; कुछ अन्य राज्यों में वह निश्चलता अथवा ठहराव की स्थिति में है। श्रम शक्ति का आकार कम करने के लिए जोरदार अभियान चल रहा है, उसके कारण भी हमारी सदस्यता के आधार का कुछ क्षरण हुआ है। नये-नये क्षेत्रों में हमारा प्रयास अपेक्षाओं से बहुत कम है। वर्तमान में श्रमिक संघों की सदस्य संख्या में वृद्धि की सम्भावनाओं से भी पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा।

हमने अपनी सदस्य संख्या चालीस लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था; किन्तु इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है। जब तक हम स्वयं अपनी संगठित शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास नहीं करेंगे तब तक श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलन को तीव्रतर करने की हमारी क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती रहेगी।

हमारे कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों की कार्य क्षमताओं में सुधार लाने तथा उनकी जागरूकता के स्तर को ऊंचा उठाने की अत्यावश्यकता है; यह काम सभी स्तरों पर शिक्षा के लिये सघन कार्यक्रम चला कर ही किया जा सकता है।

संयुक्त संघर्षों में हमारी भूमिका

संयुक्त आंदोलन को मजबूत बनाने तथा श्रमिक वर्ग के संगठन के सुदृढ़ीकरण अथवा उसे मजबूत बनाने में राज्य समितियों, जिला समितियों तथा उद्योगवार महासंघों की भूमिका अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

यद्यपि कुछ राज्य समितियों ने राज्य स्तरीय आंदोलनों, सभी श्रमिक संघों को सांझी कार्रवाईयों में एक साथ लाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथापि हम यह दावा कदापि नहीं कर सकते कि सभी राज्य समितियों के मामले में यह बात सही है। हमारे उद्योगवार महासंघों तथा जिला समितियों का मामला भी कुछ ऐसा ही है।

हम इस संदर्भ में अपनी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। हमारे संगठन को और आगे बढ़ाने तथा सांगठनिक मजबूती के हित में यह काम करने की भारी आवश्यकता है।

भारत में क्योंकि उद्देश्यपरक स्थितियां अधिकाधिक अनुकूल बनती चली जा रही हैं, इसलिए यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। हम अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थिति की चुनौती का सामना करने के लिए इस स्थिति का पूर्णतया लाभ उठा पाने में समक्ष नहीं हैं। यद्यपि समग्र रूप में संयुक्त आंदोलन आगे बढ़ रहा है और सभी स्तरों पर हमारी गतिविधियों में सुधार हो रहा है तथापि पूंजीवादी हमलों को परास्त करने के लिये संघर्ष की व्यापक प्रकृति को देखते हुए उसमें गुणात्मक मजबूती लाने की आवश्यकता है। हमें संघर्षों में प्राप्त अपने अनुभवों को आत्मसात् करना होगा, उन पर विचार करना होगा तथा एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान करना होगा ताकि हम वर्तमान स्थिति में और प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो सकें।

यदि श्रमिक आंदोलन की सांगठनिक मजबूती के लिए सी आइ टी यू केन्द्र के बढ़ते चले जा रहे दायित्व को प्रभावशाली ढंग से पूरा करना है तो सी आइ टी यू के संसाधनों तथा उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की स्थिति (अथवा कार्मिक शक्ति) को भी मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार लाना भी महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य समितियों तथा सचिव मंडल के सदस्यों का प्रभावी सहयोग प्राप्त हुए बिना निकट भविष्य में यह काम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि हम इन कार्यों अथवा दायित्वों को पूरा कैसे करें ताकि हम अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।